राजस्व क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्र. 1

विषय सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	**vii**
	विहंगावलोकन	ix से xiv
	अध्याय – 1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताऐं	6
1.3	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	6
1.4	निर्धारण का बकाया	7
1.5	कर अपवंचन	8
1.6	वापसियां	8
1.7	लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर	8
1.7.1	जवाबदेही लागू करने तथा राज्य शासन के हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ पदाधिकारियों की विफलता	9
1.7.2	विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	10
1.7.3	संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना	11
1.7.4	प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर	12
1.7.5	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन–संक्षिप्त स्थिति	12
1.7.6	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	12
1.8	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों से निबटने हेतु प्रणाली का विश्लेषण	13
1.8.1	निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	13
1.8.2	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों पर विभागों/शासन द्वारा दिये गये आश्वासन	14
1.8.2.1	स्वीकृत प्रकरणों में वसूली	14

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
1.8.2.2	विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई	14
1.9	लेखापरीक्षा नियोजन	15
1.10	लेखापरीक्षा के परिणाम	16
1.10.1	वर्ष के दौरान निष्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	16
1.10.2	यह प्रतिवेदन	16
अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर		
2.1	कर प्रशासन	19
2.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	20
2.3	निर्धारिती का विवरण	21
2.4	विक्रय, व्यापार आदि पर करों का बकाया	21
2.5	निर्धारण में बकाया	21
2.6	संग्रहण की लागत	22
2.7	लेखापरीक्षा का प्रभाव	23
2.8	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	24
2.9	लेखापरीक्षा के परिणाम	24
2.10	**"वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	26
2.11	कर की गलत दर लागू किया जाना	48
2.12	टर्न ओवर का गलत निर्धारण	51
2.13	अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति	53
2.14	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	58
2.15	शास्ति का कम अधिरोपण	62
2.16	केन्द्रीय विक्रय अधिनियम के अंतर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण	63
2.17	गलत छूट के कारण कर का कम आरोपण	65

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
2.18	गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण	66
2.19	कर की गणना में गलती	67
2.20	वृत्ति कर की प्राप्ति न होना	68
अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	कर प्रशासन	71
3.2	संग्रहण की लागत	71
3.3	लेखापरीक्षा का प्रभाव	72
3.4	लेखापरीक्षा के परिणाम	72
3.5	**"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	74
3.6	बीयर के निर्माण में अधिक छीजन पर शास्ति का अनारोपण	103
अध्याय – 4 : वाहनों पर कर		
4.1	कर प्रशासन	107
4.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	107
4.3	लेखापरीक्षा का प्रभाव	108
4.4	संग्रहण की लागत	110
4.5	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	110
4.6	लेखापरीक्षा के परिणाम	111
4.7	वाहनों पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना	112
4.8	मोटर वाहनों पर कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण	114
4.9	व्यापार फीस की वसूल न होना/कम वसूली होना	115
4.10	अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	116
अध्याय – 5 : भू–राजस्व		
5.1	कर प्रशासन	119
5.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	119

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
5.3	लेखापरीक्षा का प्रभाव	120
5.4	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	122
5.5	लेखापरीक्षा के परिणाम	122
5.6	प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण	123
5.7	भू–राजस्व एवं उपकर को शासकीय खाते में प्रेषित न किया जाना	125
5.8	कुर्क सम्पत्तियों का निवर्तन न किये जाने के कारण राजस्व प्राप्ति न होना	126
5.9	प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारित किये बिना शासकीय भूमि का आवंटन किये जाने के कारण राजस्व की हानि	126
5.10	सेवा प्रभारों का अनारोपण	127
5.11	प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना	129
5.12	व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण	130
अध्याय – 6 : मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		
6.1	कर प्रशासन	135
6.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	135
6.3	लेखापरीक्षा का प्रभाव	136
6.4	संग्रहण की लागत	138
6.5	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	139
6.6	लेखापरीक्षा के परिणाम	139
6.7	बाजार मूल्य का गलत निर्धारण/प्रकरणों का निराकरण न होना	140
6.8	पट्टा विलेखों/पट्टा सह विक्रय विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	143
6.9	ऋण समनुदेशन के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	144

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
6.10	गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	145
6.11	विलेखों का पंजीयन न होना	147
6.12	मुख्तारनामा के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	149
6.13	विलेखों में शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों का उल्लेख न करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	150
6.14	विक्रय विलेखों पर मुद्रांक शुल्क की गलत छूट	151
6.15	हक विलेखों के निक्षेप से सम्बंधित अनुबंध/ज्ञापन पर मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण/मुद्रांक शुल्क के भुगतान से गलत छूट	152
6.16	कम्पनियों के संविलयन पर मुद्रांक शुल्क की प्राप्ति न होना	153
अध्याय – 7 : अन्य कर प्राप्तियाँ		
क : मनोरंजन शुल्क		
7.1	कर प्रशासन	157
7.2	लेखापरीक्षा के परिणाम	157
7.3	मनोरंजन शुल्क का कम आरोपण	159
7.4	सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण	160
ख : विद्युत पर कर एवं शुल्क		
7.5	कर प्रशासन	161
7.6	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	161
7.7	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	162
7.8	लेखापरीक्षा का प्रभाव	163
7.9	लेखापरीक्षा के परिणाम	164
7.10	विद्युत शुल्क की कम प्राप्ति	165
7.11	निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई	165

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	अध्याय – 8 : खनन प्राप्तियाँ	
8.1	कर प्रशासन	169
8.2	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	169
8.3	लेखापरीक्षा का प्रभाव	170
8.4	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली	172
8.5	लेखापरीक्षा के परिणाम	172
8.6	संविदा राशि का पुनरीक्षण न करने के कारण राजस्व की कम वसूली	173
8.7	राज्यांश की गलत दर लागू करने के कारण राज्यांश की कम प्राप्ति	174
8.8	ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली न होना	175
8.9	खनन पट्टों में कार्य संचालन न होना	176
8.10	संविदा राशि की कम वसूली	177
8.11	उत्खनि पट्टों के अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति	178
8.12	खनन पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना	179
8.13	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/प्राप्ति न होना	180
8.14	उत्खनि पट्टे पर राज्यांश की कम प्राप्ति	182
8.15	खनन पट्टों पर राज्यांश की कम प्राप्ति	183
8.16	अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने में अनियमितातयें	183
8.17	विवरणियां प्रस्तुत न किये जाने के कारण शास्ति का अनारोपण	184

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधायिका में रखे जाने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

अवधि 2011–12 से सम्बंधित इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभागों की अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो अवधि 2011–12 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा (2011–12) के समय दृष्टिगत हुए तथा जो विगत वर्षों में दृष्टिगत हुए थे लेकिन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे; वर्ष 2011–12 के बाद की अवधि से सम्बंधित प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक है, सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 247.82 करोड़ की राशि से अंतर्निहित कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 50 कंडिकायें सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने ₹ 115.54 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है, जिसमें से ₹ 34.05 लाख की वसूली की जा चुकी है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष के दौरान राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ विगत वर्ष के ₹ 51,854.18 करोड़ के विरूद्ध ₹ 62,604.08 करोड़ थीं । राज्य द्वारा इनका 55 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 26,973.44 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 7,482.73 करोड़) के रूप में वसूल किया गया । शेष 45 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 18,219.14 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 9,928.77 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1.1)

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, मनोरंजन शुल्क, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा खनन प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 6,54,887 प्रकरणों में ₹ 807.47 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला ।

(कंडिका 1.10.1)

II. वाणिज्यिक कर

"वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

- 1,70,881 प्रकरणों से सम्बंधित बकाया राशि ₹ 288.46 करोड़ (1 अप्रैल 2011 को बकाया राशि का 54.44 प्रतिशत लंबित) पाँच वर्ष से अधिक समय से वसूली हेतु लंबित थी।

(कंडिका 2.10.6.3)

- एक पृथक वसूली तंत्र के अभाव के फलस्वरूप बकाया राशि में वृद्धि तथा वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.10.7)

- 38 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 2.86 करोड़ के कर की बकाया राशि अंतर्निहित थी, वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने में चार वर्ष छः माह तक का विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.10.9)

- राज्य के बाहर राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) जारी करने में विलम्ब तथा विभाग द्वारा की गई अपर्याप्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप 31 प्रकरणों में ₹ 28.44 करोड़ देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.11)

- प्रकरण दर्ज करने/शासकीय परिशोधक (ओ.एल) के पास लम्बित प्रकरणों का अनुसरण करने में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप तीन प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.12)

- विभाग ने छः प्रकरणों में सम्पत्ति कुर्क करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.12 लाख की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.13)

- कुर्क सम्पत्तियों को नीलाम करने में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप 12 व्यवसाइयों के प्रकरण में ₹ 7.11 करोड़ की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.14)

- बीआईएफआर के पास लम्बित प्रकरणों के सम्बंध में, जिनमें ₹ 3.29 करोड़ देय राशि की वसूली अंतर्निहित थी, संशोधित ऋण पुनर्वास योजना (एम.डी.आर.एस.) के प्रस्तुतीकरण की अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 2.10.15)

31 कार्यालयों में 50 प्रकरणों में कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण 50 व्यवसाइयों से ₹ 3.67 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 2.11)

31 कार्यालयों में 43 व्यवसाईयों के 44 प्रकरणों में टर्न ओवर का गलत निर्धारण किये जाने के कारण ₹ 3.73 लाख के ब्याज/शास्ति सहित ₹ 2.82 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.12)

15 कार्यालयों में आगत कर छूट की अनियमित अनुमति देने के कारण 15 प्रकरणों में 15 व्यवसाइयों से ₹ 87.18 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 2.13)

37 कार्यालयों में 67 प्रकरणों में 60 व्यवसाइयों के विरूद्ध ₹ 79 लाख के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 2.04 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.14)

तीन कार्यालयों में तीन व्यवसाइयों के तीन प्रकरणों में कर योग्य वस्तुओं को गलत तरीके से कर मुक्त मानने के कारण उनके विक्रय पर ₹ 19.96 लाख के कर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 2.18)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण" पर एक लेखापरीक्षा से पता चला कि :

- शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन पर ₹ 6.86 लाख की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 3.5.9.3)

- विभाग द्वारा शोधक प्रतिभूतियों सहित बैंक गारंटी/बंध पत्र प्राप्त किये बगैर अनियमित निर्यात/परिवहन की अनुमति दिये जाने से स्पिरिट/विदेशी मदिरा जिसमें ₹ 875.38 करोड़ का आबकारी शुल्क अंतर्निहित था, असुरक्षित रही। अभिस्वीकृति प्राप्त न की गई मदिरा पर ₹ 20.25 करोड़ के आबकारी शुल्क की वसूली भी नहीं की गई।

(कंडिका 3.5.14)

- मदिरा के निर्यात/परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन पर लायसेंसधारकों पर ₹ 9.90 करोड़ की न्यूनतम शास्ति अधिरोपित एवं वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 3.5.16)

- बोतलबंद देशी मदिरा के लेबलों को लायसेंसधारकों द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया था जिस पर ₹ 32.40 लाख की पंजीयन फीस प्राप्त नहीं हुई। लेबलों के पंजीयन के बिना मदिरा का निर्माण अनियमित भी था।

(कंडिका 3.5.20)

- इस तथ्य के बावजूद कि मदिरा दुकानों के लायसेंसधारकों ने निर्धारित समय के भीतर ₹ 1.20 करोड़ की पाक्षिक लायसेंस फीस/वार्षिक लायसेंस फीस की अंतिम किस्त जमा नहीं की थी, 143 लायसेंसधारकों को मदिरा प्रदाय की गई।

(कंडिका 3.5.21)

- सैन्य केन्टीन थोक लायसेंस धारक से सैन्य केन्टीन फुटकर लायसेंसधारकों को विदेशी मदिरा के प्रदाय पर ₹ 2.08 करोड़ की आबकारी शुल्क कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 3.5.22)

IV. वाहनों पर कर

17 कार्यालयों में 1,652 वाहनों के सम्बंध में ₹ 7.16 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई ।

(कंडिका 4.7)

छः कार्यालयों में व्यवसाइयों से ₹ 1.82 करोड़ के व्यापार शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.9)

V. भू–राजस्व

मई 2010 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण को दी गई शासकीय भूमि की प्रीमियम तथा भू–भाटक के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 7.79 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण/प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.6)

अक्टूबर 2006 तथा सितम्बर 2011 के मध्य 15 तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत ₹ 2.43 करोड़ का भू–राजस्व तथा उपकर कोषालय में मुख्य शीर्ष '0029' भू–राजस्व में जमा न करके पंचायत निधि में जमा किया गया था।

(कंडिका 5.7)

दिसम्बर 2010 में कलेक्टर द्वारा ग्राम दाही की 0.420 हैक्टेयर शासकीय भूमि आरोपणीय प्रीमियम ₹ 1.01 करोड़ तथा भू–भाटक ₹ 5.04 लाख प्रति वर्ष के विरूद्ध, कोई प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारित किये बिना आवंटित की गई थी।

(कंडिका 5.9)

चार कलेक्टर कार्यालयों में फरवरी 2007 तथा सितम्बर 2011 के मध्य निर्णीत 18 व्यपवर्तन प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 21.12 लाख के प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.12)

VI. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

- 25 कार्यालयों में 566 प्रकरणों में बाजार मूल्य का गलत निर्धारण/निर्णीत न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.62 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 6.7)

- पट्टा विलेखों/पट्टा सह विक्रय विलेखों पर ₹ 1.28 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.8)

- छः कार्यालयों में 40 प्रकरणों में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 92.54 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.10)

- दो कार्यालयों में 29 प्रकरणों में विलेखों का पंजीयन न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 35.36 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 6.11.1 तथा 6.11.2)

VII. अन्य कर प्राप्तियाँ

- सिनेमा गृहों के 17 संचालकों पर ₹ 5.05 लाख के मनोरंजन शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 7.4)

- सात उपभोक्ताओं के प्रकरणों में खानों पर शुल्क की गलत दरें लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 35 लाख के विद्युत शुल्क की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.10)

VIII. खनन प्राप्तियाँ

- संविदा राशि का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण ₹ 3.22 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 8.6)

- 12 कार्यालयों में 48 खनन पट्टाधारकों से ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर के रूप में ₹ 70.53 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 8.8)

अध्याय - 1

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताओं, लेखापरीक्षा के प्रति शासन का प्रत्युत्तर, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की स्थिति, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के निराकरण हेतु शासन/विभागों द्वारा किये गये अनुपालन की स्थिति, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की स्थिति तथा लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत किया है ।
राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	मध्य प्रदेश शासन की राजस्व प्राप्तियों में राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं राज्यों को समनुदेशित शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित है । वर्ष 2011–12 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व ₹ 34,456.17 करोड़ था जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 55 प्रतिशत था । वर्ष 2011–12 के दौरान शेष 45 प्रतिशत प्राप्तियाँ ₹ 28,147.91 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुई थीं ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों का अनुपालन न किया जाना	दिसम्बर 2011 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 3,465 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 13,506 कंडिकायें, जिनमें ₹ 6,834.02 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी, अनुपालन के अभाव में जून 2012 तक लंबित रहीं । निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर दिसम्बर 2011 तक जारी 363 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में प्राप्त नहीं हुए थे (30 जून 2012) । उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य को इंगित करते हैं कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभाग प्रमुखों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गई कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की ।

लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध न कराना	वर्ष 2011–12 के दौरान छः विभागों (वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्व, खान एवं भौमिकी, परिवहन तथा राज्य उत्पाद शुल्क) के 71 कार्यालयों ने 625 कर निर्धारण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये ।
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि की बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बंध में शासन/विभागों ने ₹ 1,985.80 करोड़ की राशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से मार्च 2012 तक ₹ 203.89 करोड़ वसूल किये जा चुके थे ।
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	हमने देखा कि वर्ष 2011–12 के दौरान, पाँच विभागों ने सात लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आहूत की थीं जिनमें ₹ 288.94 करोड़ राशि की 553 कंडिकाओं का निराकरण किया गया जबकि अन्य विभागों ने लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । यह अनुशंसा की जाती है कि लंबित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण हेतु सभी विभागों द्वारा आवधिक रूप से लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।
हमारा निष्कर्ष	अवधि 2011–12 के दौरान ₹ 807.47 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से सन्निहित लेखापरीक्षा प्रेक्षण जारी किये गये । विभागों/शासन ने ₹ 539.35 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया । यह अनुशंसा की जाती है कि स्वीकार किये गये प्रकरणों में अंतर्निहित राशियों को यथाशीघ्र वसूल करने के लिए शासन द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये । पाँच वर्षों से अधिक समय से राजस्व के बकाया के रूप में लंबित राशि कुल बकाया राशि का 71 प्रतिशत थी । बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रयास किये जाने चाहिये । शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति त्वरित एवं उपयुक्त प्रत्युत्तर तथा निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में अधिकारियों की विफलता के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया राजस्व की वसूली हेतु कार्रवाई न करने के लिए भी एक प्रभावी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिये ।

अध्याय – 1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2011–12 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	कर राजस्व	12,017.64	13,613.50	17,272.77	21,419.33	26973.44
	कर –भिन्न राजस्व	2,738.18	3,342.86	6,382.04	5,719.77	7482.73
	योग	**14,755.82**	**16,956.36**	**23,654.81**	**27,139.10**	**34,456.17**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	10,203.50	10,767.14	11,076.99	15,638.52	18219.14[1]
	सहायक अनुदान	5,729.41	5,853.71	6,662.87	9,076.56	9928.77
	योग	**15,932.91**	**16,620.85**	**17,739.86**	**24,715.08**	**28,147.91**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियां (1 तथा 2)**	**30,688.73**	**33,577.21**	**41,394.67**	**51,854.18**	**62,604.08**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**48**	**50**	**57**	**52**	**55**

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पूर्ववर्ती वर्ष में 52 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 62,604.08 करोड़) का 55 प्रतिशत था। वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्तियों का शेष 45 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" का अवलोकन करें । शीर्ष "राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक को 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है ।

1.1.2 निम्न तालिका 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2009–10 की तुलना में 2010–11 में वृद्धि (+)/ कमी (–) का प्रतिशत
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	6,045.07	6,842. 99	7,723.82	10,256.76	12,516.73	(+) 22.03
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,853.83	2,301. 95	2,951.94	3,603.42	4,316.49	(+) 19.79
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1,531.54	1,479.29	1,783.15	2,514.27	3,284.41	(+) 30.63
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	916.44	1,332. 57	1,332.88	1,746.20	2,047.46	(+) 17.25
5.	वाहनों पर कर	702.62	772. 56	919.01	1,198.38	1,357.12	(+) 13.25
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	626.08	343.06	2,146.49	1,476.32	1,773.32	(+) 20.12
7.	भू–राजस्व	129.15	338. 84	180.03	360.81	279.06	(–) 22.66
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	185.02	172.29	203.92	217.89	248.90	(+) 14.23
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	20.10	20. 28	19.21	29.42	52.29	(+) 77.74
10.	होटल प्राप्तियां	7.79	9.67	12.20	15.85	18.33	(+) 15.65
11.	कृषि भूमि से अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	–	–	0.12	0.01	1079.33	(+) 10793200
योग		**12,017.64**	**13,613. 50**	**17,272.77**	**21,419.33**	**26,973.44**	

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

विक्रय, व्यापार आदि पर कर – कर के बेहतर अनुपालन के कारण 22.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

राज्य उत्पाद शुल्क – निष्पादन राशि में वृद्धि के कारण 19.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – अधिक दस्तावेजों के पंजीबद्ध होने एवं अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण 30.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वाहनों पर कर – प्रभावी कम्प्यूटरीकरण के कारण 13.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

विद्युत पर कर एवं शुल्क – मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी से लंबित बकाया राशि की प्राप्ति के कारण 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

भू–राजस्व – प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिये बकाया राशि की वसूली के स्थगन के कारण 22.66 प्रतिशत की कमी हुई ।

अनुरोध के बावजूद (मई 2012) अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (मार्च 2013)।

1.1.3 निम्न तालिका 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण प्रदर्शित करती है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2009–10 की तुलना में 2010–11 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,125.39	1,361.08	1,590.47	2,121.49	2038.31	(–) 3.92
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	608.89	685.60	802.00	836.61	878.81	(+)5.04
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	374.60	380.17	399.12	143.00	145.44	(+) 1.71
4.	ब्याज प्राप्तियां	206.98	163. 29	1,284.03	298.56	1571.41	(+) 426.33
5.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	68.15	55.58	80.94	85.14	106.05	(+) 24.56
6.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	37.42	37.08	56.75	194.89	263.15	(+) 35.02
7.	पुलिस	25.03	23.63	41.98	62.55	63.19	(+) 1.02
8.	लोक निर्माण	20.33	21.74	27.37	36.77	47.92	(+) 30.32
9.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	21.93	20.88	21.84	22.77	30.16	(+) 32.45
10.	सहकारिता	29.29	13.25	9.08	17.05	11.65	(–) 31.67
11.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	220.17	580.56	2,068.46	1,900.94	2326.64	(+) 22.39
योग		**2,738.18**	**3,342.86**	**6,382.04**	**5719.77**	**7482.73**	

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

वानिकी एवं वन्य जीवन : 5.04 प्रतिशत की वृद्धि से वनोपज के मूल्य की कीमत में वृद्धि के कारण हुई ।

सहकारिता : लेखापरीक्षा फीस की वसूली में कमी के कारण 31.67 प्रतिशत की कमी हुई ।

अनुरोध के बावजूद (मार्च 2013) अन्य विभागों द्वारा भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए गए (मई 2012)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताऐं

कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों में वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नताऐं नीचे दर्शायी गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+) या कमी (–)	प्रतिशत वृद्धि (+)/(–)
कर राजस्व					
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	11,830	12,516.73	(+) 686.73	(+) 5.80
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	4,050	4,316.49	(+) 266.49	(+) 6.58
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	2,000	3,284.41	(+) 1,284.41	(+) 64.22
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,370	1,773.32	(+) 403.32	(+) 29.44
5.	वाहनों पर कर	1,285	1,357.12	(+) 72.12	(+) 5.61
6.	भू–राजस्व	500.30	279.06	(–) 221.24	(–) 44.22
कर भिन्न राजस्व					
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2,540	2,038.31	(–) 501.69	(–) 19.75

सम्बंधित विभागों द्वारा भिन्नताओं के निम्न कारण बताये गये :

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस: 64.22 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः अधिक दस्तावेजों का पंजीयन होने तथा अचल संपत्ति के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई ।

भू–राजस्व : प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिये बकाया राशि की वसूली के स्थगन के कारण 44.22 प्रतिशत की कमी हुई ।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2012 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 669.97 करोड़ थी जिसमें से ₹ 475.68 करोड़ की राशि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	517.93	403.87
2.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	12.31	12.31
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	67.49	14.69
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	72.24	44.81
योग		**669.97**	**475.68**

अनुरोध के बावजूद (दिसम्बर 2012) अन्य विभागों के सम्बंध में वर्ष 2011–12 के अंत में राजस्व के बकाया की स्थिति शासन से प्राप्त नहीं हुई । इसके अतिरिक्त, विभागों द्वारा यह भी उपलब्ध नहीं कराया गया कि बकाया राजस्व का संग्रहण किन स्तरों पर लंबित है (मार्च 2013) ।

1.4 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर/वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 6 से 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विक्रय कर/वैट	2009–10	2,67,035	3,53,048	6,20,083	3,72,161	2,47,922	60.02
	2010–11	2,47,922	2,53,990	5,01,912	3,74,824	1,27,088	74.68
	2011–12	1,24,088[2]	2,94,265	4,18,353	3,30,229	88,124	78.94
वृत्ति कर	2009–10	1,24,375	1,40,241	2,64,616	1,57,938	1,06,678	59.69
	2010–11	1,06,678	88,196	1,94,874	1,27,626	67,248	65.49
	2011–12	67,248	1,19,154	1,86,402	1,22,991	63,411	65.98
प्रवेश कर	2009–10	1,70,356	2,29,913	4,00,269	2,48,537	1,51,732	62.09
	2010–11	1,51,732	2,00,164	3,51,896	2,62,535	89,361	74.61
	2011–12	89,361	2,27,878	3,17,239	2,55,173	62,066	80.44
विलासिता कर	2009–10	664	1,026	1,690	1,052	638	62.25
	2010–11	638	3,619	4,257	3,234	1,023	75.97
	2011–12	1,023	308	1,331	911	420	68.44
निर्माण संविदाओं पर कर	2009–10	2,541	6,273	8,814	6,183	2,631	70.15
	2010–11	2,631	6,704	9,335	6,593	2,742	70.63
	2011–12	2,742	5,328	8,070	5,450	2,620	67.53

इस प्रकार, विगत वर्षों की तुलना में विलासिता कर तथा निर्माण संविदाओं पर कर से सम्बंधित निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में कमी हुई है ।

[2] विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि वर्ष 2011–12 में कर निर्धारण के बकाया का प्रारम्भिक शेष 1,24,088 था, जबकि यह पूर्व अवसर पर वर्ष 2010–11 के लिए सूचित निर्धारण के बकाया अंत शेष (1,27,088) से मेल नहीं खाता है। विभाग ने इस अंतर के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया।

1.5 कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर तथा मुद्रांक एवं पंजीयन विभागों द्वारा प्रतिवेदित कर अपवंचन के विवरण की जानकारी निम्नानुसार हैं :

स.क्र.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2012 को लंबित प्रकरण	2011–12 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2012 को निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	विक्रय कर/वैट	536	249	785	551	212.65	234
2.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	8485	5953	14438	4419	71.13	10019

इस प्रकार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

1.6 वापसियां

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2011–12 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2011–12 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	विक्रय कर/वैट		विद्युत शुल्क		मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	674	10.10	109	1.13	1507	3.80	10	0.07
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,331	86.57	25	2.82	831	3.22	55	1.16
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	5,457	87.93	05	1.26	792	2.19	43	0.95
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	548	8.74	129	2.69	1546	4.83	22	0.28

इस प्रकार, वाणिज्यिक कर विभाग को छोड़कर सभी विभागों के वापसियों के प्रकरणों की संख्या तथा राशि में वृद्धि देखी गई ।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर

अग्रलिखित कंडिकाएं 1.7.1 से 1.7.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/अनुशंसाओं के प्रति विभागों/शासन के प्रत्युत्तर की विवेचना करती हैं ।

1.7.1 जवाबदेही लागू करने तथा राज्य शासन के हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ पदाधिकारियों की विफलता

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय लेन–देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किये जाते हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवदेनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

हमारे द्वारा दिसम्बर 2011 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 3,465 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 13,506 कण्डिकाएं, जिनमें राशि ₹ 6,834.02 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2012 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित आगामी तालिका में नीचे दर्शाया गया है :

	जून 2010	जून 2011	जून 2012
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	5,040	3,690	3,465
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	15,608	13,285	13,506
सम्मिलित राशि (करोड़ ₹ में)	9,862.06	9,355.55	6,834.02

30 जून 2012 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक कर	विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वैट	933	4,589	1,016.70
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	48	171	460.99

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	मनोरंजन कर	200	392	19.41
		उत्पाद शुल्क	211	826	625.80
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1,036	3,292	2,586.02
5.	परिवहन	वाहनों पर कर	382	1,948	326.61
6.	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	448	1,273	181.21
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	207	1,015	1,617.28
योग			**3,465**	**13,506**	**6,834.02**

यहां तक कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2011 तक जारी 363 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की यह बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ करने में विफल रहे। यद्यपि इसे 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित एवं समुचित प्रत्युत्तर हेतु एवं साथ ही कर्मचारियों/अधिकारियों, जो निर्धारित समय–सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कण्डिकाओं के उत्तर प्रेषित नहीं करते हैं और समयबद्ध ढंग से हानि/लम्बित माँग की वसूली के लिए कार्रवाई करने में भी असफल रहते हैं, के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु एक प्रभावशाली प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायें।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान आहूत लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं निराकृत कण्डिकाओं का विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	आहूत बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
वाणिज्यिक कर	2	157	6.50
अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2	124	146.52

(1)	(2)	(3)	(4)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1	58	2.86
राज्य उत्पाद शुल्क	1	98	62.52
भू–राजस्व	1	116	70.54
योग	**7**	**553**	**288.94**

उक्त तालिका दर्शाती है कि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस तथा राज्य उत्पाद शुल्क से सम्बंधित लम्बित कण्डिकाओं का निराकरण संतोषजनक नहीं रहा। इसका प्रमुख कारण विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के दौरान वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना था।

1.7.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर/कर भिन्न प्राप्तियों से सम्बंधित कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रखें।

वर्ष 2011–12 के दौरान, 71 कार्यालयों से सम्बन्धित कुल 625 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य वांछित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इनमें से दो प्रकरणों में, ₹ 4.87 करोड़ का कर अंतर्निहित था तथा शेष प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम कार्यालयों की संख्या	प्राप्तियों का प्रकार	लेखापरीक्षित नहीं हुए कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतर्निहित राजस्व निर्धारित हो सका	सम्मिलित राजस्व
वाणिज्यिक कर 30	बिक्री कर/वैट	360	–	–
मुद्रांक एवं पंजीयन 07	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	64	1	0.30
भू–राजस्व 19	भू–राजस्व	136	1	4.57
खनन एवं भौमिकी 03	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	5	–	–
परिवहन 08	वाहनों पर कर	49	–	–
राज्य उत्पाद शुल्क 01	मनोरंजन शुल्क	4	–	–
राज्य उत्पाद शुल्क 03	राज्य उत्पाद शुल्क	7	–	–
योग		**625**	**2**	**4.87**

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं हमारे द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती हैं। विभाग से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 53 कण्डिकाऐं (50 कंडिकाओं में संयोजित) सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को मई 2012 तथा सितम्बर 2012 के मध्य प्रेषित की गयी थीं। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013)।

इन विभागों से सम्बन्धित कण्डिकाओं को विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

राज्य संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) पी.ए.सी. द्वारा अनुशंसाओं के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।

वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पूर्णरूप से चर्चा की जा चुकी है तथा वर्ष 2006–07 तथा 2008–09 के प्रतिवेदन पर पी.ए.सी. द्वारा आंशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है ।

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1992–93 तक के ए.टी.आर. प्राप्त हो चुके हैं । 1993–94 से 2003–04 तक के ए.टी.आर. आंशिक रूप से प्राप्त हुए हैं तथा इसके पश्चात संबंधित विभागों से ए.टी.आर. प्राप्त नहीं हुए हैं ।

1.7.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, विभागों/शासन द्वारा ₹ 1,985.80 करोड़ राशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किए गए जिसमें से 31 मार्च 2012 तक मात्र ₹ 203.89 करोड़ की वसूली हुयी, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन का कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत मौद्रिक मूल्य	वसूल राशि	वसूली का स्वीकृत राशि के सापेक्ष प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2006–07	318.57	288.61	7.44	2.58
2007–08	623.43	428.03	78.52	18.34
2008–09	1,339.50	112.89	9.96	8.82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009–10	1,469.91	1,045.98	105.98	10.13
2010–11	291.79	110.29	1.99	1.80
योग	**4043.20**	**1,985.80**	**203.89**	

विगत पांच वर्षों में वसूली का प्रतिशत स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में अत्यन्त कम रहा है ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली के लिये उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिये ।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से निबटने हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित मुद्दों को विभागों/शासन द्वारा निबटाने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किसी एक विभाग से सम्बन्धित कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन कर प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है।

अग्रलिखित कण्डिकायें 1.8.1 से 1.8.2.2 पिछले छः वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में अन्वेषित प्रकरणों तथा वर्ष 2001–02 से 2010–11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निबटारे में **राज्य उत्पाद शुल्क** विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अवधि 2006–07 से 2011–12 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2012 को इनकी अवस्था की संक्षिप्त स्थिति आगामी तालिका में दर्शाई गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य
2006–07	371	1,272	630.05	24	127	65.64	15	116	46.19	380	1,283	649.50
2007–08	380	1,283	649.50	31	173	89.51	23	251	154.55	388	1,205	584.46
2008–09	388	1,205	584.46	43	242	98.48	58	307	184.27	373	1,140	498.67
2009–10	373	1,140	498.67	45	302	181.53	72	348	109.70	346	1,094	570.50
2010–11	346	1,094	570.50	23	168	146.02	165	474	71.35	204	788	645.17
2011–12	204	788	645.17	26	173	85.89	28	178	118.50	202	783	612.56

वर्ष 2011–12 के दौरान निराकृत 178 कण्डिकाओं में से, 80 कण्डिकाएं सामान्य तौर पर उत्तरों के आधार पर निराकृत की गयीं तथा शेष 98 कण्डिकाएं विभाग के साथ आयोजित की गयी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निराकृत की गयीं।

1.8.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों पर विभागों/शासन द्वारा दिये गये आश्वासन

1.8.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं की स्थिति, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत तथा वसूल की गयी राशि आगामी तालिका में दर्शाई गई है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.12 तक वसूल की गई राशि
2001-02	9	6.77	3	0.72	3	0.08
2002-03	7 कंडिकायें तथा 1 समीक्षा	54.08	4	13.77	1	1.04
2003-04	3 कंडिकायें तथा 1 समीक्षा	13.10	3	12.49	1	0.006
2004-05	9	9.60	4	0.88	2	0.04
2005-06	7	7.67	5	2.62	4	0.55
2006-07	1 समीक्षा	4.57	1	1.62	1	0.55
2007-08	11	7.95	5	1.82	3	0.21
2008-09	18	21.68	8	1.80	3	0.09
2009-10	9	5.09	5	3.90	2	0.07
2010-11	8	38.74	1	6.73	1	0.007

विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकार किए गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है ।

1.8.2.2 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा कार्यान्वित प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं सम्बन्धित विभाग/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है।

अग्रलिखित कण्डिकाएं पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग पर प्रकाशित समीक्षा में रेखांकित मुद्दों एवं अनुशंसाओं तथा विभाग एवं शासन द्वारा स्वीकृत उन अनुशंसाओं पर विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई की विवेचना करती हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्वीकृत अनुशंसाओं के विवरण	स्थिति
2002–03	असंग्रहीत आबकारी राजस्व	02	–	अनुशांसाओं पर विभाग द्वारा विशिष्ट टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की गई ।
2003–04	आसवनियों की कार्यप्रणाली	02	–	अनुशांसाओं पर विभाग द्वारा विशिष्ट टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की गई ।
2006–07	मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण	06	–	अनुशांसाओं पर विभाग द्वारा विशिष्ट टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की गई ।

1.9 लेखापरीक्षा नियोजन

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की पूर्व प्रवृत्तियों एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार, उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम युक्त इकाईयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के अलावा शासकीय राजस्व एवं कर प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कराधान सुधार समिति की अनुशंसाएं, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के गुण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा का क्षेत्र और उसका प्रभाव आदि सम्मिलित होता है।

वर्ष 2011–12 के दौरान, लेखापरीक्षा समष्टि में 924 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं, जिनमें से 321 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई, जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों का 36.36 प्रतिशत है।

उपरोक्त वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त **"वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्व बकाया की वसूली"** तथा **"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए निष्पादित की गई ।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.10.1 वर्ष के दौरान निष्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011–12 के दौरान की गयी वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, मनोरंजन कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं खनन प्राप्तियों से सम्बंधित 321 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 6,54,887 प्रकरणों में कुल ₹ 807.47 करोड़ का अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि प्रकट हुई। वर्ष के दौरान विभागों ने 2011–12 में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए 24,385 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 539.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष 2011–12 के दौरान विभागों द्वारा 1,522 प्रकरणों में ₹ 4.58 करोड़ की वसूली की गयी।

1.10.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क तथा ब्याज, शास्ति आदि के कम आरोपण/अनारोपण से सम्बन्धित ₹ 247.82 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्निहित **"वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्व बकाया की वसूली"** तथा **"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 50 कंडिकाएं (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने ₹ 115.54 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 34.05 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013)। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों 2 से 8 में की गई है।

अध्याय - 2

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने **"वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्व बकाया की वसूली"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें ₹ 49.30 करोड़ का राजस्व प्रभाव अंतर्निहित है तथा वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के कार्यालय में वाणिज्यिक कर के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 11.76 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहाँ हमने पाया कि अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान हमारे द्वारा बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में वाणिज्यिक कर से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 22.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा बेहतर कर अनुपालन बताया गया।
विगत वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के सम्बंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 5,111 प्रकरणों में गलत छूट, टर्न ओवर को छिपाने/दबाने, कर की गलत दर लागू किये जाने तथा गलत संगणना आदि के कारण ₹ 858.40 करोड़ के राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/हानि को इंगित किया था। इनमें से विभाग ने 2,286 प्रकरणों में ₹ 249.60 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है। स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम 0.74 प्रतिशत से 6.26 प्रतिशत के मध्य रहा और 430 प्रकरणों में ₹ 4.84 करोड़ की वसूल अब तक की जा चुकी है।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में हमने वाणिज्यिक कर से सम्बंधित 102 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 872 प्रकरणों में ₹ 128.02 करोड़ के कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला। विभाग ने 341 प्रकरणों में ₹ 5.30 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान इंगित किया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान तीन प्रकरणों में ₹ 1.17 लाख की राशि वसूल की गई थी।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रवेश कर/क्रय कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर मुक्ति की गलत स्वीकृति, बंद इकाईयों से कर की वसूली न होना, वृत्ति कर की प्राप्ति न होना, शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, परिवहनकर्ताओं पर कर का अनारोपण, बिना घोषणा पत्रों के विक्रय पर कर का अनारोपण/कम आरोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिये त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहाँ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय – 2
वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग प्रमुख हैं। विभाग पाँच क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं। सभी क्षेत्र 15 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख उपायुक्त होता है। इन संभागीय कार्यालयों के अन्तर्गत 80 वृत्त कार्यालय और 33 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय हैं जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक आयुक्त हैं। वाणिज्यिक कर का आरोपण एवं संग्रहण, जिनमें विक्रय कर/मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, वृत्ति कर एवं विलासिता कर शामिल हैं, निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों एवं उनके अधीन जारी अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशासित किया जाता है :

- मध्य प्रदेश वैट (एम.पी.वैट) अधिनियम, 2002;
- मध्य प्रदेश वैट (एम.पी.वैट) नियम, 2006;
- मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994, (1995 का क्रमांक 5);
- मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर नियम, 1995;
- केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन एवं टर्न ओवर (आर. एण्ड टी.) नियम, 1957;
- मध्य प्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957;
- मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976;
- मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976;
- मध्य प्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995;
- मध्य प्रदेश वृत्ति कर नियम, 1995;
- मध्य प्रदेश विलासिता कर अधिनियम, 1988 और
- मध्य प्रदेश विलासिता कर नियम, 1988

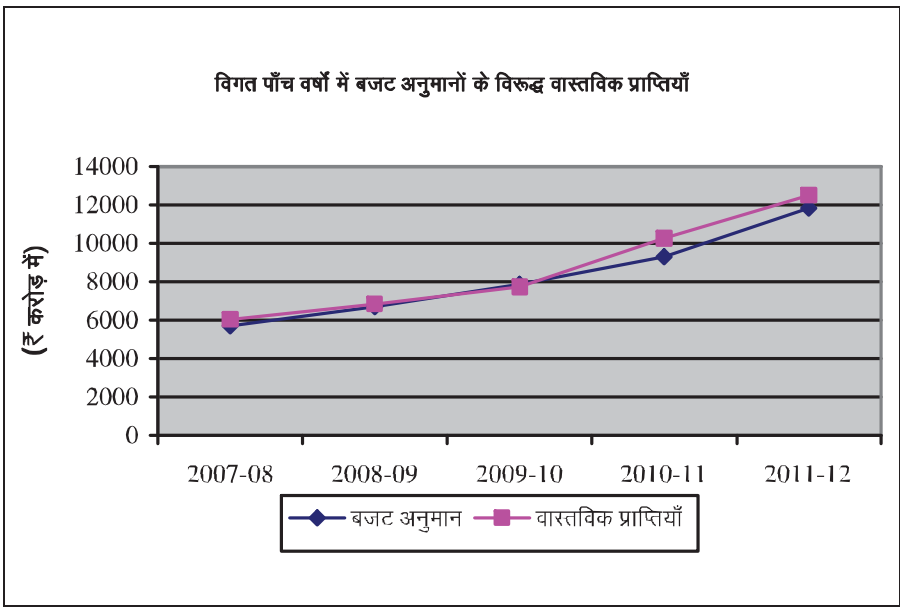
2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर करों से वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि की कुल कर प्राप्तियों सहित निम्न तालिका एवं रेखा ग्राफ में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वैट/विक्रय व्यापार पर कर की वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों की तुलना में प्रतिशत
2007-08	5700.00	6045.07	(+) 345.07	(+) 6.05	12017.64	50.30
2008-09	6720.00	6842.99	(+) 122.99	(+) 1.83	13613.50	50.27
2009-10	7894.11	7723.82	(-) 170.29	(-) 2.16	17272.77	44.72
2010-11	9320.00	10256.76	(+) 936.76	(+) 10.05	21419.33	47.89
2011-12	11830.00	12516.73	(+) 686.73	(+) 5.80	26973.44	46.40

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)



यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 2.16 तथा 10.05 के मध्य रहा।

वर्ष 2011–12 में, विक्रय, व्यापार आदि पर करों से संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 22.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा बेहतर कर अनुपालन बताया गया।

2.3 निर्धारिती का विवरण

विभाग ने प्रतिवेदित किया कि वर्ष 2011–12 के दौरान 2,35,848 पंजीयत व्यवसायी थे जिनमें से 51,916 बड़े करदाता तथा 1,83,932 छोटे करदाता थे। ऐसे सभी पंजीयत व्यवसाइयों द्वारा, जिनकी कुल विक्रय राशि ₹ 20 लाख तक है या जो ₹ 10,000 तक वार्षिक कर का भुगतान करते हैं, वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं जबकि अन्य व्यवसाइयों द्वारा त्रैमासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी होती हैं। ऐसे व्यवसाइयों के प्रकरण में, जो विवरणियाँ, अग्रिम कर आदि प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं। विभाग ने आगे बताया कि प्राप्त विवरणियों की संख्या मुख्यालय कार्यालय पर संधारित नहीं की जाती है। इस प्रकार, विभाग में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवीक्षण प्रणाली का अभाव है।

2.4 विक्रय, व्यापार आदि पर करों का बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर करों के बकाया की स्थिति आगामी तालिका में दर्शायी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के अंत तक संग्रहण	शेष बकाया
2007-08	584.25	739.77	752.48	571.54
2008-09	571.54	1,086.23	1,111.73	546.04
2009-10	546.04	1,206.32	1,165.41	586.95
2010-11	586.95	1,214.02	1,271.17	529.80
2011-12	529.80	1,667.19	1,679.06	517.93

2.5 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर/वैट, व्यवसाय कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लम्बित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण तथा वर्ष के अन्त में निराकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

कर का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	कुल लंबित कर निर्धारण	वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विक्रय कर/वैट	2009-10	2, 67,035	3,53,048	6,20,083	3,72,161	2,47,922	60.02
	2010-11	2,47,922	2,53,990	5,01,912	3,74,824	1,27,088	74.68
	2011-12	1,24,088[1]	2,94,265	4,18,353	3,30,229	88, 124	78.94
वृत्ति कर	2009-10	1,24,375	1,40,241	2,64,616	1,57,938	1,06,678	59.69
	2010-11	1,06,678	88,196	1,94,874	1,27,626	67,248	65.49
	2011-12	67,248	1,19,154	1,86,402	1,22,991	63,411	65.98
प्रवेश कर	2009-10	1,70,356	2,29,913	4,00,269	2,48,537	1,51,732	62.09
	2010-11	1,51,732	2,00,164	3,51,896	2,62,535	89,361	74.61
	2011-12	89,361	2,27,878	3,17,239	2,55,173	62,066	80.44
विलासिता कर	2009-10	664	1,026	1,690	1,052	638	62.25
	2010-11	638	3,619	4,257	3,234	1,023	75.97
	2011-12	1,023	308	1,331	911	420	68.44
निर्माण संविदाओं	2009-10	2,541	6,273	8,814	6,183	2,631	70.15
पर कर	2010-11	2,631	6,704	9,335	6,593	2,742	70.63
	2011-12	2,742	5,328	8,070	5,450	2,620	67.53

2.6 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर करों का सकल संग्रहण, इसके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किए गए ऐसे व्यय का प्रतिशत विगत वर्षों में संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष में संग्रहण पर व्यय का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
2009-10	7,723.82	89.55	1.16	0.88
2010-11	10,256.76	98.10	0.96	0.96
2011-12	12,516.73	111.36	0.89	0.75

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

वर्ष 2009–10 तथा 2011–12 के दौरान, विक्रय, व्यापार आदि पर करों के सम्बंध में संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से अधिक था, जबकि वर्ष 2010–11 के दौरान यह पूर्व वर्ष के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के समतुल्य था।

[1] विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि वर्ष 2011–12 में कर निर्धारण के बकाया का प्रारम्भिक शेष 1,24,088 था, जबकि यह पूर्व अवसर पर वर्ष 2010–11 के लिए सूचित निर्धारण के बकाया के अन्त शेष (1,27,088) से मेल नहीं खाता है। विभाग ने इस अन्तर के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया।

2.7 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (नि.प्र.)

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 5,111 प्रकरणों में ₹ 858.40 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, कम निर्धारण/गलत छूट के कारण राजस्व की हानि, टर्न ओवर छिपाना/दबाना, कर की गलत दर लागू करना, गलत गणना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 2,286 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 249.60 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 430 प्रकरणों में (30 नवम्बर 2012 तक) ₹ 4.84 करोड़ वसूल किये। विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूल की गई		स्वीकृत राशि से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006-07	75	623	66.37	149	15.33	09	0.96	6.26
2007-08	106	1,002	55.99	519	12.12	24	0.48	3.96
2008-09	102	1.234	181.03	497	39.97	15	0.83	2.08
2009-10	90	1.237	365.51	551	122.70	110	2.13	1.74
2010-11	100	1,015	189.50	570	59.48	272	0.44	0.74
योग		**5,111**	**858.40**	**2,286**	**249.60**	**430**	**4.84**	

पिछले पाँच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत अत्यन्त कम रहा है।

2.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने 73 कंडिकाओं में ₹ 337.19 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, कम निर्धारण/गलत छूट के कारण राजस्व की हानि, टर्न ओवर छिपाना/दबाना, कर की गलत दर लागू करना, गलत गणना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 54 कंडिकाओं में अंतर्निहित ₹ 139.65 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 28 कंडिकाओं में ₹ 107.34 करोड़ वसूल किये । विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.12 तक वसूल की गई राशि
2006-07	12	21.20	9	16.62	5	0.49
2007-08	16	98.69	14	16.47	10	3.63
2008-09	16	19.48	12	2.29	8	0.81
2009-10	15	112.71	9	102.74	5	102.41
2010-11	14	85.11	10	1.53	निरंक	निरंक
योग	**73**	**337.19**	**54**	**139.65**	**28**	**107.34**

वर्ष 2009–10 को छोड़कर, 2006–07 से 2010–11 के दौरान स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये ।

2.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

शासन के आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 1982 के अनुपालन में, विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए 15 पद (पाँच सहायक आयुक्त, पाँच वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा पाँच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी) स्वीकृत किए गए थे। तथापि, पंजीयत व्यवसाइयों तथा कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि, जाँच चौकियों की स्थापना तथा उपलब्ध स्टाफ को राजस्व कार्य में लगाये जाने के कारण, जहाँ तक कर निर्धारणों की आन्तरिक लेखापरीक्षा का सम्बंध है, आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कार्य नहीं कर रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान, केवल स्थापना अभिलेखों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई।

2.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान वाणिज्यिक कर से सम्बंधित 102 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 872 प्रकरणों में अन्तर्निहित राशि ₹ 128.02 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें दृष्टिगत हुई जिन्हें आगामी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली (निष्पादन लेखापरीक्षा)**	1	49.30
2.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	255	19.12

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	कर की गलत दर लागू किया जाना	220	15.83
4.	कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण	71	10.28
5.	छूट/कटौती की गलत स्वीकृति	126	9.74
6.	अन्य अनियमिततायें	199	23.75
	योग	**872**	**128.02**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 341 प्रकरणों में राशि ₹ 5.30 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान 3 प्रकरणों में राशि ₹ 1.17 लाख की वसूली की गयी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने एक प्रारूप कंडिका के माध्यम से इंगित किये गये अंतर्राज्यीय विक्रय से सम्बंधित एक प्रकरण में, जो प्रपत्र सी द्वारा समर्थित नहीं था, सम्पूर्ण राशि ₹ 58,009 वसूल की।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा **"वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली"** जिसमें ₹ 49.30 करोड़ का राजस्व प्रभाव अन्तर्निहित है तथा ₹ 11.76 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

2.10 वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली

प्रमुख अंश

- 1,70,881 प्रकरणों के सम्बंध में बकाया राशि ₹ 28,846 करोड़ (1 अप्रैल 2011 को कुल बकाया राशि का 54.44 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक अवधि से वसूली हेतु लम्बित थे।

(कंडिका 2.10.6.3)

- पृथक वसूली तंत्र के अभाव के कारण बढ़ती हुई बकाया राशि एवं वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब।

(कंडिका 2.10.7)

- 38 प्रकरणों में अंतर्निहित बकाया कर राशि ₹ 2.86 करोड़ की वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने में चार वर्ष छः माह तक का विलम्ब।

(कंडिका 2.10.9)

- विभाग द्वारा राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने में विलम्ब एवं अपर्याप्त कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप 31 प्रकरणों में ₹ 28.44 करोड़ की बकाया राशि वसूल नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.11)

- शासकीय परिशोधक के पास लम्बित प्रकरणों का अनुसरण करने में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप तीन प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ की बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.12)

- विभाग ने छः प्रकरणों में सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.12 लाख की बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई ।

(कंडिका 2.10.13)

- कुर्क की गई सम्पत्तियों को नीलाम करने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 12 व्यवसाइयों से बकाया राशि ₹ 7.11 करोड़ प्राप्त नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.14)

- विभाग द्वारा बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित प्रकरणों में संशोधित ऋण पुनर्वास योजना (एम.डी.आर.एस.) के प्रस्तुतीकरण की अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई जिनमें ₹ 3.29 करोड़ की बकाया राशि की वसूली अंतर्निहित थी ।

(कंडिका 2.10.15)

2.10.1 प्रस्तावना

विक्रय, व्यापार आदि पर कर/मूल्य संवर्धन कर (वैट) राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत रहा है तथा वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व (₹ 21,419.33 करोड़) का 47.89 प्रतिशत (₹ 10,256.76 करोड़) था। मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (अधिनियम), जो 31 मार्च 2006 तक अस्तित्व में था, का स्थान 1 अप्रैल 2006 से मध्य प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002 (मध्य प्रदेश वैट अधिनियम) ने ले लिया । अधिनियम और उसके सह अधिनियम के साथ–साथ उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियम विक्रय/क्रय पर कर के आरोपण एवं उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधान को शासित करते हैं। कर भुगतान के दायित्वाधीन प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा उसके द्वारा देय कर के भुगतान के प्रमाण के साथ, निर्धारित आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं।

अधिनियम/मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा निर्धारित कर मांग के नोटिस में उल्लेखित तरीके एवं अवधि में भुगतान किया जाना अपेक्षित है। मांग से असंतुष्ट व्यवसायी द्वारा निर्धारित तरीके से अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। मांग नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में निर्धारिती की विफलता की स्थिति में विभाग द्वारा असंदत्त राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की तरह की जाती है। राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) के संस्थापन के पश्चात जारी मांग नोटिस में उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो चूककर्ता की सम्पत्ति का कुर्की आदेश (आर्डर ऑफ अटेचमेन्ट) जारी किया जाना अपेक्षित है एवं कुर्क की गई सम्पत्ति की नीलामी करने के उपरान्त विक्रयागम प्राप्त से बकाया राशि की वसूली की जा सकती है।

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 24(11)(ख) के अनुसार, कर शास्ति, ब्याज की राशि एवं राजसात की गई राशि, जो किसी व्यवसायी पर बकाया है एव उससे भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य है, को वसूल करने के उद्देश्य से आयुक्त, वाणिज्यिक कर (सी.सी.टी.) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (एम पी एल आर सी) के अन्तर्गत प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेगा एवं समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

हमने **"वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें कई प्रणालीगत एवं अनुपालन सम्बंधी कमियाँ प्रकट हुई ।

2.10.2 संगठनात्मक संरचना

प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है । वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त, वाणिज्यिक कर (सी.सी.टी.) के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है जिसकी ऐसे कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए जो उसे अधिनियम के अंतर्गत सौंपे जायें, अपर आयुक्त,

वाणिज्यिक कर (एडिशनल सी.सी.टी.) उपायुक्त (डी.सी.सी.टी.), सहायक आयुक्त (ए.सी.सी.टी.), वाणिज्यिक कर अधिकारी (सी.टी.ओ.), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (ए.सी.टी.ओ.), वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सी.टी.आई) द्वारा की जाती है। विभाग पाँच क्षेत्रों में विभाजित है प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख एडिशनल सी.सी.टी. होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, कुल 15 संभागीय कार्यालय हैं जिनके प्रमुख डी.सी.सी.टी. होते हैं और इन संभागों के अन्तर्गत कुल 80 वृत्त कार्यालय हैं जिसके प्रमुख सी.टी.ओ./ए.सी.सी.टी. होते हैं। बकाया को भू–राजस्व बकाया की भांति वसूल किये जाने के उद्देश्य से सी.टी.ओ. एवं ए.सी.टी.ओ. उन सारी शक्तियों का उपयोग करते हैं और उन सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत तहसीलदार को प्राप्त होते हैं। व्यवसायी द्वारा जमा न की गई कर की बकाया राशि के संबंध में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) जारी करने हेतु प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली किये जाने की कार्यवाही सी.टी.ओ./ ए.सी.टी.ओ. द्वारा संस्थापित की जाती है । आवधिक विवरणियों के माध्यम से सी.सी.टी. द्वारा कर की वसूली की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है।

2.10.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु हमने चयनित सात संभागों[2], के 38 वृत्तों में से 30 वृत्तों के अवधि 2006–07 से 2010–11 से सम्बंधित अभिलेखों का जनवरी तथा अगस्त 2012 के मध्य परीक्षण किया । संभागों को साधारण यादृच्छिक सैम्पलिंग विधि के आधार पर चयनित किया गया। अभिलेखों की नमूना जाँच के लिए वृत्तवार बकाया राजस्व को चयन का आधार माना गया।

2.10.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि :

- क्या कर की बकाया राशि के संग्रहण की प्रणाली प्रभावी एवं पर्याप्त है;
- क्या अधिनियम/म.प्र. वैट अधिनियम में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये वसूली से सम्बंधित नियमों का उचित प्रकार से पालन किया जा रहा है; तथा
- क्या राजस्व बकाया की त्वरित वसूली हेतु पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण प्रणाली विद्यमान है।

[2] भोपाल संभाग I व संभाग II, ग्वालियर संभाग I, इन्दौर संभाग I, II व III और जबलपुर संभाग II.

2.10.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किये गये सहयोग को स्वीकार करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा विभाग के अन्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जुलाई 2012 में एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें हमने संभागों के चयन तथा लेखापरीक्षा के क्षेत्र, उद्देश्यों और कार्य प्रणाली से अवगत कराया। प्रारूप निष्पादन प्रतिवेदन सितम्बर 2012 में शासन तथा विभाग को अग्रेषित किया गया। निर्गम सम्मेलन सितम्बर 2012 में आयोजित किया गया। शासन का प्रतिनिधित्व उप सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने किया तथा वाणिज्यिक कर आयुक्त एवं वाणिज्यिक कर अपर आयुक्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। शासन/विभाग के प्रत्युत्तरों को, जहाँ भी प्राप्त हुए हैं, सम्मिलित किया गया है।

2.10.6 बकाया की स्थिति

2.10.6.1 निम्नलिखित तालिका अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान अधिनियम/वैट अधिनियम के अन्तर्गत बकाया राजस्व के प्रारम्भिक शेष, उसमें वृद्धि, कमी तथा अंतशेष को प्रदर्शित करती है :

(₹ करोड़ में)

	बकाया के वसूली की स्थिति			
वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**वृद्धि**	**निकासी**	**अंत शेष**
2006-07	759.30	702.79	877.84	584.25
2007-08	584.25	739.77	752.48	571.54
2008-09	571.54	1086.23	1111.73	546.04
2009-10	546.04	1206.32	1165.41	586.95
2010-11	586.95	1214.02	1271.17	529.80

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, बकाया राशि जो 2006–07 में ₹ 584.25 करोड़ थी, वर्ष 2010–11 में घटकर ₹ 529.80 करोड़ रह गई।

2.10.6.2 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2011 के अन्त में बकाया की वसूली निम्नलिखित स्तरों पर लम्बित थी :

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	**राजस्व की वसूली के विभिन्न स्तर**	**मार्च 2011**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई राशि	49.76
2.	किस्तों में अंतर्निहित राशि	1.47
3.	राज्य के अन्दर आर.आर.सी.	17.19

(1)	(2)	(3)
4.	राज्य के बाहर आर.आर.सी.	83.32
5.	वसूली हेतु उपलब्ध बकाया[3]	62.82
6.	बंद व्यवसाय में अंतर्निहित राशि जिन मामलों में चूककर्ता/संपत्ति की तलाश की जा रही है।	106.71
7.	चल सम्पत्ति की कुर्की में अंतर्निहित राशि	0.62
8.	अचल सम्पत्ति की कुर्की में अंतर्निहित राशि	90.60
9.	अपलेखन हेतु प्रतीक्षित राशि	11.51
10.	बीमार इकाइयों या बी.आई.एफ.आर. में अंतर्निहित राशि	105.80
योग		**529.80**

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता कि ऐसी बकाया राशि जिसमें आर.आर.सी. जारी किये जा चुके हैं, जिन मामलों में चूककर्ता/सम्पत्ति की तलाश की जा रही है, चल, अचल सम्पत्तियों की कुर्की में अंतर्निहित राशि के मामले एवं वसूली के लिए उपलब्ध बकाया मिलकर कुल राशि ₹ 277.94 करोड़ (कुल बकाया राशि का 52.46 प्रतिशत) है। इस प्रकार कुल बकाया का 52.46 प्रतिशत विभागीय स्तर पर लम्बित है।

2.10.6.3 विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2011 को राजस्व के बकाया का अवस्थावार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

बकाया की आवधिकता	प्रकरणों की संख्या	राशि	बकाया का प्रतिशत
10 वर्ष से अधिक समय से बकाया	86,942	175.06	32.95
5 से 10 वर्ष तक बकाया	83,939	113.40	21.35
2 से 5 वर्ष तक बकाया	75,548	100.23	18.87
1 से 2 वर्ष तक बकाया	58,712	62.07	11.69
1 वर्ष से कम समय से बकाया	1,13,124	80.40	15.14
योग	**4,18,265**	**531.16**[4]	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 1,70,881 प्रकरणों से सम्बंधित बकाया की राशि ₹ 288.46 करोड़ (कुल राशि का 54.44 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से वसूली हेतु लम्बित थी।

पांच वर्षों से अधिक पुराने प्रकरणों के सम्बंध में विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है जिससे उक्त बकाया राशि को समय व्यतीत हो जाने के कारण वसूल नहीं हो पाने के जोखिम से रोका जा सके।

3 यह बकाया वृत्त के अन्दर वसूली योग्य थे तथा वाद/अपील से मुक्त थे ।

4 वर्ष 2010–11 के अन्त में अंत शेष के रूप में दी गई बकाया की जानकारी कुल बकाया राशि से भिन्न थी । हमारे द्वारा अनुरोध के बावजूद, विभाग ने भिन्नता के कारणों से अवगत नहीं कराया (सितम्बर 2012) ।

2.10.6.4 लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने विशेष अभियानों के माध्यम से बकाया की वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा समय–समय पर अक्टूबर 2006 एवं अक्टूबर 2010 में इस सम्बंध में अनुदेश जारी किये। इन अनुदेशों के अनुसार, बकाया के अन्त शेष को उसी वर्ष के बकाया के पूर्व शेष से कम होना चाहिए। बकाया के प्रारंभिक शेष में उक्त कमी के सम्बंध में वर्ष 2006–07 हेतु 33 प्रतिशत, वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 हेतु 35 प्रतिशत एवं वर्ष 2010–11 हेतु 10 प्रतिशत का विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया लेकिन वर्ष 2009–10 के लिए प्रारम्भिक शेष में कमी से सम्बन्धित कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। वर्ष 2007–08 से 2010–11 हेतु लागू अनुदेशों में तीन तथ्य समान थे अर्थात गत वर्ष के प्रारम्भ में लंबित बकाया में से 20 प्रतिशत, गत वर्ष में सृजित बकाया का 80 प्रतिशत एवं चालू वर्ष के बकाया का 100 प्रतिशत वसूल किया जाना चाहिये । इस सम्बंध में विभाग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अन्त शेष	अन्तर (+) वृद्धि/(–) कमी	लक्ष्य प्रतिशत जिसके द्वारा अन्त शेष को पूर्व शेष से कम होना चाहिए	लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत में(2) से (4) का
1	2	3	4	5	6
2006-07	759.30	584.25	(-) 175.05	33	23.05
2007-08	584.25	571.45	(-) 12.80	35	2.19
2008-09	571.45	546.04	(-) 25.41	35	4.45
2009-10	546.04	586.95	(+) 40.91		--
2010-11	586.95	529.80	(-) 57.15	10	9.74

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अवधि 2006–07 से 2008–09 में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। वर्ष 2009–10 में बकाया में 2008–09 की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विभाग ने दिसम्बर 2012 में बताया कि म.प्र. वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों एवं निरीक्षकों द्वारा बकाया वसूली कार्य के अलावा राजस्व संग्रहण, प्रशासनिक कार्य, कर निर्धारण, सर्वेक्षण कार्य एवं समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी किये जाते हैं। विभागीय कर्मचारी जनगणना, चुनाव कार्य एवं अन्य शासकीय योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य में भी लगे रहते हैं।

प्रणालीगत एवं अनुपालन सम्बंधी कमियां

2.10.7 पृथक वसूली तंत्र का अभाव

अधिनियम/म.प्र. वैट अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर अधिकारी/अपर वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, बकाया की वसूली हेतु उत्तरदायी हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारियों, अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा वसूली कार्य के अलावा राजस्व संग्रहण, कर निर्धारण एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये तत्सम्बंधी कार्य भी किये जाते हैं। बढ़ती हुई बकाया राशि की वसूली हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में पृथक वसूली कक्ष या वसूली तंत्र के अभाव में वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब हुआ, जैसा कि आगे कंडिका क्रमांक 2.10.9 में उल्लेख किया गया है ।

शासन को बकाया की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु एक समर्पित वसूली तंत्र की स्थापना पर विचार करना चाहिए।

2.10.8 निर्धारित पंजियों का संधारण नहीं किया जाना/अनियमित रखरखाव

विक्रय कर मैनुअल, खंड II (मैनुअल) के भाग–एक के अंतर्गत निर्धारित अनुलग्नक II एवं III में दिये गये प्रपत्र में प्रत्येक कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रमशः संस्थापित प्रकरणों की पंजी एवं कर निर्धारण प्रकरणों की निराकरण पंजी संधारित की जानी अपेक्षित है। संस्थापित प्रकरणों, कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण एवं राजस्व बकाया इत्यादि की वसूली पर समुचित निगरानी हेतु इन पंजियों का संधारण आवश्यक है। पुनः प्रत्येक कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन पंजियों के आधार पर प्रत्येक माह के दौरान संस्थापित प्रकरणों, प्रकरणों के कर निर्धारण, मांग, संग्रहण एवं बकाया राशि की जानकारी देने वाली एक टेबल डायरी तैयार कर अपने निकटतम उच्चतर प्राधिकारी को आगामी माह की 10 तारीख के पूर्व प्रेषित की जानी चाहिये।

30 चयनित वृत्तों में पाया गया कि संस्थापित प्रकरणों की पंजी एवं कर निर्धारण प्रकरणों की निराकरण पंजी की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि किसी भी वृत्त में पंजियाँ निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं की जा रही थीं । पुनः 18 वृत्तों में हमने देखा कि 716 प्रकरणों में मांग पत्र जारी दिनांक, मांग पत्र तामील दिनांक, आर.आर. सी. संख्या एवं आर.आर. सी. जारी दिनांक एवं

आर.आर.सी. मांग पत्र जारी दिनांक तथा आर.आर.सी. माँग पत्र तामील दिनांक इत्यादि के लिए 716 प्रकरणों में निर्धारित कॉलम रिक्त पाये गये। विवरण आगामी तालिका में दिया गया है :

स. क्र.	वृत्त/संभाग	व्यवसाइयों की संख्या	नहीं भरेगये कालम				
			मांग पत्र जारी दिनांक	मांग पत्र तामील दिनांक	आर.आर.सी. संख्या एवं आर.आर.सी. जारी दिनांक	आर.आर.सी. मांग पत्र जारी दिनांक	आर.आर.सी. मांग पत्र तामील दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	वा.क.अ., वृत्त XI, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	29	14	18	11	13	24
2	वा.क.अ., वृत्त XII, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	29	29	29	29	29	29
3	वा.क.अ., वृत्त XIV, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	39	02	39	18	39	39
4	वा.क.अ., वृत्त III, इन्दौर/ संभाग II इन्दौर	20	17	20	14	20	20
5	वा.क.अ., वृत्त VI, इन्दौर/ संभाग II इन्दौर	17	-	17	-	17	17
6	वा.क.अ., वृत्त I, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	31	02	31	10	31	31
7	वा.क.अ., वृत्त II, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	51	51	51	16	51	51
8	वा.क.अ., वृत्त V, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	47	47	47	02	47	47
9	वा.क.अ., वृत्त XIII, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	54	-	-	-	18	21
10	वा.क.अ., वृत्त IX, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	48	48	48	29	48	48
11	वा.क.अ., वृत्त VIII, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	36	36	36	36	36	36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	वा.क.अ., वृत्त XV, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	86	-	86	19	78	78
13	वा.क.अ., वृत्त VII, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	42	-	06	-	12	12
14	वा.क.अ., वृत्त IV, इन्दौर/ संभाग II इन्दौर	41	-	07	01	06	28
15	वा.क.अ., वृत्त I, ग्वालियर/ संभाग I ग्वालियर	10	01	10	09	10	10
16	वा.क.अ., वृत्त III, ग्वालियर/ संभाग I ग्वालियर	64	-	15	35	35	46
17	वा.क.अ., वृत्त IV, ग्वालियर/ संभाग I ग्वालियर	33	06	27	10	10	33
18	वा.क.अ., वृत्त II, ग्वालियर/ संभाग I ग्वालियर	39	10	39	05	05	39
योग		**716**	**263**	**526**	**244**	**505**	**609**

(स्रोतः लेखापरीक्षा में वृत्तों के कर निर्धारण प्रकरणों की निराकरण पंजी से संकलित जानकारी)

पंजियों का संधारण/अद्यतन नहीं किये जाने से प्रभावी परिवीक्षण का अभाव तथा वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब परिलक्षित होता है जिससे राजस्व बकाया की वसूली प्रभावित हुई ।

2.10.9 वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मांग पत्र तामील होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर व्यवसायी द्वारा निर्धारित कर जमा किया जाना अपेक्षित है। जिसमें विफल रहने पर राशि को भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जाना चाहिए। पुनः आयुक्त वाणिज्यिक कर के नवम्बर 1992 के परिपत्र के अनुसार यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो पत्र की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर आर.आर.सी संस्थापित की जा सकती है।

वाचक अनुभाग के वाचक द्वारा कर निर्धारण/आर.आर.सी. के मांग पत्र तीन दिवस के अन्दर तैयार कर प्रोसेस सर्वर अनुभाग को इसके तामील हेतु भेजा जाना चाहिए, पुनः ऐसे मांग पत्रों को प्राप्ति के सात दिवस के अन्दर व्यवसायी के पते पर तामील कराया जाना चाहिए।

पूर्व कंडिका में वर्णित 716 प्रकरणों में से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 457 प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि 38 प्रकरणों में जिनमें ₹ 2.86 करोड़ की बकाया राशि अंतर्निहित थी, में मांग पत्रों के जारी नहीं किये जाने/विलम्ब से जारी किये जाने/मांग पत्रों के तामील में विलम्ब या आर.आर.सी. के जारी होने/संस्थापन में विलम्ब के कारण वसूली की कार्यवाही चार वर्षों तक विलम्बित हुई। कुछ उदाहरात्मक प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

स. क्र.	वृत्त/संभाग का नाम	कर निर्धारण की अवधि (प्रकरण संख्या)/कर निर्धारण दिनांक	व्यवसायी/ राशि (₹लाख में)	मांग पत्र जारी/ तामील दिनांक	दिनांक जिस पर आर.आर.सी. संस्थापित किया जाना चाहिए था/दिनांक जिस पर आर.आर.सी. जारी या संस्थापित की गई	मांग पत्र (आर.आर.सी.) जारी/तामील दिनांक	अभियुक्तिः– प्रक्रिया जिसमें विलम्ब हुआः 1. कर निर्धारण पश्चात मांग पत्र जारी करना 2. कर निर्धारण पश्चात जारी मांग पत्र तामील करना 3. आर.आर.सी. का निर्गम/संस्थापन किया जाना 4.आर.आर.सी.संस्थापनके पश्चात मांग पत्र जारी किया जाना 5. आर.आर.सी. संस्थापन के पश्चात मांग पत्र तामील किया जाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	वृत्त XI/संभाग II, इन्दौर	2000-01 (40/01)/ 19.01.07	मेसर्स आदर्श आर्किटेक्चर प्राइवेट लिमिटेड/1.87	19.01.07/ 03.07.07	02.09.07/ 08.08.07	15.02.12/ 16.02.12	2 – पांच माह सात दिन 4 – चार साल छः माह चार दिन
2	वृत्त IV/संभाग I ग्वालियर	2007-08 (584/08)/ 26.07.10	मेसर्स सागर इण्टरप्राइजेज/ 10.32	31.07.10/ 07.08.10 (तिथि उपलब्ध नहीं, किन्तु बकाया)	07.09.10/ 14.10.10/	17.10.10 (तिथि उपलब्ध नहीं, किन्तु 30.07.11 से बकाया)	1 – जो दिन 3 – एक माह सात दिन 5 – नौ माह छः दिन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	वृत्त IV/संभाग I ग्वालियर	2003-04 (642/07 R)/ 29.12.09	मेसर्स ओम्टेक पेरीकेरल्स/5.41	01.01.10 (तिथि उपलब्ध नहीं, किन्तु लम्बित) 28.02.10	02.05.10/ 30.08.10	30.07.11/ 14.09.11	2 – एक माह तीस दिन से 3 – तीन माह अट्ठाइस दिन 4 – 10 माह सत्ताइस दिन से 5 – एक माह दस दिन से
4	वृत्त III/संभाग I ग्वालियर	2006-07 (288/07)/ 27.06.09	मेसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी/15.63	27.06.09/ 20.08.09	20.10.09/ 19.07.10	02.04.11/ 25.04.11	2 – एक माह 16 दिन से 3 – आठ माह 29 दिन से 4 – आठ माह 11 दिन से 5 – 16 दिन से
5	वृत्त III/संभाग I ग्वालियर	2006-07 (238/07)/ 27.06.09	मेसर्स पूजा ट्रेडिंग कम्पनी/39.14	27.06.09/ 04.09.09	04.11.09/ 19.07.10	02.04.11/ 26.04.11	2 – दो माह से 3 – आठ माह 15 दिन से 4 – आठ माह 11 दिन से 5 – 17 दिन से
6	वृत्त III/संभाग I ग्वालियर	2002-03 (28/07 R)/ 03.12.09	मेसर्स सुपर फूड/21.48	07.12.09/ 21.06.10	21.08.10/ 28.06.10	15.03.11/ 29.03.11	2 – छः माह सात दिन से 4 – सात माह 20 दिन से 5 – सात दिन से

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर वृत्त चार संभाग – 1 ग्वालियर के कर निर्धारण प्राधिकारी ने जून 2012 में बताया कि अधिकतर कर्मचारियों के जनगणना एवं अन्य सम्बंधित कार्यों में संलग्न रहने के कारण अभिलेखों में जानकारियों के अद्यतन कराये जाने का कार्य नहीं कराया जा सका, जिसे करा लिया जायेगा। ग्वालियर के वृत्त I एवं II के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने पुनः दिसम्बर 2012 में अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाये जाने के पश्चात एक प्रकरण में आर.आर.सी. संस्थापित कर दी गई है और बचे हुए प्रकरणों में माह जून एवं दिसम्बर 2012 के मध्य आर.आर.सी. संस्थापन करने के पश्चात मांग पत्र जारी कर तामील कर दी गई है। शेष कर निर्धारण प्राधिकारियों ने जून 2012 में बताया कि अभिलेखों में जानकारियों को अद्यतन कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात इस प्रकरण में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.10 राज्य के अन्दर अन्य वृत्तों को प्रेषित किये गये राजस्व वसूली प्रकरणों का अनुशीलन नहीं किया जाना

जब चूककर्ता की सम्पत्ति, चूककर्ता के वृत्त के क्षेत्राधिकार में न होकर किसी अन्य वृत्त के क्षेत्राधिकार में होती है, तो चूककर्ता के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उस वृत्त, जिसमें चूककर्ता की सम्पत्ति अवस्थित है, के राजस्व प्राधिकारी को राजस्व वसूली (आर.आर.) अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया की वसूली हेतु निवेदन करना चाहिए। इस हेतु राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों (आर.आर.सी.) को चूककर्ता की सम्पत्ति जहाँ स्थित है वहां के राज्य के जिलों के कलेक्टरों को अग्रेषित करना आवश्यक है।

चयनित संभागों के 110 व्यवसाइयों की वसूली फाइलों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि विभाग द्वारा तीन संभागों के 13 व्यवसाइयों के प्रकरणों में विभाग द्वारा राज्य के अंदर अन्य वृत्त के राजस्व प्राधिकारियों को ₹ 5.48 करोड़ के बकाया की वसूली

भू–राजस्व के बकाया की भांति हेतु माह जनवरी 99 एवं मार्च 11 के मध्य आर.आर.सी. संप्रेषित की गई थी। तथापि, इसके बाद संबंधित प्राधिकारियों के साथ इन प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया । कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली प्रकरणों का अनुसरण नहीं किये जाने के कारण निम्नानुसार तालिका में दर्शाये 13 प्रकरणों में कुल राशि ₹ 5.48 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी :

स.क्र.	व्यवसायी का विवरण	बकाया की अवधि	बकाया की राशि (₹ लाख में)	वृत्त/संभाग जहां से आर.आर.सी. प्रेषित की गई	वृत्त जहां आर.आर.सी. भेजी गई	प्रेषित किये जाने की तिथि से स्मरण पत्र की तिथि	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1.	मेसर्स सटल कत्था एण्ड केमिकल्स	1992-93, 1997-2002	11.11	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III इन्दौर	राजगढ़/उपायुक्त, वा.कर, उज्जैन	04.07.2006/ निरंक	अन्य वृत्तों को आर.आर. सी. प्रेषित किये जाने के बाद प्रकरणों के अनुसरण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
2.	मेसर्स माया रिफनर्स लिमिटेड	1997-99, 2000-03	194.59	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III, इन्दौर	खण्डवा संभाग	19.01.2006/ निरंक	
3.	मेसर्स स्टरलिंग कुक शेड ब्रिक्स लिमिटेड	1993-95	4.55	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III इन्दौर	खरगौन/उपायुक्त, वा.कर, खण्डवा	22.09.2004/ निरंक	
4.	मेसर्स स्टरलिंग स्ट्रक्चर लिमिटेड	1996-97	0.53	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III इन्दौर	धार वृत्त – 1	24.09.2001/ निरंक	
5.	मेसर्स महावीर एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	1989-94,	23.03	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III इन्दौर	उपायुक्त, वा.कर, उज्जैन/देवास वृत्त	10.11.2006/ निरंक	
6.	मेसर्स जे.डी. इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	2002-03	14.53	वा.क.अ., वृत्त I/संभाग I इन्दौर	उपायुक्त, वा.कर, उज्जैन	28.10.2005/ निरंक	
7.	मेसर्स दधीचि टिम्बर सप्लायर्स, इन्दौर	1995-99	93.83	वा.क.अ., वृत्त I/संभाग I इन्दौर	उपायुक्त, वा.कर, रतलाम	16.10.2001/ 27.08.2004	स्मरण पत्र जारी किये जाने के पश्चात प्रकरणों के अनुसरण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
8.	मेसर्स वर्मा टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1989-93	0.07	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	16.02.2011/ 17.03.2011	
9.	मेसर्स एस.के.टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1988-93	73.79	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	16.02.2011/ 17.03.2011	
10.	मेसर्स एस.के.टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1988-93	0.62	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	23.03.2007/ 17.03.2011	
11.	मेसर्स एस.के.टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1988-93	0.03	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	23.03.2007/ 17.03.2011	
12.	मेसर्स एस.के.टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1988-93	0.04	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	23.03.2007/ 17.03.2011	
13	मेसर्स ऊर्जा केबल्स एण्ड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	1998-99	130.99	वा.क.अ., वृत्त I/संभाग I भोपाल	मण्डीदीप एवं निदिश	मार्च 2012	
योग			**547.71**				

हमारे द्वारा मामले इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जून एवं जुलाई 2012 में बताया गया कि वसूली हेतु स्मरण पत्र जारी किये जायेंगे, पुनः इस मामले में कोई प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.11 अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये राजस्व वसूली प्रकरणों का अनुशीलन नहीं किया जाना

जब चूककर्ता की सम्पत्ति इस राज्य में स्थित न होकर किसी अन्य राज्य में स्थित होती है तो चूककर्ता के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उस राज्य के, जिसमें चूककर्ता की सम्पत्ति अवस्थित है, राजस्व प्राधिकारी को राजस्व वसूली, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया की वसूली हेतु निवेदन करना चाहिए। इस हेतु राज्य के उन जिलों के, जिनमें चूककर्ता की सम्पत्ति है, कलेक्टर्स को आर.आर.सी. प्रेषित की जानी अपेक्षित है। आगे, आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अन्य राज्यों को प्रेषित आर.आर.सी. के अनुशीलन हेतु विभिन्न वाणिज्यिक कर अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किया गया था (जुलाई 2011)।

चयनित संभागों के 191 व्यवसाइयों की वसूली नस्तियों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि तीन संभागों[5] के 29 व्यवसाइयों के 31 प्रकरणों में बकाया राजस्व की वसूली भू–राजस्व के बकाया की वसूली की भांति किये जाने हेतु अन्य राज्यों के राजस्व प्राधिकारियों को विभाग द्वारा नवम्बर 1996 एवं जनवरी 2010 के मध्य आर.आर.सी. प्रेषित की गई थी। तथापि, इन प्रकरणों पर अनुवर्तन कार्यवाही नहीं हुई। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आर.आर.सी. अनुशीलन न किये जाने के कारण परिशिष्ट–I में दर्शाये अनुसार ₹ 28.44 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने जून एवं जुलाई 2012 में बताया कि स्मरण पत्र जारी किये जायेंगे/आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इन प्रकरणों के बारे में आगे प्रगति के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

दूसरे राज्य के अपने समकक्षों जिन्हें आर.आर.सी. प्रेषित की गई है के साथ नियमित समन्वय किये जाने से सम्बंधित प्रणाली विकसित करने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है।

[5] भोपाल संभाग I, इन्दौर संभाग II एवं इन्दौर संभाग III.

2.10.12 शासकीय परिशोधक के समक्ष दावा प्रस्तुत नहीं किया जाना/प्रस्तुत दावे का अनुसरण नहीं किया जाना

कम्पनी अधिनियम की धारा 448 के अन्तर्गत शासकीय परिशोधक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शासकीय परिशोधक का प्राथमिक कार्य परिसमापन/विघटन होने वाली कम्पनी के सारी परिसम्पत्तियों को विक्रय कर एवं अन्य प्राप्तियों को प्राप्त कर कम्पनी के समस्त देनदारियों का समाशोधन करना एवं बची हुई राशि को विघटित हुई कम्पनी के अंशधारकों के मध्य वितरित कर कम्पनी का विघटन/परिसमापन करना है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 (आई)(ए) के अनुसार कम्पनी द्वारा केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारियों को देय राजस्व एवं कर इत्यादि, जो नियत दिनांक के 12 माह के अन्दर भुगतान हेतु देय हो, के भुगतान को प्राथमिकता दी जायेगी।

संभाग III इन्दौर के वृत्त IX की वसूली नस्तियों की (जून 2012) नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि निम्नलिखित तीन प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ की राशि बकाया थी :

स.क्र.	व्यवसायी	बी.आई.एफ.आर. का प्रकरण क्रमांक	अवधि	बकाया (₹ लाख में)
1.	मेसर्स एच.एम.पी. इन्जीनियरिंग, इन्दौर	164/1998	1992–93 से 1996–97	62.25
2.	मेसर्स धीरज पोलीपैक प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर	39/1996 एवं 2104/2004	1992–93 से 1998–99	44.38
3.	मेसर्स मोदी स्टोन लिमिटेड, इन्दौर	32/1998	1995–96 से 1998–99	43.26
			योग	**149.89**

उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकरण बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकन्स्ट्रक्शन (बी.आई.एफ.आर.) के अन्तर्गत पंजीकृत थे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर बेन्च ने उक्त प्रकरणों में शासकीय परिशोधक नियुक्त किया था। दिसम्बर 2008 में आयुक्त वाणिज्यिक कर ने निर्धारित तरीके से शासकीय परिशोधक के समक्ष उक्त कम्पनियों से सम्बंधित दावा प्रस्तुत करने हेतु संभागीय कार्यालय को निर्देशित किया था, जिसे लेखापरीक्षण तिथि (जून 2012) तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही न किये जाने के कारण ₹ 1.50 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

2.10.13 कुर्की[6] आदेश का जारी नहीं किया जाना

विभागीय निर्देश (नवम्बर 1992) के अनुसार आर.आर.सी. संस्थापन के पश्चात जारी मांग पत्र की सूचना के अनुपालन में यदि कोई व्यवसायी बकाया राशि को जमा कराने में असफल रहता है तो चल सम्पत्तियों के मामले में सात दिन एवं अचल सम्पत्तियों के मामले में 15 दिनों के पश्चात कुर्की आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है।

भोपाल संभाग I के वृत्त I एवं वृत्त II एवं जबलपुर संभाग I के वृत्त I, कटनी की वसूली नस्तियों की जुलाई एवं अगस्त 2012 में किये गये नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि छः प्रकरणों में जून 2007 एवं अक्टूबर 2011 के मध्य आर. आर.सी. संस्थापन के पश्चात या मांग पत्र जारी होने के पश्चात विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। विभाग द्वारा सम्पत्ति जब्त करने और जब्त सम्पत्ति को नीलाम कर वसूली किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप निम्नानुसार ₹ 62.12 लाख के बकाया की वसूली नहीं हो सकी :

स.क्र.	वृत्त/ संभाग	व्यवसायी का नाम	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	बकाया की राशि (₹ लाख में)	आर.आर.सी. मांग पत्र जारी होने की तारीख	कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वृत्त I/ संभाग I भोपाल	मेसर्स अमर दाल मिल	2005–06/ उपलब्ध नहीं	1.14	21.09.11	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अक्टूबर 2012 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य कुर्की आदेश जारी किया गया।
2	वृत्त I/ संभाग I भोपाल	मेसर्स लीजेन्ड मार्केटिंग	2006–07/ 27.06.09	2.14	09.08.11	
3	वृत्त I/ संभाग I भोपाल	मेसर्स के.के. एम. रोल्स	2008–09/ 20.05.11	3.37	27.08.11	
4	वृत्त I/ संभाग I भोपाल	मेसर्स बैट्री पावर प्वाइंट	2008–09/ 05.05.11	1.34	01.10.11	
5	वृत्त II/ संभाग I भोपाल	मेसर्स देव ज्योति सिंडिकेट	2003–05 एवं 2006,07 जनवरी 2008 से जून 2009	17.56	जून 2007 से जनवरी 2011	

[6] सम्पत्ति जब्त करने का एक आदेश।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	वृत्त I कटनी/संभाग II जबलपुर	मेसर्स बेवर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	2007–08/ दिसम्बर 2008	36.57	04.03.11	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि व्यवसायी की अचल सम्पत्ति पता लगाने हेतु वाणिज्यिक कर निरीक्षक को निर्देशित किया गया है जो प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी बताया गया कि व्यवसायी के स्थाई पता के आधार पर आर.आर.सी. जयपुर (राजस्थान) भेजने की कार्यवाही की जा रही है।
योग				**62.12**		

प्रकरण में आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.14 कुर्क की गई सम्पत्ति के नीलामी में विलम्ब के कारण निर्धारित कर के बकाया की वसूली नहीं होना।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय राशि का भुगतान हेतु विहित अवधि के अवसान पर भी यदि बकाया रहती है तो मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के अनुसार चूककर्ता की चल या अचल अचल सम्पत्ति के कुर्क एवं विक्रय कर की जानी चाहिए।

चयनित संभागों की वसूली नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि (जून 2012 एवं जुलाई 2012) कुर्क की गई सम्पत्ति के नीलामी में विलम्ब के कारण चार संभागों[7] के सात वृत्तों[8] के 12 प्रकरणों में कर निर्धारण की बकाया राशि ₹ 7.11 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण निम्नानुसार है :

7 संभाग I भोपाल, संभाग I ग्वालियर, संभाग I इन्दौर, संभाग III इन्दौर।

8 वृत्त –I भोपाल, वृत्त –V भोपाल, वृत्त –II एवं वृत्त – III, ग्वालियर, वृत्त –IX इन्दौर, वृत्त –XIII इन्दौर एवं वृत्त–XV इन्दौर।

स.क्र.	वृत्त/संभाग लेखापरीक्षा का महीना	व्यवसायी का नाम	बकाया की राशि (₹ लाख में)	बकाया की अवधि/कर निर्धारण दिनांक	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वृत्त IX, इन्दौर, संभाग III जून 2012	मेसर्स पालीव्यू ब	256.95	1992–93 और 2000–01 के बीच/नस्ती में उपलब्ध नहीं	चूंकि व्यवसायी ने बकाया का भुगतान नहीं किया था विभाग ने मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया की वसूली की कार्यवाही जनवरी 2004 में अचल सम्पत्ति को जब्त करने हेतु कुर्की आदेश जारी कर शरू की। वसूली नस्ती से हमें विदित हुआ कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने जनवरी 2005 में वाणिज्यिक कर निरीक्षक को सम्पत्ति का मूल्यांकन कराने हेतु निर्देशित किया। मूल्यांकन का कार्य नवम्बर 2006 में संपादित हुआ जिसमें सम्पत्ति का मूल्य ₹ 4.56 लाख प्राक्कलित हुआ, सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही 14.12.2006 को की गई जिसमें अधिकतम निविदा ₹ 3.81 लाख की प्राप्त हुई जिसे स्वीकार नहीं किया गया उसके बाद विभाग द्वारा दिसम्बर 2009 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर निरीक्षक को सम्पत्ति का मूल्यांकन कराये जाने हेतु पुनः आदेशित किया । आगे, नस्ती में प्रकरण से सम्बंधित कोई सूचना संधारित नहीं पायी गयी एवं बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।
हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर (जून 2012) कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2012) की जब्त की गई सम्पत्ति का मूल्यांकन शासकीय मूल्यांकन कर्ता द्वारा किया जा रहा है एवं व्यवसायी की पंजीयन नस्ती आर्थिक अपराध शाखा इन्दौर के पास होने के कारण व्यवसायी के अन्य सम्पत्तियों का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है तथापि अन्य परिसम्पत्तियों का विवरण म्यूनिसिपल कार्पोरेशन/पंजीयन विभाग में खोजा जा रहा है। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।					
2.	वृत्त XIII, इन्दौर, संभाग III/ जुलाई 2012	मेसर्स नटराज कोल्ड स्टोरेज एवं फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	168.71	2006–07 से 2009–10 तक/नस्ती में उपलब्ध नहीं	व्यवसायी के पास अवधि 2006–07 से सम्बंधित कर राशि ₹ 60.90 लाख बकाया था। व्यवसायी द्वारा बकाया का भुगतान नहीं किये जाने के कारण फरवरी 2010 में व्यवसायी के व्यवसाय परिसर (कोल्ड स्टोरेज एवं भूमि) को जब्त किये जाने के लिए कुर्की आदेश जारी किये गये लेकिन कुर्क की गई सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही (सितम्बर 2010) नहीं की गई। विभाग द्वारा अवधि 2007–08 की बकाया राशि शामिल करते हुए 2007–08 से 2009–10 की अवधि के निर्धारणों से संबंधित ₹ 1.69 करोड़ की समेकित मांग सृजित की गई। अगस्त 2011 में विभाग ने मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता से सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त किया। मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, अनुमानित वसूली योग्य मूल्य ₹ 11 करोड़ था। फरवरी 2012 में आरक्षित मूल्य ₹ 12.10 करोड़ रखते हुए नीलामी की कार्यवाही जिसमें अधिकतम निविदा ₹ 7 करोड़ की प्राप्त हुई जिसे आरक्षित मूल्य से कम होने के कारण विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निविदा अस्वीकार्य करने के पूर्व आयुक्त वाणिज्यिक कर से अनुमति नहीं ली गई, मार्च 2012 मे नीलामी के प्रयास किये जाने के बाद भी नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकी, मार्च 2012 के बाद विभाग द्वारा सम्पत्ति की नीलामी की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शित मूल्य से अधिक का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने मे जिला पंजीयक की सलाह नहीं लेने के सम्बंध में अभिलेखों में कोई जानकारी संधारित नहीं पायी गई, कुर्क की गई सम्पत्ति की नीलामी नहीं किये जाने के कारण राशि ₹ 1.69 करोड़ के शासकीय बकाया की वसूली नहीं हो सकी।
प्रकरण इंगित किये जाने के बाद करदान प्राधिकारी ने जुलाई 2012 में बताया कि कार्यवाही चल रही थी। प्रकरण में आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	वृत्त III, ग्वालियर, संभाग I/ जून 2012	मेसर्स तिरूपति केमिकल्स	61.82	1996–97 से 1998–99/ नस्ती में उपलब्ध नहीं	हमने जून 2012 में यह पाया कि व्यवसायी पर वर्ष 1997–98 अवधि हेतु निर्धारित कर की ₹ 26.14 लाख की राशि बकाया थी। फरवरी 2002 में देय राशियों की वसूली के लिए अचल सम्पत्ति (फैक्ट्री बिल्डिंग प्लान्ट एवं मशीनरी) कुर्क करने का आदेश हुआ था। विभाग ने (अक्टूबर 2005) उपरोक्त राशियों का समावेश करके 1996–97 से 1998–99 की अवधियों हेतु देय राशि ₹ 61.82 लाख का मांग पत्र कलेक्टर कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) को भेजा तथा अक्टूबर 2009 में इसका अनुस्मारक भी भेजा गया। तथापि फरवरी 2002 में कुर्क सम्पत्ति के नीलाम करने की कार्यवाही दिसम्बर 2011 तक नहीं की गई। फाइल की आगे जाँच में दृष्टिगत हुआ कि एक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को फरवरी 2002 में कुर्क की गयी सम्पत्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था (जनवरी 2012)। स्थिति प्रतिवेदन (फरवरी 2012) के अनुसार मौके पर केवल फैक्ट्री बिल्डिंग के अवशेष पाये गये और प्लान्ट एवं मशीनरी का कोई अतापता नहीं था। स्थिति प्रतिवेदन में यह भी वर्णित था कि फैक्ट्री के पड़ोस के निवासियों के कथनानुसार प्लान्ट एवं मशीनरी हटा ले जाने के बाद फैक्ट्री बिल्डिंग तोड़ दी गयी थी। व्यवसाई की सम्पत्ति इस राज्य में स्थित होने के बावजूद राज्य के बाहर मामला सन्दर्भित किया जाना अनापेक्षित था जिसके कारण वसूली नहीं हो सकी। इस प्रकार विभाग प्रकरण – अनुसरण में विफल रहा जिसके कारण ₹ 61.82 लाख की देय बकाया राशि वसूल नहीं हुई।
हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने के बाद (जून 2012) कराधान प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2012 में बताया कि भूमि वास्तव में इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश (ग्वालियर) से सम्बंधित थी जिसका अधिपत्य उन्होनें व्यवसायी से 31.08.2012 में वापस प्राप्त कर लिया है। कराधान प्राधिकारी ने आगे बताया कि व्यवसायी के कलकत्ता वाले पते पर पत्राचार के बाद व्यवसायी का वकील दिनांक 17.12.2012 में उपस्थित हुआ तथा बकाया की वसूली शीघ्र कर ली जायेगी।					
4.	वृत्त IX, इन्दौर, संभाग III/ जून 2012	मेसर्स कोवा स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर	85.79	1989–90 और 1999–2000 के बीच/नस्ती में उपलब्ध नहीं	हमने यह पाया कि व्यवसायी को उसका पंजीयन निरस्त किये जाने के सम्बंध में कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। कारण बताओ सूचना पत्र के अनुसार इकाई पर 1990–92 एवं 1995–2000 की अवधि का ₹ 85.79 लाख बकाया था। तथापि हमने पाया कि अगस्त 2003 में जारी कुर्की वारंट में बकाया की राशि ₹ 12.08 लाख की उल्लिखित थी। आगे, अवधि नवम्बर 2003 से मार्च 2006 के दौरान विभाग द्वारा पांच बार नीलामी के प्रयास किये गये लेकिन कोई निविदा प्राप्त नहीं हुइ, मार्च 2006 से जुलाई 2010 के बीच नीलामी की कार्यवाही उच्च न्यायालय, इन्दौर पीठ के एक आदेश के तहत नहीं की गई लेकिन पाया गया कि विभाग उस प्रकरण में पक्षकार नहीं था, अगस्त 2010 से अक्टूबर 2011 के मध्य विभाग ने कुर्क सम्पत्ति के नीलामी के चार बार प्रयास किये गये । इस प्रकार विभाग ने उस आदेश के आधार पर वसूली की कार्यवाही नहीं की जो आदेश उस पर लागू ही नहीं था। नस्ती में हमने यह भी पाया कि उपर्युक्त समस्त अवधि में आरक्षित मूल्य निर्धारित करने हेतु सम्पत्ति का मूल्यांकन नहीं कराया गया तथा नस्ती में इसके बाद की नीलामी और वसूली कार्यवाही से सम्बंधित जानकारी नहीं पायी गई इस प्रकार विभाग प्रकरण का प्रभावशाली अनुसरण करने में विफल रहा जिससे राशि ₹ 85.79 लाख की वसूली नहीं हो सकी।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2012) कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितम्बर एवं अक्टूबर 2012 में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, सम्पत्ति नीलामी के सभी प्रयास किये गये थे। तथापि, सत्य यह है कि मार्च 2006 से जुलाई 2010 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी तथा बकाया राशि की अभी तक वसूली नहीं की गयी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2013)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	वृत्त XV, इन्दौर, संभाग I/ जून 2012	मैसर्स कौशल्या आटो स्प्रिंग प्राइवेट लिमिटेड	13.92	1995–96 से 1999–2000/ मार्च 2001 और दिसम्बर 2002 के बीच	बकाया के भुगतान मे चूक के कारण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अनुसार कार्यवाही करते हुए इन व्यवसाइयों की सम्पत्ति को जब्त करने हेतु मार्च 2003 में कुर्की आदेश जारी किये गये। तीनों ही प्रकरणों में मार्च 2007 में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा सम्पत्तियों का मूल्यांकन कराया गया। हालांकि सम्पत्ति की नीलामी के कई बार प्रयास किये गये लेकिन मेसर्स कौशल्या आटो स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण को छोड़कर निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण जनवरी 2012 तक सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जा सका। मेसर्स कौशल्या आटो स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में फरवरी 2008 में ₹ 3.25 लाख की एक निविदा प्राप्त हुई जिसे सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य ₹ 14.45 लाख से कम होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन कराये जाने हेतु पुनः आदेशित किया गया, इसके बाद की जानकारी नस्तियों में दर्ज नहीं पायी गई। मूल्यांकन नहीं कराये जाने के कारण सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो पाया जिसके फलस्वरूप बकाया राशि ₹ 48.34 लाख की वसूली नहीं हो सकी।
6.	वृत्त XV, इन्दौर, संभाग I/ जून 2012	मैसर्स जो.के. टाइटनर प्राइवेट लिमिटेड	14.85	1994–95 से 1996–97/ सितम्बर 1998 और दिसम्बर 2002 के बीच	
7.	वृत्त XV, इन्दौर, संभाग I/ जून 2012	मैसर्स वचन कैप्स प्राइवेट लिमिटेड	19.77	1996–97 से 1998–99/न नस्ती में उपलब्ध नहीं	

इन प्रकरणों में आगे हुई प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.15 बी.आई.एफ.आर. के साथ लम्बित प्रकरणों में अनुसरण कार्यवाही न होने के कारण बकाया की वसूली नहीं हो पाना

- संभाग II जबलपुर के कटनी वृत्त I के व्यवसायी मेसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की वसूली नस्ती की नमूना जांच के दौरान हमने पाया (अगस्त 2012) कि व्यवसायी के विरूद्ध अवधि 1992–93 से 1996–2000 के अवधि की कर निर्धारित राशि ₹ 16.70 लाख बकाया था। प्रकरण[9] को बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित बताया जा रहा था। वसूली नस्ती की जाँच से विदित हुआ के वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त I कटनी को सम्बोधित संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर के पत्र (अप्रैल 2004) के अनुसार, व्यवसायी की आठ एकड़ जमीन जबलपुर के निकट थी जिसके पश्चिमी रेलवे (प0रे0) द्वारा विक्रय किये जाने की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होनें अधिनियम की धारा 38[10] के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी करने एवं मामले को प0रे0 के समक्ष उठाने हेतु निर्देशित किया था। आठ माह व्यतीत हो जाने के पश्चात दिसम्बर 2004 में कराधान प्राधिकारी ने प0रे0 को पत्र लिखा। भूमि की स्थिति के बारे में इसके बाद की जानकारी अभिलेखों में संधारित नहीं पायी गई, पुनः, वसूली नस्ती की आगे जाँच में पता चला कि शासकीय अधिवक्ता द्वारा (नवम्बर 2007) अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर को सूचित किया गया था कि संशोधित ऋण पुनर्वास योजना (सं.ऋ.पु.यो.)[11] के सम्बंध में विभाग का अभिमत बीआईएफआर के सम्मुख रखा जाना था। बीआईएफआर ने 27 फरवरी 2008 की तिथि इस मुद्दे पर पुनः सुनवाई हेतु

9 बी.आई.एफ.आर. प्रकरण क्रमांक 508/1994

10 धारा 38 स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी से सम्बंधित है।

11 बीमार इकाई के पुनर्वास की योजना जो कि इकाई स्वामी द्वारा बीआईएफआर को प्रस्तुत करनी होती है।

निर्धारित की थी। सुनवाई के परिणाम नस्ती में दर्ज नहीं पाये गये। अप्रैल 2011 से मई 2012 के बीच के शासकीय अधिवक्ता एवं विभाग के बीच हुए पत्राचार के माध्यम से विदित हुआ कि उपर्युक्त बकाया की वसूली हेतु सं.ऋ.पु.यो. के सम्बंध में विभाग का पक्ष शासकीय अधिवक्ता को संसूचित नहीं किया गया था जिससे कि उपरोक्त बकाया के बारे में बीआईएफआर के समक्ष यथोचित प्रस्तुतीकरण हो सके। इस प्रकार, इस मामले में विभाग द्वारा किये गये असाधारण विलम्ब के कारण ₹ 16.70 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि ऋण पुनर्वास योजना (ऋ.पु.यो.) की प्रति विभाग द्वारा अभी तक (दिसम्बर 2012) प्राप्त नहीं की जा सकी है। आगे की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

- संभाग II ग्वालियर के वृत्त II के व्यवसायी मैसर्स मिडलैण्ड प्लास्टिक लिमिटेड के इकाई नं II, मैसर्स सुपर सैक की वसूली नस्ती की नमूना जांच (जून 2012) में हमने पाया कि व्यवसायी के विरूद्ध 1997–98 से 2007–08 की अवधि से सम्बंधित ₹ 3.12 करोड़ की राशि बकाया थी। आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 मार्च 2009 को राशि ₹ 60.64 लाख जो कि समस्त बकाया से ₹ 2.51 करोड़ कम था, की वसूली हेतु व्यवसायी की सम्पत्ति जब्त करने के लिए कुर्की आदेश जारी किया गया। वसूली योग्य बकाया से कम राशि का जब्ती आदेश जारी करने के कारण न तो नस्ती में दर्ज पाये गये और न ही कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये। इकाई के बीआईएफआर के अन्तर्गत पंजीकृत होने (103/06) की अभियुक्ति सहित उचित कार्यवाही हेतु, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त II, संभाग II ग्वालियर के द्वारा उपर्युक्त सूचना पत्र पर कर निर्धारण प्राधिकारी को वापस कर दिया गया। बीआईएफआर के समक्ष दिनांक 29 मई 2007 को हुई सुनवाई की कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण अभिलेखों में दर्ज विवरणानुसार इकाई द्वारा आठ सप्ताह के भीतर समस्त अन्तर्ग्रस्त पक्षों के अनुमोदनों सहित ऋण पुनर्वास योजना प्रस्तुत की जानी थी। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त किया गया था। ऋण पुनर्वास योजना एवं इसके बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में आगामी प्रगति नस्ती में दर्ज नहीं पायी गई। शासकीय अधिवक्ता के पत्र (30 अप्रैल 2011) से विदित हुआ कि एसबीआई द्वारा कम्पनी के प्रति वास्तविक बकाया के विवरण एवं उक्त बकाया कि बदले में स्वीकार्य न्यूनतम राशि की जानकारी चाही गई थी ताकि सरफेसी[12] अधिनियम के अन्तर्गत एसबीआई द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्तियों का विक्रय किया जा सके, नस्ती में ऐसी कोई जानकारी दर्ज नहीं पायी गयी कि विभाग

[12] सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सल असैट एण्ड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002

द्वारा कोई दावा प्रस्तुत किया गया। इकाई के विरूद्ध ₹ 3.12 करोड़ का बकाया अभी भी लम्बित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण की समीक्षा कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। मामले की आगे कोई प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.16 निष्कर्ष एवं अनुशंसाऐं

2.10.16.1 निष्कर्ष

विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य संवर्धन कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्त्रोत है एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर को बकाया की वसूली हेतु राजस्व प्राधिकारियों की शक्तियां दी गई है। वसूली हेतु बकाया राजस्व की वसूली विभाग द्वारा किया जाना अनिवार्य है। हमने पाया कि विभाग द्वारा आर.आर.सी. प्रकरणों का पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया गया, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आर.आर.सी./मांग की सूचना पत्र या तो जारी नहीं किये गये या विलम्ब से जारी किये गये थे। हमने यह भी देखा बताया कि अन्य वृत्तों/अन्य राज्यों को जारी/प्रेषित आर.आर.सी. का अनुसरण नहीं किया जा रहा था, बकाया वसूली हेतु सम्पत्ति कुर्क नहीं की गई थी या कुर्क सम्पत्तियों को उचित समयावधि में नीलामी नहीं की गयी थी। शासकीय परिशोधक एव ंबी.आई.एफ.आर. के समक्ष प्रस्तुत दावों का त्वरित एवं प्रभावकारी अनुसरण नहीं किया गया था। ये मुद्दे प्रणाली की कमजोरी को दर्शाते हैं एवं बकाया के संग्रहण हेतु एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता को अपरिहार्य बनाते हैं।

2.10.16.2 सुझावों का सारांश

शासन विचार कर सकता है कि :

- पांच वर्षो से अधिक अवधि के बकाया के सम्बंध में विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाय, जिससे उक्त बकाया को काफी पुराना बकाया होने के कारण वसूल नहीं हो पाने के जोखिम से बचाव संभव हो सके;
- विक्रय व्यापार इत्यादि पर कर/वैट पर प्रभावकारी एवं नियमित अनुसरण हेतु एक तंत्र का सृजन किया जाय एवं बकाया की वसूली पर केन्द्रित करने हेतु विभाग में एक समर्पित वसूली तंत्र की स्थापना की जाये;

- चूक वाले प्रकरणों के कर निर्धारण मे विलम्ब आर.आर.सी. के जारी करने तथा राज्य के भीतर अन्य वृत्तों एवं राज्य के बाहर आर.आर.सी. प्रेषित करने वाले मामलों में अनुसरण न होना आदि से सम्बद्ध अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना; तथा
- बकाया की स्थिति को सही प्रतिवेदित करने हेतु बकाया की स्थिति की समीक्षा एवं मिलान किया जाना।

2.11 कर की गलत दर लागू किया जाना

दो उपायुक्त कार्यालय[13] आठ क्षेत्रीय कार्यालय[14] एवं 21 वृत्त कार्यालय[15]

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम (अधिनियम) तथा मध्य प्रदेश वैट अधिनियम सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर तथा वैट की दरों को निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम एवं वैट अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

हमने अवधि 2003–04 से 2008–09 हेतु जनवरी 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारित 50 व्यवसाइयों के 50 प्रकरणों में अवलोकित किया (मार्च 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि ₹ 26.77 करोड़ के विक्रय टर्न ओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.42 करोड़ के ब्याज/शास्ति सहित ₹ 3.67 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। कुछ उदाहरणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

स.क्र.	इकाई का नाम प्रकरणों की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	टर्न ओवर (₹ करोड़ में)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गई कर की दर (प्रतिशत)	कर के कम आरोपण की राशि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वा.क.अ., वृत्त V, भोपाल 1	2007-08 मई 2010	उजाला सुप्रीमो (व्हाइटनिंग एजेन्ट)	4.84	12.5	4	164.42
2.	वा.क.अ., वृत्त III, ग्वालियर 1	2007-08 जून 2010	इन्सुलेशन और लेमिनेशन	4.00	12.5	4	34.00
3.	वा.क.अ., वृत्त I, जबलपुर 1	2007-08 मई 2010	ब्लीचिंग पाउडर तथा सोडा ऐश	1.83	12.5	4	15.57
4.	क्षे.रा.आ., देवास 1	2007-08 अप्रैल 2010	ओल्ड प्लांट, मशीनरी तथा कार	0.90	12.5	निरंक	11.00

13 सतना तथा ग्वालियर।

14 भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, नीमच, सतना तथा रतलाम ।

15 भोपाल (3), दमोह, धार, ग्वालियर, इन्दौर (4), जबलपुर (2), कटनी, खण्डवा, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, सागर (2), विदिशा तथा बैढ़न।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	वा.क.अ., वृत्त II, रतलाम 1	2006-07 मई 2009	डी.टी.एच.	0.92	12.5	4	10.88

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने आठ व्यवसाइयों के प्रकरण में प्रकरणों का पुनः करनिर्धारण कर (जुलाई 2011 से सितम्बर 2012 के मध्य) ₹ 2.17 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की। एक व्यवसायी के प्रकरण में, क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, रतलाम ने ₹ 1.07 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जनवरी 2011) । 33 व्यवसाइयों के प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारी सत्यापन/परीक्षण के उपरान्त कार्रवाई करने पर सहमत हुए (मार्च 2009 से मार्च 2012)।

आठ व्यवसाइयों के शेष प्रकरणों में विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणियाँ निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है :

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	अंतर्निहित राशि (₹ लाख में)	लागू/लागू की गई कर की दर	वस्तु	विभागीय उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वा.क.अ., वृत्त–I, भोपाल 1	3.22	12.5 4	फेब्रिकेटेड स्टील आयटम	कार्य संविदा के अन्तर्गत एम.एस. टैंक निर्माण कर आपूर्ति किया गया था एवं इसके निर्माण में उपयोग किए गए लोहा एवं इस्पात पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था।	दस्तावेजों में दर्ज तथ्य तथा आयुक्त, वा.क., म.प्र. द्वारा दिए गए निर्णय[16] को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तर से सहमत नहीं हैं। फैब्रिकेटेड स्टील आयटम 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
2.	वा.क.अ., वृत्त–वैढ़न 2	11.67 10.00	12.5 4	ट्रेड रबर	अधिनियम की अनुसूची–II के प्रविष्टि क्रमांक 55(41) (कम्पाउंड रबर अन्तर्वलकनाइज्ड) के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से सही कर आरोपित किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि व्यापार खाता, पंजीयन प्रमाण पत्र एवं कर निर्धारण आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यवसायी ट्रेड रबर का व्यवसाय करता है जो 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
3.	वा.क.अ., वृत्त–I, मन्दसौर 1	4.24	9.2 4.6	क्लोरिनेटेड पेराफिन (सी.पी.डब्ल्यू)	क्लोरिनेटेड पैराफिन वेक्स रसायन के अन्तर्गत वर्गीकृत है एवं तदनुसार कर आरोपित किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आयुक्त, वा.क., म.प्र. द्वारा दिये गये निर्णय[17] के अनुसार, सी.पी.डब्ल्यू. रसायनिक उत्पाद है न कि

[16] (i) मैसर्स तुंग भद्र स्टील प्रोडक्टस प्रा.लि. विरूद्ध सी.एस.टी. एम.पी. (2005) 6 एस.टी.जे. 650 (एम.पी.बोर्ड) तथा (ii) मैसर्स सिम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स, राजनांदगाँव (2008) 13 एस.टी.जे. 183 (सी.सी.टी., छ.ग.)।

[17] मैसर्स बी.सी.एम. ऑर्गेनिक केमिकल, इन्दौर (2005) 7 एस.टी.जे. 215।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	वा.क.अ., वृत्त –VI, भोपाल 1	3.51	12.5 4	ब्लिचिंग पावडर	ब्लिचिंग पावडर रसायन है एवं तदनुसार कर आरोपित किया गया था।	आयुक्त, वा.क., म.प्र. द्वारा दिये गये निर्णय[18] को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तर से सहमत नहीं हैं।
5.	वा.क.अ., वृत्त–IX, इन्दौर 1	0.56	12.5 1.5	पुरानी कार	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि करारोपण सही किया गया है।	हम अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर से सहमत नहीं हैं।
6.	वा.क.अ., वृत्त–I, कटनी 1	0.71	12.5 4	ड्रायर्स	आरोपित कर सही था क्योंकि व्यवसायी ने ड्रायर्स के लोह संरचना का विक्रय किया था।	उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से सहमत नहीं हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यवसायी ने ड्रायर्स या इसके पार्ट्स का विक्रय किया था तथा यह 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
7.	वा.क.अ., वृत्त –II, रतलाम 1	10.88	12.5 4	डी.टी.एच. (डिश एंटिना)	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी ने एंटिना, मल्टीमीडिया, टॉप बॉक्स तथा व्ही सेटों का विक्रय किया है जो अधिनियम की अनुसूची–II की प्रविष्टि क्र.51(ii),(xii) तथा 51.(12),(vi),(vii),(ix) के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अनुसूची में डिश एंटिना (सेट टॉप बॉक्स) की कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है। अतः वेट अधिनियम के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

हमने प्रकरण को (जनवरी तथा सितम्बर 2012 के मध्य) विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013)।

[18] मेसर्स भोपाल ब्लीच प्रा.लि., रायसेन (2007) 10 एस.टी.जे. 680।

2.12 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

तीन उपायुक्त कार्यालय[19], टैक्स ऑडिट विंग कार्यालय[20], 16 क्षेत्रीय कार्यालय[21] तथा 11 वृत्त कार्यालय[22]

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम (अधिनियम) 1994 की धारा 2 एवं म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 के अनुसार, किसी अवधि के टर्न ओवर का तात्पर्य व्यवसायी द्वारा उस अवधि में वस्तुओं के किसी विक्रय या आपूर्ति या वितरण के सम्बंध में निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय वापसी की राशि को छोड़कर, प्राप्त किए गए या प्राप्त करने योग्य विक्रय मूल्यों के पूर्ण योग से है। कर योग्य टर्न ओवर का निर्धारण करने के उद्देश्य से अधिनियम एवं म.प्र. वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि कर–प्रदत्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा कर की राशि को विक्रय मूल्यों के कुल योग में सम्मिलित किया गया है तो उसे टर्न ओवर से घटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 21(3) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण या पुर्नकरनिर्धारण कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि से एक कैलेण्डर वर्ष में किया जाएगा।

हमने अवलोकित किया (जुलाई 2010 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि दिसम्बर 2008 तथा मार्च 2011 के मध्य 2005–06 तथा 2008–09 के मध्य की अवधियों के लिए कर निर्धारित 43 व्यवसाइयों के 44 प्रकरणों में टर्न ओवर व्यवसाइयों के लेखापरीक्षित लेखा पुस्तकों/विक्रय सूची सम्बंधित अभिलेख में दर्ज कुल टर्न ओवर के विरूद्ध ₹ 42.65 करोड़ कम निर्धारित किया गया। इस प्रकार, कुल टर्न ओवर ₹ 42.65 करोड़ के लिये कर निर्धारित नहीं किया गया तथा परिणामस्वरूप ₹ 3.73 लाख के ब्याज/शास्ति सहित ₹ 2.82 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने आठ व्यवसाइयों के आठ प्रकरणों में प्रकरणों का पुनर्कररनिर्धारण किया तथा ₹ 28.95 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की (दिसम्बर 2011 तथा जून 2012 के मध्य)। 29 अन्य व्यवसाइयों के 29 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (जुलाई 2010 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि सत्यापन/परीक्षण के पश्चात कार्रवाई की जायेगी, जबकि छः व्यवसाइयों के शेष सात प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों का उत्तर निम्नानुसार है :

19 भोपाल, इन्दौर तथा सतना।

20 इन्दौर।

21 भोपाल , ग्वालियर, गुना, इन्दौर (4), इटारसी, जबलपुर (2), खण्डवा, खरगौन, सतना (2), सागर तथा सैंधवा।

22 भोपाल , बुरहानपुर, धार, हरदा, इन्दौर (3), जबलपुर , सतना (2) तथा बैढ़न।

स.क्र.	इकाई का नाम	अवधि कर निर्धारण का माह	संक्षिप्त में हमारा प्रेक्षण	विभागीय उत्तर/हमारी टिप्पणी
1.	क्षे.स.आ., सेंधवा क्षे.स.आ.,खरगौन क्षे.स.आ. –I, खण्डवा	2007–08 नवम्बर 2009 2006–07 जून 2009 तथा 2007–08 दिसम्बर 2009 2007–08 जुलाई 2009	बैलेन्स शीट के अनुसार ₹ 12.49 लाख के वाहनों का विक्रय मूल्य टर्न ओवर में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप (₹ 20,292 के ब्याज सहित) ₹ 1.76 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।	कर निर्धारण प्राधिकारी, सेंधवा ने उत्तर दिया (नवम्बर 2010) कि म0प्र0 के पंजीयत व्यवसायी से कर चुका कर वाहन क्रय किये गये थे इसलिए कर आरोपित नहीं किया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों, खरगौन एवं खण्डवा ने 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति सहित ₹ 44,671 के कर की माँग सृजित की (दिसम्बर 2011)। हम कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर/प्रत्युत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना क्र.70 दिनांक 15 सितम्बर 2006 के अनुसार, वाहन 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
2.	क्षे.स.आ., संभाग–II, इन्दौर	2007–08 जून 2010	अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची–5 के अनुसार, ₹ 8.25 लाख के प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि बैलेन्स शीट के अनुसार विक्रय किया गया प्लांट एवं मशीनरी अन्य राज्य की शाखा से सम्बंधित है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शाखा का क्रय एवं विक्रय लेखा प्रकरण के साथ पृथक से संलग्न पाया गया था।
3.	क्षे.स.आ., संभाग–II, इन्दौर	2006–07 अप्रैल 2009	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक–III के अनुसार ₹ 28.46 लाख के प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.56 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि प्रकरण पूर्व में ही धारा 28(1) के अन्तर्गत पुनः खोला जा चुका है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि दिनांक 17.06.2010 को व्यवसायी को नोटिस जारी हुए एक वर्ष बीत चुका है एवं धारा 21 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के पश्चात पुनर्करनिर्धारण नहीं किया जा सकता।
4.	वा.क.अ., वृत्त –II, सतना	2007–08 दिसम्बर 2009	परिसम्पत्तियों की अनुसूची 'डी' के अनुसार, प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य ₹ 4.16 लाख को टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16,224 के ब्याज सहित ₹ 68,254 के कर की कम प्राप्ति हुई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को विवरणियों में शामिल किया गया है एवं उस पर पूर्व में ही कर आरोपित किया जा चुका है। उत्तर तथ्यों के विपरीत है क्योंकि प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय को कर योग्य टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया है।

हमने प्रकरण जनवरी तथा मार्च 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.13 अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति

(क) उपायुक्त कार्यालय ग्वालियर, पाँच क्षेत्रीय कार्यालय[23] तथा नौ वृत्त कार्यालय[24]

> म.प्र. वैट अधिनियम की धारा – 14 के अनुसार, जहां एक पंजीकृत व्यवसायी अधिनियम की अनुसूची II के भाग III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं का किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर का भुगतान कर क्रय करता है तो उसे ऐसे आगत कर की राशि की आगत कर छूट (आई.टी.आर.) की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

हमने जून 2010 से दिसम्बर 2011 के दौरान अवलोकित किया कि मई 2009 तथा नवम्बर 2010 के मध्य 2006–07 से 2008–09 की अवधि के लिए कर निर्धारित 15 व्यवसाइयों को ₹ 87.18 लाख का अमान्य आगत कर छूट प्रदान की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 13 प्रकरणों में बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी। शेष दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर एवं हमारी टिप्पणी निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि कर निर्धारण का माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर एवं हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वा.क.अ., वृत्त -Iदमोह 1	2007–08 सितम्बर 2009	व्यवसायी ने अन्य व्यवसाइयों से ₹ 4.81 लाख के आगत कर का भुगतान कर ₹ 38.45 लाख मूल्य की इलेक्ट्रानिक सामग्री का क्रय किया जबकि कर निधारण प्राधिकारी ने ₹ 4.99 लाख की आगत कर छूट स्वीकृत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18,000 की आगत कर छूट की गलत स्वीकृति प्रदान की।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि आई.टी.आर. नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। अंकेक्षित लेखाओं में उपलब्ध तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से सहमत नहीं हैं।

[23] भोपाल, छिन्दवाड़ा, इन्दौर,जबलपुर तथा सागर।

[24] भोपाल (2), दमोह, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, मन्दसौर तथा सतना (2)।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	उपायुक्त, संभाग–II., ग्वालियर 1	2007–08 दिसम्बर 2009	व्यवसायी ने ₹ 6.53 लाख का उच्च गति डीजल (एच.एस.डी.) क्रय किया (उच्च गति डीजल अनुसूची II भाग III की वस्तु है जिस पर आई.टी.आर. अनुमत्य नहीं है) कर निर्धारण प्राधिकारी ने इस पर ₹ 1.70 लाख के गलत आई.टी.आर. की अनुमति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.70 लाख की अधिक आगत कर छूट की स्वीकृति प्रदान की गई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि जैसा कर निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया है, उच्च गति डीजल पर आगत कर रिबेट स्वीकृत नहीं किया गया है। जुलाई 2007 से सितम्बर 2009 की अवधि से सम्बंधित त्रैमासिक विवरणी के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, जिसमें ₹ 2.67 लाख के आगत कर रिबेट का समायोजन किया गया है। जिसमें उच्च गति डीजल पर स्वीकृत आगत कर रिबेट की राशि ₹ 1.70 लाख शामिल है।

(ख) क्षे.स.आ., कार्यालय, रतलाम

अधिसूचना क्र. ए–3–195–2005–1–V(31) दिनांक 31.03.2006 के पैरा 3(3) के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्मित वस्तु वैट अधिनियम की अनुसूची II में वर्णित वस्तु है, व्यवसाई अपनी कर देयता की गणना में राज्य में विक्रय पर संग्रहीत करों में से आगत कर रिबेट की राशि कम करेगा एवं उसे आगत कर से अधिक संग्रहीत की गई कर की राशि रखने की पात्रता होगी। इस प्रकार रखी गयी राशि कर लाभ की संचयी राशि की गणना में शामिल की जाएगी।

हमने जनवरी 2011 में अवलोकित किया कि अवधि 2006–07 हेतु जून 2009 में कर निर्धारित एक व्यवसायी को ₹ 53.89 लाख की अमान्य आगत कर छूट को अग्रेनीत करने की गलत अनुमति प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.89 लाख की आगत कर छूट की अधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने दिनांक 31.03.2006 की अधिसूचना का सन्दर्भ देते हुए बताया कि कर मुक्ति अवधि की आगत कर छूट को कर निर्धारण वर्ष की शेष अवधि में समायोजित किया जा सकता है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में हम कर निर्धारण प्राधिकारी के उत्तर से सहमत नहीं हैं। अधिसूचना के अनुसार कर मुक्ति अवधि के विक्रय हेतु संगणित वैट के विरूद्ध पहले ₹ 53.89 लाख की छूट को समायोजित किया जाना था तथा अतिरिक्त आगत कर छूट को कर लाभ की संचयी राशि की गणना में शामिल किया जाना चाहिए था। फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी ने वैट की पूर्ण राशि को कर लाभ की संचयी राशि के विरूद्ध समायोजित किया। परिणामस्वरूप

₹ 53.89 लाख की आगत कर छूट को अगली तिमाही में समायोजन हेतु आगे अग्रेनीत किया गया था जो उक्त अधिसूचना के अनुसार नहीं था।

(ग) उपायुक्त कार्यालय, इन्दौर, क्षेत्रीय कार्यालय देवास तथा तीन वृत्त कार्यालय[25]

म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत व्यवसायी अधिनियम की अनुसूची II के भाग III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न वस्तु अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग या खपत के लिए क्रय करता है और व्यवसायी ने राज्य के भीतर विक्रय को छोड़कर वस्तुओं को अन्यथा निवर्तन किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा देय कर में आगत कर छूट का दावा एवं समायोजन किया है, तो वह ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य का चार प्रतिशत या शुद्ध आगत कर, जो भी कम हो, के भुगतान का दायी होगा। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि जहाँ एक पंजीकृत व्यवसायी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत कर मुक्त घोषित की गई वस्तुओं के विक्रय के सम्बंध में निर्माण या प्रोसेसिंग या पैकिंग के लिए/में खपत या उपयोग के लिए आगत कर के भुगतान के पश्चात किसी वस्तु का क्रय करता है तो उसे ऐसी वस्तु के क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक ऐसे आगत कर की राशि की आगत कर छूट की पात्रता होगी।

हमने फरवरी 2011 से मार्च 2012 के मध्य अवलोकित किया कि 2006–07 से 2008–09 की अवधि के लिए मई 2009 तथा दिसम्बर 2010 के मध्य कर निर्धारित पाँच व्यवसाइयों को विक्रय को छोड़कर अन्यथा राज्य के बाहर स्थानान्तरित माल पर दावा की गई आगत कर छूट वापस भुगतान न करने के कारण ₹ 36.04 लाख की अमान्य आगत कर छूट या कर मुक्त वस्तुओं के विक्रय पर अधिक छूट प्रदान की गई थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने चार प्रकरणों में बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी। शेष दो प्रकरणों में, हमारे प्रेक्षण एवं विभाग के उत्तर निम्नानुसार हैं :

[25] भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर ।

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि कर निर्धारण का माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर और हमारी टिप्पणी
1.	उपायुक्त, संभाग–III, इन्दौर 1	2007–08 मार्च 2010	व्यवसायी ने टर्न ओवर का 12.5 प्रतिशत ₹ 20.36 करोड़ का माल राज्य के बाहर स्टॉक ट्रान्सफर पर वस्तु स्थानान्तरित/विक्रय किया। कर चुके क्रय का विक्रय ₹ 27.62 करोड़ भी टर्न ओवर में शामिल था। इसका तात्पर्य है कि स्टॉक ट्रान्सफर की गई ₹ 3.45 करोड़ मूल्य का माल जो कर चुका क्रय का 12.5 प्रतिशत है जिसे राज्य के बाहर ट्रान्सफर (विक्रय) किया गया था जिसके विरूद्ध व्यवसायी को 4 प्रतिशत की दर से आई.टी.आर. ₹ 13.81 लाख वापस करना था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 13.81 लाख के स्थान पर ₹ 4.54 लाख के आई.टी.आर. समायोजन की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.27 लाख के आई. टी.आर. की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि विक्रय सूची के अनुसार, ₹ 1.18 करोड़ का विक्रय राज्य के बाहर किया गया था जिस पर 4 प्रतिशत की दर से ₹ 4.54 लाख का आई.टी.आर. वापसी किया गया। कर निर्धारण आदेश में उपलब्ध तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से सहमत नहीं हैं जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि राज्य के बाहर विक्रय ₹ 20.36 करोड़ है। राज्य के बाहर विक्रय कुल विक्रय का 12.5 प्रतिशत है। वह आनुपातिक मूल्य, जिस राशि पर आगत कर रिबेट वापसी की जाती है कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई राशि ₹ 1,18,12,920 के स्थान पर ₹ 3,45,21,096 (कुल कर चुके क्रय का 12.5 प्रतिशत) संगणित होता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9,26,500 के आई.टी.आर. की कम वापसी हुई।
2.	उपायुक्त, संभाग–III, इन्दौर 1	2008–09 दिसम्बर 2010	व्यवसायी ने धारा 16 के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुओं का निर्माण कर विक्रय किया। अवधि के दौरान व्यवसायी ने ₹ 4.19 लाख के कर का भुगतान करने के पश्चात प्लांट एवं मशीनरी क्रय किया (4 प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत की दर से) तथा कर मुक्त माल के निर्माण में उसका उपयोग किया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण करते समय ₹ 2.02 लाख (4 प्रतिशत से अधिक) के स्थान पर ₹ 4.19 लाख की आगत कर छूट की अनुमति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.17 लाख के अधिक आगत का रिबेट की अनुमति प्रदान की गयी।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि चूंकि व्यवसायी विद्युत ऊर्जा का निर्माता नहीं था, उन पर म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(5)(ब) के अंतर्गत आगत कर छूट वापसी के प्रावधान लागू होने योग्य नहीं थे और इस प्रकार आरोपित कर सही था। हम म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(5)(ब) के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में उत्तर से सहमत नहीं हैं जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि प्लांट एवं मशीनरी का क्रय कर उन्हें करमुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है तो 4 प्रतिशत से अधिक आगत कर छूट की अनुमति दी जायेगी।

(घ) क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय, सागर

म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14(3) के अनुसार, उपधारा (1) के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उसके द्वारा देय कर के मद्दे समायोजित की जायेगी और अतिशेष, यदि कोई हो, पश्चात्वर्ती वर्ष में देय कर के मद्दे सामयोजन के लिए लिया जाएगा। परन्तु आगत कर रिबेट जो सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के पश्चात भी असमायोजित रहती है, प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जायेगी।

हमने फरवरी 2011 में अवलोकित किया कि जून 2009 में 2006–07 की अवधि के लिए कर निर्धारित एक व्यवसायी को सोयाबीन के ₹ 9.15 करोड़ के अन्तिम स्कन्ध (क्लोजिंग स्टॉक) पर ₹ 36.61 लाख की आगत कर छूट दिया गया। आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी ने उक्त राशि की वापसी की गलत स्वीकृति दी। इस प्रकार यह आगामी दो वित्तीय वर्षों के लिए अग्रेनीत की जानी थी तथा केवल वह आगत कर छूट, जो सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के पश्चात भी असमायोजित रही, प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जायेगी। हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई करने पर सहमत हुए।

हमने जनवरी तथा सितम्बर 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.14 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

चार उपायुक्त कार्यालय[26], 14 क्षेत्रीय कार्यालय[27], 18 वृत्त कार्यालय[28] तथा एक एंटी इवेजन ब्यूरो[29]

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के अन्तर्गत खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल (वस्तुओं) पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने 2003–04 से 2008–09 तक की अवधि हेतु जुलाई 2007 से मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारित/पुनर्निर्धारित 60 व्यवसाइयों के 67 प्रकरणों में अवलोकित किया (जनवरी 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि ₹ 114.79 करोड़ मूल्य के लोहा एवं इस्पात, प्लांट एवं मशीनरी, मोटर वाहनों, हाईस्पीड डीजल (एच. एस.डी.), कोयला, फरनेस ऑयल, हैक्सेन ऑयल, घी, यू.पी.एस., होम यू.पी.एस., कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पार्टस्, फ्लूड ऑयल (लुब्रीकेन्ट ऑयल) इत्यादि वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया या गलत दर से आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 79 लाख के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 2.04 करोड़ के प्रवेश कर की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने आठ व्यवसाइयों के प्रकरणों में ₹ 44.04 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की जिनमें से ₹ 7.90 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा एक प्रकरण में यह बताया गया कि धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। अन्य 38 व्यवसाइयों के 44 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। शेष चौदह व्यवसाइयों के पन्द्रह प्रकरणों में विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं :

26 छिन्दवाड़ा, इन्दौर (2) तथा सतना।

27 भोपाल, छिन्दवाड़ा, इन्दौर (3), इटारसी, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, रतलाम, सागर तथा सतना (3)।

28 भोपाल (3), बुरहानपुर, ग्वालियर, हरदा, इन्दौर (5), इटारसी, जबलपुर, कटनी, सागर, सतना, सीहोर तथा उज्जैन।

29 इन्दौर।

स. क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम माल की कीमत (₹ लाख में)	लागू की जाने वाली/ की गई कर की दर	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	क्षे.स.आ.–I छिंदवाड़ा 1 क्षे.स.आ.–संभाग III, इन्दौर 2 वा.क.अ., वृत्त–XIII, इन्दौर 1	2006–07 जून 2009 2004–05 तथा 2007–08 नवम्बर 2007 तथा मई 2010 2008–09 दिसम्बर 2010	फरनेस ऑयल 189.22	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी, छिंदवाड़ा ने बताया कि राज्य के बाहर से माल का क्रय नही किया गया था अतः प्रवेश कर आरोपणीय नहीं था। अन्य कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि माल पर कर चुकाया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची I/II में फरनेस ऑयल वर्णित नहीं है। अनुसूची III का माल होने के कारण यह उपयोग या खपत के समय कर योग्य था। अतः फरनेस ऑयल को करचुके माल के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता तथा प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची III के अनुसार एक प्रतिशत की दर से करयोग्य था।
2.	एंटी इवेजन ब्यूरो, इन्दौर–ब 1	26.07.07 से 28.07.07 जुलाई 2007	बीड़ी 1.40	10 2.5	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कर एवं शास्ति की गणना एवं निर्धारण अधिनियम के अनुसार किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि राज्य के बाहर से बीड़ी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराने पर 10 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।
3.	उपायुक्त, संभाग–III, इन्दौर 1	2007–08 मार्च 2010	एच.डी.पी.ई./ पी.पी.बैग्स 201.27	5 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि एच.डी.पी.ई./ पी.पी. बुनी हुई बोरियों तथा थैलों पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया गया था तथा उन पैकिंग मटेरियल पर जो एच.डी.पी.ई./पी.पी. बैग्स नहीं हैं, 1 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अभिलेख में उपलब्ध क्रय सूची के अनुसार, एच.डी.पी.ई./पी.पी. थैलों का क्रय किया गया था।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	उपायुक्त, संभाग –III, इन्दौर 1	2008–09 अक्टूबर 2010	एच.डी.पी.ई./ पी.पी.बेग्स 38.05	5 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी द्वारा उपयोग किये गये आयातित एच.डी.पी. ई. थैले छोटे थे तथा बिना बुने हुए थैले थे।	हम उत्तर से सहमत नही हैं क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम की अधिसूचना क्रमांक 14 दिनांक 01 अप्रैल 2007 के अनुसार, एच.डी.पी.ई./पी.पी. बुनी हुई बोरी तथा थैले पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है तथा थैले के आकार पर कोई शर्त निर्धारित नहीं थी।
5.	उपायुक्त, संभाग–III, इन्दौर 1	2007–08 जुलाई 2010	एम.एस./ एस.एस.तार 291.13	2 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी द्वारा तांबा के तार का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया गया था जिस पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है।	हम उत्तर से सहमत नही हैं क्योंकि करयोग्य टर्न ओवर के वर्गीकरण तथा क्रय सूची के अनुसार, व्यवसायी द्वारा एमएस/ एस.एस.तार क्रय किया गया था।
6.	वा.क.अ., वृत्त –I, भोपाल 1	2007–08 मार्च 2010	इमारती लकडी 26.44	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रवेश कर अधिनियम की अधिसूचना क्र. 29 दिनांक 22 सितम्बर 2007 के अनुसार इमारती लकड़ी कर मुक्त है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अपंजीयत व्यवसाई से क्रय करने पर कथित अधिसूचना लागू योग्य नहीं है तथा इस अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि यदि कर निर्धारिती ने कोई कर जमा किया है तो वह वापसी योग्य नहीं है।
7.	उपायुक्त, वा.क. संभाग–III, इन्दौर 1	2008–09 नवम्बर 2010	प्लांट तथा मशीनरी 1,898.82	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण के साथ समस्त क्रय सूचियां संलग्न हैं तथा काल्पनिक आधार पर आपत्ति ली गई है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्लांट, मशीनरी एवं वाहन का आयातित मूल्य ₹ 52.96 करोड़ था किन्तु कर ₹ 33.97 करोड़ पर आरोपित किया गया।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	क्षे.स.आ–I, छिंदवाड़ा 1	2008–09 नवम्बर 2010	तांबे का तार 87.02	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी ने मशीनरी तथा उसके पार्ट्स का क्रय विक्रय नहीं किया है। तांबे का तार अनुसूची III का माल है तथा कर आरोपण योग्य नहीं है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मेसर्स हिन्दुस्तान वायर प्रोडक्टस (2002) 35 व्ही. के..एन. 305 (सी.एस.टी., म.प्र.) के प्रकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार, प्रवेश कर अधिनियम की प्रविष्टि क्रमांक II/54 में कापर बाइंडिंग तार मशीनरी पार्ट्स की तरह कर योग्य है।
9.	क्षे.स.आ.–I, जबलपुर 1	2007–08 जुलाई 2010 एवं जनवरी 2011 (धारा 21 के अन्तर्गत)	बिटुमिन 242.52	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि उचित परीक्षण के पश्चात कर प्रदत्त कटौती की स्वीकृति दी गई।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उपलब्ध दस्तावेज स्पष्ट रूप से बिटुमिन/इमल्शन का क्रय दर्शाते हैं जो अनुसूची III में वर्गीकृत है तथा निर्माण कार्य संविदा में उपयोग किए जाने पर एक प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
10.	वा.क.अ., वृत्त–XV. इन्दौर 1	2007–08 जुलाई 2010	लोहा तथा इस्पात 69.76	2 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि लोहा तथा इस्पात का क्रय नहीं किया गया था । केवल मशीनरी पार्ट्स का क्रय किया गया था तथा प्रवेश कर तदनुसार आरोपित किया गया था।	उत्तर क्रय सूची में दर्ज तथ्यों के अनुरूप नहीं है जो स्पष्ट रूप से लोहा एवं इस्पात के क्रय को दर्शाता है।
11.	वा.क.अ., वृत्त –IX, इन्दौर 1	2007–08 जून 2010	हैक्सेन ऑयल 92.66	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी ने ईंधन क्रय किया था जिस पर कर चुकाया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि हैक्सेन ऑयल अनुसूची III में वर्गीकृत वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के निर्माण हेतु उपयोग करने पर कर योग्य है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	वा.क.अ., वृत्त–XII, इन्दौर 1	2007–08 जुलाई 2010	कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पार्ट्स 252.00	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कर सही दर से आरोपित किया गया था क्योंकि कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पार्ट्स धारा 3(2) के अन्तर्गत अधिसूचना क्र. 38 तथा 39 दिनांक 09 जून 2003 द्वारा अधिसूचित हैं। इसलिए प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत कर आरोपित नहीं किया जा सकता।	कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर तथ्य की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(2)(अ)(1) में प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत उन वस्तुओं पर प्रवेश कर आरोपणीय है जिस पर अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों के अधीन प्रवेश कर आरोपणीय नहीं है। अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 29.03.2000 की समाप्ति के पश्चात प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2007 से कम्प्यूटर तथा इसके पार्ट्स पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने जनवरी तथा सितम्बर 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.15 शास्ति का कम अधिरोपण

एक क्षेत्रीय कार्यालय[30]

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 20(6) के अनुसार, यदि किसी व्यवसायी ने, जो किसी कालावधि के सम्बंध में कर चुकाने के दायित्वाधीन है, पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही के पूर्ण होने की तारीख से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, ऐसे व्यवसायी का कर निर्धारण ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करने के लिए अग्रसर होगा और उसका ऐसी सम्पूर्ण कालावधि के सम्बंध में अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से कर निर्धारण करेगा तथा उस पर शास्ति के रूप में ऐसी राशि अधिरोपित करेगा जो इस प्रकार निर्धारित किये गये कर की राशि से दुगुनी हो।

हमने फरवरी 2011 में अवलोकित किया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवधि 2007–08 हेतु दिसम्बर 2009 में कर निर्धारित एक व्यवसायी के एक प्रकरण में ₹ 4.75 लाख की शास्ति कम आरोपित की गई। कर निर्धारण प्राधिकारी ने अपंजीयत व्यवसायी पर

30 नीमच।

म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 की धारा 20(6) के अनुसार निर्धारित कर की राशि के दुगुने अर्थात ₹ 9.50 लाख के बजाय ₹ 4.75 लाख की शास्ति अधिरोपित की जो निर्धारित कर की राशि के बराबर थी। इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी सत्यापन के उपरांत कार्रवाई करने पर सहमत हुए।

हमने प्रकरणों को मार्च 2012 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013)।

2.16 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण

तीन क्षेत्रीय कार्यालय[31], सात वृत्त कार्यालय[32]

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यवसायी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के क्रम में किसी पंजीयत व्यवसाई को माल विक्रय करता है, तो ऐसे टर्न ओवर के चार प्रतिशत (1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत तथा 1 जून 2008 से दो प्रतिशत) के रियायती कर की दर से कर भुगतान के दायित्वाधीन होगा बशर्ते ऐसा विक्रय 'सी' फार्म प्रपत्र में घोषणाओं से समर्थित हो। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अनुसार प्रत्येक विक्रेता व्यवसायी जो पंजीयत क्रेता व्यवसायी द्वारा निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त एवं उसके द्वारा विधिवत पूरित एवं हस्ताक्षरित 'सी' फार्म में घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह घोषित माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बंध में कर की रियायती दर के बजाय विनिर्दिष्ट दर की दुगुनी दर से तथा अन्य वस्तुओं के सम्बंध में 10 प्रतिशत या विनिर्दिष्ट दर से, जो अधिक हो, कर के भुगतान का दायी होगा।

2.16.1 हमने अवलोकित किया (दिसम्बर 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि अवधि 2005–06 तथा 2008–09 हेतु अक्टूबर 2007 तथ मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारित 12 व्यवसाइयों के 13 प्रकरणों में ₹ 3.86 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर जिनके समर्थन में 'सी' प्रपत्र में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे, या तो कर आरोपित नहीं किया गया था या गलत दर से कर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.78 लाख के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में ₹ 4.05 लाख की माँग सृजित की गई (अक्टूबर 2010)। दस व्यवसाइयों के 11 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया

[31] इन्दौर, खण्डवा तथा मन्दसौर।

[32] भोपाल (2), हरदा, इन्दौर, नीमच, सतना तथा विदिशा।

कि सत्यापन/परीक्षण के उपरांत कार्रवाई की जाएगी, जबकि शेष एक व्यवसाई के एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (मई 2011) कि ब्लीचिंग पाउडर रसायन है तथा चार प्रतिशत की दर से करारोपण योग्य है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्णय[33] के परिप्रेक्ष्य में वैट अधिनियम की अवशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत ब्लीचिंग पाउडर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

दो वृत्त कार्यालय[34]

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6 क के अन्तर्गत, एक व्यवसायी जो अन्य व्यवसायी को माल का स्थानान्तरण करता है, उसे निर्धारित प्रपत्र निर्धारित रीति से निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने पर कर मुक्ति की अनुमति दी जाएगी।

2.16.2 हमने अवलोकित किया (जनवरी 2009 तथा सितम्बर 2011 के मध्य) कि अवधि 2005–06 से 2006–07 हेतु जनवरी 2008 तथा जून 2008 के मध्य कर निर्धारित दो व्यवसाइयों के दो प्रकरणों में ₹ 44.86 लाख के माल के स्टॉक ट्रांसफर/माल का एक राज्य से अन्य राज्य में पारगमन के सम्बंध में अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया गया था जबकि घोषणा प्रपत्र एफ/ई–1 निर्धारित रीति में नहीं थे। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.18 लाख के कर का अनारोपण हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु टर्न ओवर (₹)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गई कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित/कम आरोपित कर की राशि (₹)
1.	वा.क.अ., वृत्त -V, भोपाल मेसर्स रामटेक इण्डस्ट्रीज	2005–06 जनवरी 2008	केमीकल 29.65 लाख	10	–	2.96 लाख
कर निर्धारण प्राधिकारी ने 'एफ' प्रपत्र के आधार पर, जिसमें एक माह से अधिक के संव्यवहारों का विवरण था, स्टॉक ट्रांसफर की कटौती की गलत अनुमति प्रदान की। इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने अक्टूबर 2010 में ₹ 2.96 लाख की माँग सृजित की।						
2.	वा.क.अ., वृत्त – बुरहानपुर मेसर्स मधुवन ट्रेडर्स	2006–07 जून 2008	कॉटन बेल्स 15.21 लाख	8	–	1.22 लाख
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत व्यवसायी ने ₹ 15.21 लाख के लिए ई–1 प्रपत्र क्र. एमएच–06–0020004 दिनांक 21 मई 2008 को प्रस्तुत किया जो वित्तीय वर्ष 2006–07 के बजाय वर्ष 2007–08 में अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2007 की अवधि के लिए वैध था। अतः दी गई छूट की अनुमति नियमानुसार नहीं थी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी।						

33 मैसर्स भोपाल ब्लीचिंग प्रा.लि., रायसेन (2007) 10 एस.टी.जे. 680 (सी.सी.टी., एम.पी.)।

34 भोपाल तथा बुरहानपुर।

हमने इन प्रकरणों को जनवरी तथा सितम्बर 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.17 गलत छूट के कारण कर का कम आरोपण

दो क्षेत्रीय कार्यालय[35] तथा ग्यारह वृत्त कार्यालय[36]

म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2(एक्स)(iii) तथा म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(डब्ल्यू)(v) के अनुसार कुल करयोग्य टर्न ओवर का निर्धारण विक्रय राशि में शामिल कर की राशि घटाने के पश्चात किया जाता है। यहाँ यह भी प्रावधान है कि यदि कुल विक्रय राशि में कर की राशि शामिल नहीं है तो छूट नहीं दी जाएगी।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2009 तथा सितम्बर 2011 के मध्य) कि अवधि 2004–05 से 2008–09 हेतु जनवरी 2008 तथा जुलाई 2010 के मध्य कर निर्धारित/पुनर्करनिर्धारित 13 व्यवसाइयों के 13 प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने टर्न ओवर का निर्धारण करते समय ₹ 21.63 लाख के कर की छूट की गलत अनुमति प्रदान की जबकि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं था। छूट की इस अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 0.86 लाख सहित ₹ 21.63 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने दो प्रकरणों में ₹ 6.58 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की जिनमें से ₹ 28,276 को करमुक्ति की उपलब्ध मात्रा में समायोजित किया गया था। अन्य नौ प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी जबकि शेष दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर तथा हमारी टिप्पणी आगामी तालिका में दर्शाये अनुसार है :

[35] मुरैना तथा शाजापुर।

[36] भोपाल (2), दमोह, ग्वालियर, हरदा, इन्दौर (2), जबलपुर (2), खण्डवा तथा नीमच।

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	कर योग्य टर्न ओवर का मूल्य (₹)	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर (₹)	आरोपित कर (₹)	कम आरोपित राशि (₹)	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
1.	क्षे.रा.अ., मुरैना 1	5.47 करोड़	4	21.89 लाख	21.05 लाख	84,196	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि निर्धारिती द्वारा विक्रय इनवॉयस में पृथक से कर प्रभारित किया गया था तथा धारा 2(एक्स)(iii) के अन्तर्गत छूट नियमानुसार स्वीकृत की गयी थी।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अभिलेख में उपलब्ध लेखाओं में पृथक से कर भुगतान के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2.	वा.क.अ., वृत्त–द्मोह 1	33.65 लाख	12.5	4.21 लाख	3.74 लाख	46,742	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कर निर्धारण अधिनियम के अनुसार किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अभिलेख में उपलब्ध लेखाओं में पृथक से कर भुगतान के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

हमने प्रकरण को फरवरी 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.18 गलत तरीके से कर मुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण

एक क्षेत्रीय कार्यालय[37] तथा दो वृत्त कार्यालय [38]

म.प्र. वैट अधिनियम सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची–1 में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से कर मुक्त की गई वस्तओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय कर की दरें निर्धारित की गई हैं।

हमने अवलोकित किया (अप्रैल 2011 तथा सितम्बर 2011 के मध्य) कि अवधि 2007–08 हेतु मार्च 2010 तथा जुलाई 2010 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसाइयों के तीन प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 4.10 करोड़ मूल्य की वस्तुओं जैसे वुलेन फेल्ट कम्पोनेन्ट्स, सील्ड वाटर कंटेनर तथा सिम्स मेमोरी को गलत ढंग से कर मुक्त वस्तुयें मानकर इनके विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.96 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :

37 सतना।

38 जबलपुर तथा नीमच।

(₹ लाख में)

स.क्र.	वस्तु	टर्नओवर	लागू कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित कर की राशि
1.	वूलेन फेल्ट कम्पोनेन्ट	32.35	12.5	4.04
2.	शील्ड वाटर कंटेनर	9.21	12.5	1.15
3.	सिम्स मेमोरी	369.36	4	14.77
हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक प्रकरण में (स.क्र.–2) ₹ 1.15 लाख की माँग सृजित की जबकि अन्य दो प्रकरणों में अप्रेल 2011 तथा सितम्बर 2011 के मध्य यह बताया गया कि परीक्षण के उपरांत कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।				

हमने प्रकरणों को जनवरी तथा मार्च 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.19 कर की गणना में गलती

सितम्बर 2011 तथा अक्टूबर 2011 के मध्य एक उपायुक्त कार्यालय[39] तथा दो वृत्त कार्यालयों[40] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि 2005–06 से 2007–08 की अवधि हेतु नवम्बर 2008 तथा जून 2010 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसाइयों के प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा गलती से ₹ 21.93 लाख के बजाय ₹ 2.15 लाख का कर आरोपित/समायोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.78 लाख के कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	आरोपणीय कर की राशि (₹)	आरोपित कर की राशि (₹)	कम आरोपित कर की राशि (₹)
1.	वा.क.अ., वृत्त–I, भोपाल 1	2007–08 जून 2010	4.16 लाख	40,584	3.75 लाख
सेनेटरी आयटमों के विक्रय पर कर त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 4.16 लाख के बजाय ₹ 40,584 संगणित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.75 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई। इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया गया था तथा अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।					
2.	उपायुक्त, संभाग– II, इन्दौर 1	2007–08 मई 2010	13.06 लाख	1.32 लाख	11.74 लाख
कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 13.06 लाख के बजाय ₹ 1.32 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की। इसके परिणामरवरूप ₹ 11.74 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई। इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।					
3.	वा.क.अ., खण्डवा 1	2005–06 नवम्बर 2008	4.72 लाख	42,891	4.29 लाख
कर निर्धारण प्राधिकारी ने गलत तरीके से कर ₹ 4.72 लाख के बजाय ₹ 42,891 संगणित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.29 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई। इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।					

39 इन्दौर।

40 भोपाल तथा खण्डवा।

हमने प्रकरण को फरवरी तथा मार्च 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.20 वृत्ति कर की प्राप्तिन होना

वृत्ति कर अधिनियम, 1995 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में स्वयं अथवा किसी एजेन्ट अथवा किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी व्यापार को संचालित करता है अथवा कृषि को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय अथवा पेशा करता है, अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (3) में ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी के सम्मुख निर्दिष्ट दर से वृत्ति कर के भुगतान का दायी होगा। उक्त अधिनियम की धारा 8(2) में यह भी प्रावधान है कि कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन ऐसे व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी से एक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

छः वृत्त कार्यालयों[41] से प्राप्त जानकारी का राज्य आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के लायसेंसधारकों, सिनेमा घरों, वीडियों पार्लरों तथा केबिल आपरेटरों के सम्बंध में उपलब्ध कराई गई सूचियों से प्रतिसत्यापन में हमें पता चला कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 हेतु 334 व्यक्ति वृत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग में अपंजीयत बचे थे, यद्यपि वे वृत्ति कर का भुगतान करने के दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,000 से लेकर ₹ 2,500 प्रति वर्ष की दर से ₹ 7.62 लाख के वृत्ति कर की प्राप्ति नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, खरगौन ने बताया कि सूचना पत्र जारी करने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी; जबकि अन्य वाणिज्यिक कर अधिकारियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013)।

प्रकरण फरवरी तथा अप्रैल 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[41] गुना, हरदा, खरगौन, नीमच, रीवा तथा विदिशा।

अध्याय - 3

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.)/सहायक आबकारी आयुक्त (स.आ.आ.) के कार्यालयों में राज्य आबकारी राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच में पाये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 49.19 करोड़ के राजस्व प्रभाव से अन्तर्निहित **"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा तथा ₹ 11.81 लाख से अन्तर्निहित एक उदाहरणात्मक प्रकरण की राशि को प्रस्तुत किया है जहां हमने शीरे से अल्कोहल का उत्पादन न होना/ कम उत्पादन होना, विदेशी/देशी मदिरा, स्प्रिट का अनियमित निर्यात/परिवहन, निर्यात/परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान मदिरा की अमान्य छीजन पर शास्ति का अनारोपण तथा रक्षा सेवाओं को प्रदाय की गई विदेशी मदिरा/बीयर पर शुल्क का कम आरोपण इत्यादि पाया जिनमें अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिन्ता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षो के दौरान बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में राज्य आबकारी से संग्रहीत करों में विगत वर्ष की तुलना में 19.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा मदिरा दुकानों की नीलामी से निष्पादन राशि में वृद्धि होना बताया गया।
विगत वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के सम्बंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने 53,614 प्रकरणों में ₹ 669.44 करोड़ के राजस्व का अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, अव निर्धारण/राजस्व हानि आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 421.34 करोड़ से अन्तर्निहित 39,635 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और 4,527 प्रकरणों में ₹ 3.56 करोड़ की वसूली की । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम 0.25 से 4.00 के मध्य रहा।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में हमने राज्य आबकारी प्राप्तियों से सम्बंधित 26 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा 3,661 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 115.18 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण, राजस्व हानि, शास्ति के अनारोपण आदि का पता चला । विभाग ने 1,791 प्रकरणों में ₹ 49.16 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किया गया था । वर्ष 2011–12 के दौरान 1,190 प्रकरणों में ₹ 62 लाख की राशि वसूल की गई ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को वसूल न की गई/कम वसूल की गई शुल्क, शास्ति तथा वार्षिक फीस को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में, जहाँ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम,1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अर्न्तगत अधिरोपित या आदेशित किसी भुगतान, शुल्क, फीस, शास्ति या राजसातकरण से प्राप्तियों में सन्निहित होता है। इसमें विनिर्माण, आधिपत्य तथा विक्रय के लिये मदिरा का प्रदाय, मांग एवं पापीस्ट्रा से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होता है।

3.2 संग्रहण की लागत

विगत पाँच वर्षो के दौरान राज्य आबकारी से सम्बंधित सकल संग्रहण, संग्रहण पर आबकारी विभाग द्वारा बताया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के सकल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण पर व्यय का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाया गया है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष के लिये राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
2007-08	1853.83	396.04	21.36	3.30
2008-09	2301.95	505.46	21.96	3.27
2009-10	2951.94	818.34	27.72	3.66
2010-11	3603.42	963.86	26.75	3.64
2011-12	4316.49	1032.14	23.91	3.05

(स्रोत :– मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत की तुलना में असामान्य रूप से अधिक है। हमने अवलोकित किया कि वित्त लेखे में 'वसूली प्रभारों' को दर्शाने वाला कोई पृथक लघु शीर्ष नहीं है, जैसा कि विक्रय/व्यापार पर कर, वाहनों पर कर आदि जैसे अन्य करों के प्रकरण में है, तथा विनिर्माणकर्ताओं को भुगतान की गई मदिरा की लागत भी अन्य व्यय के साथ–साथ शीर्ष ''2039–राज्य आबकारी'' के अर्न्तगत लेखांकित की जा रही थी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 2012) कि विगत पाँच वर्षो के दौरान विनिर्माणकर्ताओं को भुगतान की गई मदिरा की लागत को कम करके संग्रहण पर लागत 1.61 एवं 1.90 प्रतिशत के मध्य रही थी, जो राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से कम थी।

शासन द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली तथा निष्पादन के प्रभावी परिवीक्षण के लिये, अन्य करों हेतु निर्धारित शीर्षो की तरह ''वसूली प्रभार'' के रूप में एक पृथक उपशीर्ष खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। यद्यपि इसे 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, परन्तु इस सम्बंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये।

3.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 53,614 प्रकरणों में ₹ 669.44 करोड़ के राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि को इंगित किया है । इन प्रकरणों में से, विभाग/शासन ने 39,635 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 421.34 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था और ₹ 3.56 करोड़ की वसूली की गई (30 नवम्बर 2012)। विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूल		स्वीकृत राशि से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006-07	30	4,183	109.24	2,793	30.50	132	1.22	4.00
2007-08	40	12,185	88.06	9,520	24.73	504	0.39	1.58
2008-09	50	12,489	115.01	10,677	99.14	1956	0.63	0.64
2009-10	36	10,606	201.88	7,566	167.51	1271	0.42	0.25
2010-11	20	14,151	155.25	9,079	99.46	664	0.90	0.90
	योग	**53,614**	**669.44**	**39,635**	**421.34**	**4,527**	**3.56**	

विगत पाँच वर्षो में स्वीकार किये गये प्रकरणों में से वसूल की गई राशि अत्यंत कम है।

शासन द्वारा कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र स्थापित किये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

3.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य उत्पाद प्राप्तियों से सम्बंधित 26 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 3,661 प्रकरणों में ₹ 115.18 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हे आगामी तालिका में दर्शाये अनुसार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	**"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	49.19
2	आबकारी दुकानों की पुनर्नीलामी /नीलामी में राजस्व की हानि	7	0.94
3	आबकारी दुकानों की लायरेंस फीस की वसूली न होना	17	0.88
4	लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति की वसूली न होना	1,326	0.21
5	अन्य प्रेक्षण	2,310	63.96
	योग	**3,661**	**115.18**

वर्ष के दौरान विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 1,791 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 49.16 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष 2011–12 में 1,190 प्रकरणों में ₹ 62 लाख की राशि वसूल की गई।

"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें ₹ 49.19 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, तथा राशि ₹ 11.81 लाख से अन्तर्निहित शास्ति के अनारोपण के एक प्रकरण का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है।

3.5 "मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण" पर निष्पादन लेखा परीक्षा

मुख्य बिन्दु

- शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन पर शास्ति ₹ 6.86 लाख का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.5.9.3)

- विभाग द्वारा शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ बैंक गारन्टी/बन्ध पत्र प्राप्त किये बिना स्पिरिट/विदेशी मदिरा का अनियमित निर्यात/परिवहन अनुमत्य किये जाने से उसमें सन्निहित ₹ 875.38 करोड़ का आबकारी शुल्क असुरक्षित रहा। मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर आबकारी शुल्क ₹ 20.25 करोड़ भी वसूल नहीं किया गया।

(कंडिका 3.5.14)

- मदिरा के निर्यात/परिवहन के दौरान अनुज्ञेय सीमा से अधिक छीजन पर न्यूनतम शास्ति ₹ 9.90 करोड़ लायसेंसधारकों पर आरोपित उवं उनसे वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 3.5.16)

- लायसेंसधारकों द्वारा बोतलबंद देशी मदिरा के नामपत्रों का पंजीयन नहीं कराया गया, जिस पर पंजीयन फीस की राशि ₹ 32.40 लाख की प्राप्ति नहीं हुई। नामपत्रों के पंजीयन के बिना मदिरा का विनिर्माण भी अनियमित था।

(कंडिका 3.5.20)

- मदिरा दुकानों के 143 लायसेंसधारकों द्वारा पाक्षिक लायसेंस फीस/वार्षिक लायसेंस फीस की अन्तिम किश्त की राशि ₹ 1.20 करोड़ विहित समय सीमा के अन्दर जमा न किये जाने पर भी उन्हे मदिरा का प्रदाय दिया गया।

(कंडिका 3.5.21)

- सैन्य केन्टीन के थोक लायसेंसधारक से सैन्य केन्टीन के फुटकर लायसेंसियों को विदेशी मदिरा के प्रदाय पर आबकारी शुल्क ₹ 2.08 करोड़ कम आरोपित कियागया।

(कंडिका 3.5.22)

3.5.1 प्रस्तावना

मदिरा से तात्पर्य है, मादक मदिरा और इसके अर्न्तगत स्पिरिट, मद्य, ताड़ी, बीयर ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हैं, या जिनमें अल्कोहल है, और कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मदिरा घोषित करे, सम्मिलित किये जाते हैं। राज्य में आठ आसवनी एवं सात यवासवनी हैं। अल्कोहल का उत्पादन आसवनियों में शीरा एवं अन्य क्षारों जैसे महुआ एवं अनाज आदि से किण्वन एवं आसवन द्वारा किया जाता है। अल्कोहल से सम्मिश्रण, न्यूनीकरण, संयुक्तिकरण एवं सुवासन अथवा रंजन अथवा दोनों प्रक्रियाओं द्वारा देशी और विदेशी मदिरा का विनिर्माण किया जाता है। बीयर का विनिर्माण यवासनियों में माल्ट, अनाज, शक्कर और होप आदि से किया जाता है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (आबकारी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत आबकारी आयुक्त, मदिरा के विनिर्माण, वितरण तथा विक्रय को वार्षिक लायसेंस प्रदान कर नियंत्रित करते हैं। लायसेंस का वार्षिक नवीनीकरण आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार विहित फीस के भुगतान पर किया जाता है। राज्य में मदिरा के उत्पादन, आधिपत्य, विक्रय, निर्यात, आयात तथा परिवहन पर विभिन्न प्रकार के शुल्कों एवं फीस का आरोपण और संग्रहण आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के अर्न्तगत नियंत्रित किया जाता है। ये आबकारी विभाग के राजस्व के मुख्य स्त्रोत हैं।

आबकारी विभाग द्वारा "मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों के संग्रहण" पर हमने एक निष्पादन लेखापरीक्षा की, जिसमें प्रणालीगत एवं अनुपालन सम्बंधी बहुत सी कमियाँ प्रकट हुई। इनका अनुगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

3.5.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग का प्रशासकीय प्रमुख होता है। आबकारी आयुक्त (आ.आ.) विभाग प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, (अ.आ.आ.), तीन उपायुक्त आबकारी (उ.आ.आ.), सम्भागों में सात उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आयुक्त आबकारी (स.आ. आ.) तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.) होते हैं। जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख होता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सक्षम है तथा आबकारी राजस्व की वसूली के लिये भी उत्तरदायी है।

आसवनियों, बोतल भराई संयत्रों (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों में कार्य संचालन का परिवीक्षण जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आसवनियों/यवासवनियों तथा बोतल भराई संयंत्रों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों तथा उपनिरीक्षकों की सहायता से किया जाता है।

3.5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि क्याः

- स्पिरिट/मदिरा के विनिर्माण, आधिपत्य और विक्रय पर आरोपणीय शुल्क और फीस विभिन्न अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूल की गई थी;
- अल्कोहल उत्पादन के लिये उपयोग किये गये कच्चे माल जैसे अनाज, शीरा इत्यादि पर उचित नियंत्रण रखा जा रहा था;
- मदिरा के निर्यात/परिवहन के सम्बंध में आयातक राज्य/मध्यप्रदेश राज्य से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर लिये गये थे, और निर्यातकर्ता/परिवहनकर्ता द्वारा विभाग को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिये गये थे।

3.5.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा निष्पादित करने हेतु लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये थे :

- मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (आबकारी अधिनियम);
- मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 (एम.पी.एफ.एल. नियम);
- मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 (एम.पी.डी. नियम);
- मध्य प्रदेश देशी मदिरा, नियम 1995 (एम.पी.सी.एस. नियम);
- मध्य प्रदेश यवासवनी तथा मद्य नियम (एम.पी.बी. एण्ड डब्ल्यू नियम);
- औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955 (एम.एण्ड टी.पी.ई. डी. अधिनियम); एवं
- आबकारी आयुक्त/शासन द्वारा जारी आदेश, परिपत्र एवं अधिसूचनायें।

3.5.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि को शामिल करते हुये **"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 3.2 में सम्मिलित की गई थी, जिस पर लोक लेखा समिति द्वारा फरवरी 2010 में चर्चा की गई। उनकी अनुशंसायें प्रतीक्षित हैं (मार्च 2013)। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये, हमने दिसम्बर 2011 एवं मई 2012 के मध्य राज्य में 50 जिला आबकारी कार्यालयों में से 17[1] एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय के वर्ष 2007–08 से

[1] अशोकनगर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगौन, मन्दसौर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सीहोर, उज्जैन तथा विदिशा।

2011–12 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। नमूना जाँच के लिये, हमने सभी सात आसवनियों, सात यवासवनियों में से तीन एवं 20 विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाईयों में से 12 को शामिल करते हुये 17 जिलों का चयन साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर किया था। हमने अवधि 2008–09 से 2011–12 के लिये निष्पादित की गई नियमित लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये शुल्क, शास्ति इत्यादि के आरोपण/कम आरोपण के प्रकरणों को भी शामिल किया है।

3.5.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखा परीक्षा को जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके सहयोगी कार्यालयों के सहयोग को स्वीकार करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये प्रमुख सचिव (वाणिज्यिक कर विभाग), आबकारी आयुक्त एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ अप्रैल 2012 में एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ हमने उन्हें लेखापरीक्षा के क्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्य पद्धति की जानकारी दी। प्रारूप निष्पादन प्रतिवेदन शासन एवं विभाग को अगस्त 2012 में भेजा गया था। निर्गम सम्मेलन सितम्बर 2012 में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य सचिव ने शासन का तथा आबकारी आयुक्त ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया था। शासन/विभाग का प्रत्युत्तर, जहाँ भी प्राप्त हुआ, शामिल किया गया है।

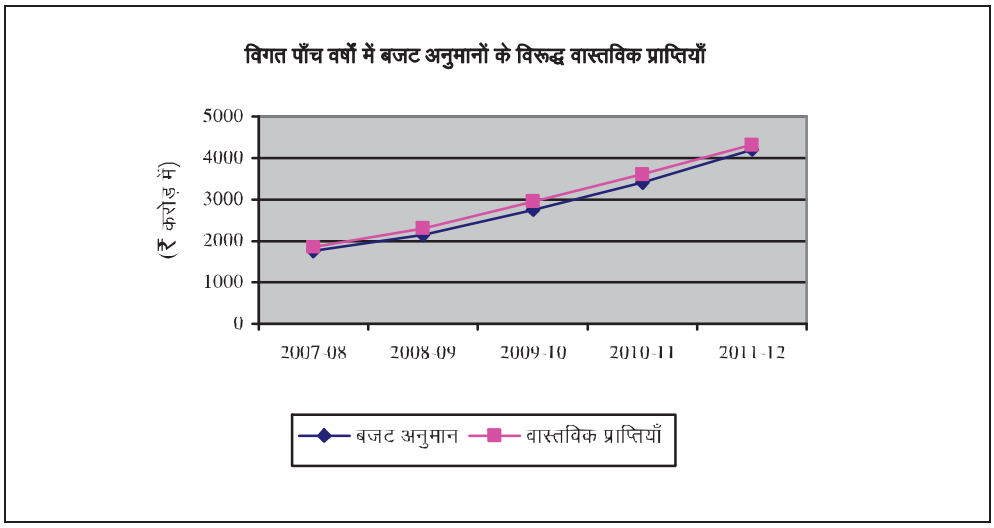
3.5.7 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाईन ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों की तुलना में प्रतिशत
2007-08	1750.00	1853.83	(+) 103.83	(+) 5.93	12017.64	15.43
2008-09	2150.00	2301.95	(+) 151.95	(+) 7.07	13613.50	16.91
2009-10	2760.00	2951.94	(+) 191.94	(+) 6.95	17272.77	17.09
2010-11	3400.00	3603.42	(+) 203.42	(+) 5.98	21419.33	16.82
2011-12	4050.00	4316.49	(+) 266.49	(+) 6.58	26973.44	16.00

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान तथा वित्त लेखे)



जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, राजस्व संग्रहण वर्ष 2007–08 में ₹ 1853.83 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 4316.49 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 में राज्य उत्पाद से कर संग्रहण में 19.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा वृद्धि का कारण मदिरा दुकानों की नीलामी से निष्पादन राशि में वृद्धि होना बताया गया। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत 5.93 से 7.07 के मध्य रहा, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान वैज्ञानिक तरीके से तैयार किये गये थे। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व के सापेक्ष राज्य उत्पाद प्राप्तियों का प्रतिशत 15.43 प्रतिशत से 17.09 प्रतिशत के मध्य रहा।

3.5.8 बकाया आबकारी राजस्व की स्थिति

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2012 की स्थिति में वर्ष 1967–68 से 2011–12 की अवधि से सम्बंधित 491 प्रकरणों में ₹ 66.58 करोड़ की राशि असंग्रहीत थी, जिसमें से ₹ 56.35 करोड़ की राशि पाँच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रकरणोंकी संख्या	राशि
1	अपलेखन हेतु शासन को अग्रेषित किये गये प्रकरण	91	15.70
2	विभिन्न न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित प्रकरण	23	5.26
3	जिला आबकारी कार्यालयों में लम्बित प्रकरण	377	45.62
	योग	**491**	**66.58**

(स्रोत :– विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया राजस्व की राशि कुल बकाया राशि का 84.64 प्रतिशत थी।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियां

3.5.9 शीरा से अल्कोहल का उत्पादन न होना/कम उत्पादन होना

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के अनुसार आसवक शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा का न्यूनतम 84 प्रतिशत किण्वन क्षमता एवं घोल (वाश) में विद्यमान अल्कोहल का न्यूनतम 97 प्रतिशत आसवन दक्षता को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा। शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रति क्विंटल से 91.8 प्रूफ लीटर (पी एल) अल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये आसवनी अधिकारी शीरे के मिश्रित नमूने लेगा, और विभागीय प्रयोगशाला को जाँच के लिये भेजेगा। विभागीय प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर, आसवनी अधिकारी, अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना करेगा, जो कि न्यूनतम विहित मानदंडों के आधार पर आसवक द्वारा उत्पादित की जाना चाहिये। आसवक के निर्धारित दक्षता एवं अल्कोहल उत्पादन बनाये रखने में विफल रहने पर आबकारी आयुक्त 2 अक्टूबर 2008 तक ₹ 30 प्रति प्रूफ लीटर, 3 अक्टूबर 2008 से 13 दिसम्बर 2011 तक ₹ 150 प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक एवं उसके बाद तत्समय देशी मदिरा पर आरोपणीय शुल्क के बराबर शास्ति आरोपित कर सकेगा।

3.5.9.1 मध्य प्रदेश आसवनी नियमों में प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। हमने दिसम्बर 2011 में एक आसवनी[2] के रासायनिक परीक्षण से सम्बंधित अभिलेख, शीरे की भंडारण पंजी (डी–5)[3] एवं अल्कोहल उत्पादन पंजी (डी–9)[4] से अवलोकित किया कि आसवक ने जुलाई, अक्टूबर, नवम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 में 1,31,482 क्विंटल शीरे का उपयोग किया। उपयोग किये गये शीरे के रासायनिक परीक्षण

2 मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज, रायसेन।

3 डी–5 पंजी का संधारण आसवनी द्वारा शीरे की प्राप्ति, उपयोग एवं शेष का अभिलेख रखने हेतु किया जाता है।

4 डी–9 पंजी का संधारण आसवनी द्वारा उपयोग किये गये शीरे से अल्कोहल के उत्पादन का अभिलेख रखने हेतु किया जाता है।

प्रतिवेदन, नमूने प्रयोगशाला को भेजे जाने के दिनांक से 9 से 16 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी विभागीय प्रयोगशाला से प्राप्त होना अभिलेखों में नहीं पाया गया। अतः उत्पादन किये जाने वाली अल्कोहल की मात्रा की गणना लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने बताया (दिसम्बर 2011) कि रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अल्कोहल के उत्पादन की जाँच की जायेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

विभाग द्वारा प्रयोगशाला की रिपोर्ट भेजने के लिये समय सीमा निर्धारित करने तथा प्रयोगशाला की जाँच प्रतिवेदन के अनुसार अल्कोहल के उत्पादन को सुनिश्चित करने अथवा शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है।

3.5.9.2 हमने दो जिलो[5] में दो आसवनियों[6] के शीरा के स्कंध एवं प्रदाय पंजी (डी–5) से अवलोकित किया (अप्रैल एवं मई 2012) कि आसवनियों में अगस्त/सितम्बर 2011 से 57,540.65 क्विंटल शीरा अनिराकृत पड़ा हुआ था। इस शीरे के अनिराकृत रहने के दिनांक को अथवा ठीक उससे पूर्व दिनांक को विभागीय प्रयोगशाला को भेजे गये शीरे के सैम्पल के विश्लेषण प्रतिवेदन में दर्शायी गई किण्वन योग्य शर्करा के प्रतिशत के अनुसार 22.15[7] लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल उत्पादन योग्य था। आगे यह देखा गया कि एक आसवनी के प्रकरण में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी होने के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर 3,500 मीट्रिक टन शीरे का विक्रय की अनुमति प्रदान की (अक्टूबर 2011) जिसमें से केवल 550 मीट्रिक टन शीरे का विक्रय किया जा सका। शीरे की शेष मात्रा 2,950 मीट्रिक टन के विनिर्दिष्ट अवधि 60 दिन के बाद चार माह व्यतीत होने के बाद भी अनिराकृत रहने के बारे में अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाया गया। दूसरी आसवनी के प्रकरण में 2,438.03 मीट्रिक टन शीरे के निराकरण हेतु सात माह व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार समय व्यतीत होने के कारण शीरे में विद्यमान शर्करा में कमी से लेखापरीक्षा में इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया कि आसवकों द्वारा अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः चावल, ज्वार एवं बाजरा से किया जा रहा था। आवश्यकतानुसार आरएस/ईएनए दूसरे राज्यों से भी आयात किया गया था। अतः अनिराकृत शीरे से अल्कोहल का उत्पादन न होने के कारण शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई थी। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि समय बीतने के साथ–साथ शीरे में विद्यमान शर्करा में कमी होने की सम्भावना थी, जिसका राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

5 ग्वालियर तथा खरगौन।

6 मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा.लि., ग्वालियर तथा मेसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रिवेरीज लि., खरगौन।

7 24380.30 क्विंटल × 38.20 प्रू.ली. = 931327.46 प्रू.ली.
33160.35 क्विंटल × 38.71 प्रू.ली. = 1283637.14 प्रू.ली.
57540.65 क्विंटल = 2214964.60 (22.15 लाख) प्रू.ली.

3.5.9.3 हमने दो जिलो[8] में दो आसवनियों[9] की डी–9 पंजी एवं विभागीय प्रयोगशाला की रिपोर्टों से मई 2009 एवं अप्रैल 2012 के मध्य अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 एवं फरवरी 2012 के मध्य उपयोग किये गये 12,302.6 क्विंटल शीरे से 5,38,297.6 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिये था। तथापि, वास्तविक उत्पादन 5,30,464.4 प्रूफ लीटर था। फिर भी, जिला आबकारी अधिकारियों (आसवनियों) द्वारा शास्ति आरोपण हेतु इन प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को संदर्भित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम शास्ति ₹ 6.86 लाख[10] की प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी, खरगौन ने बताया (अप्रैल 2012) कि परीक्षण के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)। जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स विन्ध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़ ने कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया।

3.5.10 शीरे का कम लेखांकन किया जाना

आबकारी अधिनियम एवं उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों में शीरे के पारगमन, भंडारण अथवा अन्य कारणों से छीजन/कमी के लिये किसी छूट का प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश आसवनी नियमों में प्रावधान है कि शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रत्येक क्विंटल से न्यूनतम 91.8 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिये।

हमने दिसम्बर 2011 में एक आसवनी[11] में डी–5 एवं डी–9 पंजी से अवलोकित किया कि 1 फरवरी 2011 को डी–5 से डी–9 पंजी में 2,203 क्विंटल शीरे का स्थानान्तरण दर्शाया गया था, परन्तु डी–9 पंजी में केवल 2,202 क्विंटल स्थानान्तरित होना दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप 40.5[12] प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन जो एक क्विंटल शीरे से किया जा सकता था, लेखांकित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2011 को 1,21,219.05 क्विंटल शीरे का स्कंध था, जिसके विरूद्ध 1 अप्रैल 2011 को स्कंध पंजी में केवल 1,20,464.65 क्विंटल अग्रेनीत किया गया। इस प्रकार 754.4 क्विंटल शीरे का लेखांकन नहीं

8 खरगौन तथा राजगढ़।

9 मैसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी, खरगौन तथा मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़।

10 3431.7 प्रू.ली ×₹ 80 = ₹ 274536
2070.3 प्रू.ली ×₹ 30 = ₹ 62109
2331.2 प्रू.ली ×₹ 150 = ₹ 349680
7833.2 प्रू.ली ₹ 686325 (₹ 6.86 लाख)

11 मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज, रायसेन।

12 एक क्विंटल शीरे में 44.12 प्रतिशत किण्वन योग्य शर्करा विद्यमान थी।
अल्कोहल का उत्पादन = 44.12×91.8/100= 40.5 प्रू.ली.

किया गया, जिससे 30,553.2 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन हो सकता था। इस प्रकार शासन कुल 30,593.7 प्रूफ लीटर (40.5 प्रू.ली. + 30,553.2 प्रू.ली.) अल्कोहल पर न्यूनतम शुल्क की राशि ₹ 48.95 लाख[13] से वंचित रहा।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने बताया (दिसम्बर 2011) कि कमी लिपिकीय त्रुटि के कारण थी। हम सहमत नहीं है, क्योंकि दिसम्बर 2011 में लेखापरीक्षा में उत्तरवर्ती सत्यापन के दौरान कम लेखांकन के प्रभाव का सुधार किया जाना नहीं पाया गया।

3.5.11 अहाता/शाप बार लायसेंस फीस का कम आरोपण

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि किसी एफ.एल.–1 लायसेंस* से संलग्न एफएल–1बी लायसेंस** (अहाता/शॉप बार लायसेंस) पर वार्षिक लायसेंस फीस, एफ.एल.–1 दुकान के वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत के समतुल्य होगी। वार्षिक मूल्य बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस के योग के बराबर होगा। आगे, दुकानों के माध्यम से मदिरा की बिक्री की शर्तों में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में या इसके विपरीत 20 प्रतिशत तक लायसेंस फीस का समायोजन किये जाने का प्रावधान है।

* सील बंद बोतलों में विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस।

** केवल किसी एफएल–1 या एफएल–1ए लायसेंसधारक को प्रदान किये जाने वाले लायसेंस द्वारा किसी परिसर या अहाता, जो एफएल–1 या एफएल–1ए लायसेंसधारक के परिसर से संलग्न होगा, के भीतर विदेशी मदिरा के उपभोग की अनुमति दी जायेगी।

मदिरा दुकानों के विक्रय की शर्तों में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में लायसेंस फीस के समायोजन की स्थिति में एक एफ.एल.–1 दुकान से संलग्न अहाता लायसेंस के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के अन्तर की राशि की वसूली हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। हमने चार सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों[14] में अहाता लायसेंस प्रदाय पंजी से दिसम्बर 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य अवलोकित किया कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान 22 देशी मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस की राशि ₹ 5.72 करोड़ का समायोजन विदेशी मदिरा दुकानों में किया गया था। इस समायोजन के परिणामस्वरूप एफ.एल.–1 दुकानों का वार्षिक मूल्य ₹ 40 करोड़ से ₹ 45.72 करोड़ पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित था और अहाता लायसेंसों की लायसेंस फीस

13 30593.7 प्रू.ली × ₹ 160 = ₹ 4894992 (₹ 48.95 लाख)

14 स.आ.आ., इन्दौर, जबलपुर तथा रीवा एवं जि.आ.अ., मन्दसौर।

दुकानों के ऐसे पुनरीक्षित वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाना था। परन्तु पर्याप्त प्रावधानों के अभाव में, आरोपित की गई लायसेंस फीस ₹ 80.08 लाख के विरूद्ध बढ़े हुये वार्षिक मूल्य पर लायसेंस फीस की राशि, जो ₹ 91.45 लाख संगणित की गई, वसूल नहीं की जा सकी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारियों ने दिसम्बर 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य बताया कि अहाता लायसेंस नियमानुसार दुकानों के निर्धारित वार्षिक मूल्य पर दो प्रतिशत की राशि जमा कराये जाने के बाद जारी किये गये थे। समायोजन लायसेंस जारी किये जाने के बाद किया गया था।

अतः विभाग द्वारा मदिरा दुकानों की बिक्री के लिये प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली नीति में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में लायसेंस फीस के समायोजन की स्थिति में एफ.एल.–1 दुकान से संलग्न अहाता लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस के अन्तर की राशि वसूल किये जाने की शर्त निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3.5.12 वर्ट[15] के उत्पादन के लिये मानदण्ड निर्धारित न होना

मध्य प्रदेश यवासवनी एवं मद्य नियमों में वर्ट के उत्पादन के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है। तथापि, टेक्नीकल एक्साईज मैन्युअल (टीईएम)* की कंडिका 243 में प्रावधान है कि 84 पाउन्ड माल्ट या 56 पाउन्ड शर्करा से 36 गैलन वर्ट प्राप्त की जा सकती है।

* भारत में आबकारी अधिकारियों के उपयोगार्थ भारत सरकार के आदेशानुसार लाई गई एक संदर्भित किताब।

हमने रायसेन जिले में एक यवासवनी[16] के बीयर उत्पादन सम्बंधित अभिलेखों एवं इन्दौर में स्थित दो यवासवनियों[17] द्वारा दी गई जानकारी से अवलोकित किया कि सितम्बर 2010 एवं नवम्बर 2011 के मध्य की अवधि के दौरान 1,77,316.51 क्विंटल माल्ट एवं राइस फ्लेक तथा 24,816.45 क्विंटल शक्कर का उपयोग किया गया, जिससे टीईएम के प्रावधानों के अनुसार वर्ट के सम्भावित उत्पादन 922.49 लाख बल्क लीटर के विरूद्ध 827.62 लाख बल्क लीटर का उत्पादन किया गया। 4.74 लाख बल्क लीटर छीजन की छूट देने के बाद 90.13 लाख बल्क

15 "वर्ट" की परिभाषा के अनुसार यह ऐसी मदिरा है जो यवासवन की प्रक्रिया के दौरान माल्ट या अनाज के निःशेषण द्वारा शर्करा द्रव्य के विलयन से प्राप्त होती है। यह एक शर्करा विलयन है जो किण्वन योग्य मूल तथा पानी मिलाकर तैयार किया गया है, जिसमें किण्वन प्रारम्भ नहीं हुआ हो।

16 मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन।

17 मैसर्स माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर एवं मैसर्स एम.पी. बीयर प्रोडक्टस, इन्दौर

लीटर बीयर के कम उत्पादन के परिणाम स्वरूप आबकारी शुल्क ₹ 12.75 करोड़[18] की हानि हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने बताया कि स्ट्रोंग एवं लाईट बीयर में विद्यमान अल्कोहल का प्रतिशत अलग–अलग होता है, और इस स्थिति में माल्ट/शक्कर से उत्पादित बीयर की मात्रा एक समान नहीं हो सकती। इसलिये बीयर उत्पादन के लिये मानदण्ड निर्धारित किया जाना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, टीईएम शासन से अनुमोदित नहीं था। इसलिये विभाग टीईएम का अनुसरण करने के लिये कानूनन बाध्य नहीं था। तथ्य यह है कि राज्य को देय राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये बीयर के उत्पादन पर विभाग का नियंत्रण आवश्यक है।

अतः शासन द्वारा मध्यप्रदेश बीयर एवं मद्य नियमों में जौ, चावल, फ्लेक, शक्कर इत्यादि से वर्ट के उत्पादन हेतु मानदण्ड निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3.5.13 आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की कार्यप्रणाली

आबकारी आयुक्त कार्यालय में आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष (आईएसी) की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इसका प्रमुख संयुक्त संचालक होता है, जो मध्यप्रदेश वित्त सेवा से तथा छः अधिकारी कोषालय एवं लेखा विभाग, मध्यप्रदेश से प्रतिनियुक्ति आधार पर पदस्थ किये गये हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य इस कक्ष द्वारा निष्पादित किया जाता है। कक्ष की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या निम्न सारणी में दर्शायी गई है :

वर्ष	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
2007-08	6	6
2008-09	6	6
2009-10	6	6
2010-11	6	5
2011-12	6	5

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को दर्शाने वाले रोस्टर के अनुसार, वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 48 से 50 इकाईयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की जानी थी। लेखापरीक्षा हेतु योजनाबद्ध, लेखापरीक्षित इकाईयों एवं ली गई निराकृत एवं बकाया आपत्तियों की संख्या का विवरण आगामी तालिका में दिया गया है :

[18] 8320089 व.ली.×₹ 13.46 = ₹ 111988398
692359 व.ली.× ₹22.45 = ₹ 15543460
9012448 व.ली. ₹ 127531858 (₹ 12.75 करोड़)

वर्ष	रोस्टर के अनुसार इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	रोस्टर के संदर्भ में कमी	कमी का प्रतिशत	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	शेष कंडिकायें
2007-08	48	27	21	43.75	44	-	44
2008-09	48	38	10	20.83	50	-	50
2009-10	48	26	22	45.83	14	-	14
2010-11	50	41	09	18.00	60	07	53
2011-12	50	16	34	68.00	64	12	52

इस प्रकार 2007–08 से 2011–12 के मध्य पाँच वर्षो में से किसी में भी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों में अन्तर्निहित मौद्रिक मूल्य तथा वसूल की गई राशि आदि का विवरण आईएसी के पास उपलब्ध नहीं था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने बताया (जनवरी 2013) कि कर्मचारियों की कमी एवं उनके अन्य कार्यो में संलग्न रहने के कारण, लेखापरीक्षा रोस्टर में निर्धारित अनुसार निष्पादित नहीं की जा सकी। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि तीन वर्षो में (2007–08 से 2009–10) कोई पद रिक्त नहीं था और शेष दो वर्षो में छः पदों में से केवल एक रिक्त था। इसके अतिरिक्त आन्तरिक लेखापरीक्षा आईएसी का प्राथमिक कार्य तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग था, जिसकी कर्मचारियों के अन्य कार्यो में संलग्न होने के कारण उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये थी।

अनुपालन में कमियां

3.5.14 विदेशी मदिरा/स्पिरिट का अनियमित निर्यात/ परिवहन एवं मदिरा / स्पिरिट की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना ।

3.5.14.1 आर.एस.[19] / ई.एन.ए.[20] का निर्यात/परिवहन

म0प्र0 आसवनी नियमों के अनुसार, स्पिरिट मध्य प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर स्थित किसी आसवनी से अन्य आसवनी अथवा मदिरा भाण्डागार या बोटलिंग इकाई अथवा औद्योगिक इकाई को शुल्क का भुगतान किये बिना विक्रेता लायसेंसधारक द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित भुगतान के लिये समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ प्रपत्र डी–2 में बंध पत्र निष्पादित करने पर ले जाया जा सकेगा । लायसेंसधारक गन्तव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी से एक आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन (ईवीसी) प्राप्त कर इसे अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि लायसेंसधारक ऐसा करने में विफल रहता है तो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित राशि की वसूली निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र से की जायेगी । आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नानुसार वसूली योग्य राशि निर्धारित की गई है :

1. देशी मदिरा विनिर्माण हेतु आर.एस. के निर्यात/परिवहन किये जाने की दशा में, यह म0प्र0 में देशी मदिरा पर देय अधिकतम शुल्क के बराबर होगी
2. विदेशी मदिरा विनिर्माण के लिये अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिये ई.एन.ए. के निर्यात/परिवहन किये जाने की दशा में, यह म0प्र0 में विदेशी मदिरा पर तत्समय देय अधिकतम शुल्क के बराबर होगी ।

हमने दिसम्बर 2011 एवं मई 2012 के मध्य पांच जिलों[21] की सात आसवनियों[22] में निर्यात/परिवहन पंजी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य लायसेंसधारकों ने 1,444 अनुज्ञापत्रों पर 2,74,88,292.9 प्रूफ लीटर आरएस एवं 1,41,92,595 प्रूफ लीटर ईएनए जिसमें आबकारी शुल्क ₹ 703.51 करोड़[23] अन्तर्निहित था, शुल्क का भुगतान किये बिना अथवा समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं

19 परिशोधित स्पिरिट।

20 अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल।

21 धार, ग्वालियर, खरगौन, राजगढ़ तथा रायसेन।

22 मैसर्स ग्रेट गेलन लिमिटेड, धार, मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी लिमिटेड, धार, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खरगौन, मैसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी लिमिटेड, खरगौन, मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़ एवं मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन।

23 2,74,88,292.9 प्रू.ली.× ₹ 80 = ₹ 2,19,90,63,432
1,41,92,595 प्रू.ली.× ₹ 340.74 = ₹ 4,83,59,84,820
₹ 7,03,50,48,252 (₹ 703.50 करोड़)

के साथ प्रारूप डी–2 में बंध पत्र निष्पादित किये बिना निर्यात/ परिवहन किया । इस प्रकार राज्य के राजस्व हित को सुरक्षित करने हेतु निर्धारित कार्यविधि से समझौता किया गया और लायसेंसधारकों की मर्जी पर छोड़ दिया गया । आगे यह देखा गया कि आरएस/ईएनए के निर्यात अथवा परिवहन के संदर्भ में बंधपत्र के निष्पादन किये जाने तथा उनके सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने पर निगरानी रखने के लिये, इस प्रकार का कोई अभिलेख या आवधिक विवरणियाँ निर्धारित नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स ग्रेट गैलियन लिमिटेड, धार ने बताया (अप्रैल 2012) कि उच्च प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी । ग्वालियर जिले के अलावा अन्य आसवनियों के जिला आबकारी अधिकारियों ने दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य बताया कि प्रपत्र डी–2 में बन्ध पत्र का निष्पादन कराये जाने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर ने बताया (मई 2012) कि प्रपत्र डी–2 में बंधपत्र का निष्पादन कराया गया है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि अधिनियम में प्रपत्र डी–2 में बंध पत्र के निष्पादन का प्रावधान है, अतः उच्च प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त स्प्रिट का निर्यात/परिवहन अनुमत्य किये जाने के पूर्व समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बंधपत्रों का निष्पादन नहीं कराया गया ।

3.5.14.2 हमने जुलाई 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य तीन जिलों[24] में तीन आसवनियों[25] में निर्यात/परिवहन पंजी एवं ईवीसी से अवलोकित किया कि सितम्बर 2010 एवं जुलाई 2011 के मध्य की अवधि के दौरान लायसेंस धारकों ने सात अनुज्ञापत्रों पर 82275.5 प्रूफ लीटर आरएस/ईएनए अन्तर्निहित आबकारी शुल्क ₹ 3.45 करोड़ का भुगतान किये बिना अथवा समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ पपत्र डी–2 में बंधपत्र निष्पादित किये बिना निर्यात/परिवहन किया। यद्यपि इस प्रकार निर्यात / परिवहन किये गये आरएस/ईएनए की मात्रा की प्राप्ति के आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन गन्तव्य इकाइयों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त नहीं हुये थे, फिर भी आसवनियों के जिला आबकारी अधिकारियों ने 40 दिन की अनुज्ञेय अवधि के आगे 157 से 383 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की । इसके अतिरिक्त, आसवनी अधिकारियों ने आरएस/ईएनए का निर्यात/परिवहन हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के पूर्व प्रपत्र डी–2 में बंध पत्र की जांच नहीं की । उन्होने यह जांच करने के लिये कि आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्राप्त हुये या नहीं, किसी पंजी का भी संधारण नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप

[24] छतरपुर, ग्वालियर तथा खरगौन।

[25] मैसार्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खरगौन तथा मैसर्स कोक्स इण्डिया लिमिटेड, छतरपुर।

₹ 3.45 करोड़[26] के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारियों (आसवनी) ने जुलाई 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे । हम सहमत नहीं है क्योंकि विभाग, सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में शुल्क की वसूली करने में विफल रहा ।

3.5.14.3 विदेशी मदिरा/बीयर/बोतल बंद देशी मदिरा का निर्यात/परिवहन

आबकारी अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि कोई भी मादक द्रव्य किसी भी आसवनी, यवासवनी, मद्य भाण्डागार या भण्डारण के किसी अन्य स्थान से निर्यात/परिवहन नहीं किया जायेगा, जब तक कि लायसेंसधारक परिवहन/निर्यात किये जाने वाले मादक द्रव्य की पूरी मात्रा पर आरोपणीय निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा समान राशि की बैंक गारंटी या प्रपत्र एफ.एल.–23 में उतनी राशि के लिये पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बंधपत्र निष्पादित कर प्रस्तुत नहीं करता है । इसके साथ ही लायसेंसधारक गंतव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) से आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र (ईवीसी) प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर परिवहन/निर्यात अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विफलता की स्थिति में अन्तर्निहित शुल्क की वसूली, जमा की गई राशि, प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी अथवा निष्पादित प्रतिभूति बंध पत्र से की जायेगी । आगे शासन ने अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर 2010 के द्वारा प्रावधान किया कि यदि ई.वी.सी. 40 दिन की निर्धारित समयावधि के बाद प्रस्तुत कर दी जाती है तो वसूल किया गया शुल्क आवश्यक सत्यापन के बाद निर्यातकर्ता को वापस कर दिया जायेगा ।

हमने नवम्बर 2011 एवं मई 2012 के मध्य पाँच जिलों[27] की सात बोतल भराई इकाईयों[28] एवं दो यवासवनियों[29] में निर्यात/परिवहन पंजी से अवलोकित किया कि लायसेंसधारकों ने अक्टूबर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य 7,738 अनुज्ञापत्रों पर 23,71,102 पेटी बोतलबंद विदेशी मदिरा (स्प्रिट) एवं 30,74,165 पेटी बीयर का निर्यात/परिवहन किया

26 20160 प्रू.ली.× ₹ 681 = ₹ 13728960
60480 प्रू.ली.×₹ 340.70 = ₹ 20605536
835.5 प्रू.ली.×₹ 160 = ₹ 133680
800 प्रू.ली.×₹80 = ₹ 64000 ₹ 34532176 (₹ 3.45 करोड़)

27 धार, ग्वालियर, इन्दौर, राजगढ़ तथा रायसेन।

28 मैसर्स ग्रेट गेलिअन लिमिटेड, धार, मैसर्स सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड, धार, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स रेडिको खैतान लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स ए.बी.डी. लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़ तथा मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन।

29 मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन तथा मैसर्स माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर।

जिसमें शुल्क ₹ 171.87 करोड़ अन्तर्निहित था । यह देखा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये विभाग ने निर्धारित शुल्क वसूल किये बिना अथवा बैंक गारंटी या अन्तर्निहित ड्यूटी राशि के लिये शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बंधपत्र प्राप्त किये बिना निर्यात/परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किये। इस प्रकार राज्य के राजस्व हित को सुरक्षित करने हेतु निर्धारित क्रियाविधि के साथ समझौता किया गया और लायसेंसधारकों की मर्जी पर छोड़ दिया गया ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, मैसर्स सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड, धार एवं मैसर्स विन्ध्याचल डिस्टीलरी राजगढ़ के प्रभारी अधिकारियों ने मार्च एवं मई 2012 में बताया कि बैंक गारंटी प्राप्त होने अथवा बंधपत्र निष्पादन किये जाने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । मैसर्स ग्रेट गैलियन लिमिटेड, धार, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा.लि., मैसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड एवं मेसर्स ए.बी.डी. लिमिटेड, ग्वालियर के आसवनी अधिकारियों ने अप्रैल एवं मई 2012 में बताया कि बंधपत्रों का निष्पादन कराया जा रहा था । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बंधपत्रों का निष्पादन मदिरा के निर्यात/परिवहन की अनुमति देने पूर्व किया जाना था ।

3.5.14.4 हमने मई 2011 एवं मई 2012 के मध्य आठ जिलों[30] की 12 विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाईयों[31], तीन यवासवनियों[32], बाह्य निर्माताओं के दो केन्द्रीय भाण्डागारों[33] (एफ.एल.–10ए) एवं एक देशी मदिरा बोतल भराई इकाई[34] (सी एस –1ए) में निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र पंजियों एवं ई.वी.सी. प्राप्ति पंजियों से अवलोकित किया कि लायसेंसधारकों ने मार्च 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य 522 अनुज्ञापत्रों पर 13,46,966.95 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा (स्प्रिट) 8,84,919.72 बल्क लीटर बीयर एवं 11,250 प्रूफ लीटर बोतल बंद देशी मदिरा का निर्यात/परिवहन किया, जिसमें ₹ 16.80 करोड़ का शुल्क अन्तर्निहित था। यद्यपि इस प्रकार निर्यात/परिवहन की गई मदिरा की मात्रा की प्राप्ति हेतु सत्यापन प्रतिवेदन गन्तव्य इकाइयों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त नहीं हुए थे, फिर भी विभाग ने अनुज्ञेय अवधि के बाद दो से 450 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी बैंक गारंटी अथवा बंधपत्र से शुल्क के समायोजन हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट – II में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 16.80 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

30 भोपाल, छतरपुर, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगौन तथा रायसेन।

31 मैसर्स यूनाइटेड रिपरिट लिमिटेड (एफ.एल.–9 तथा 9ए) भोपाल, मैसर्स जुबली ब्रेवरीज लिमिटेड, भोपाल, मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी लिमिटेड धार, मैसर्स ग्रेट गेलिअन लिमिटेड, धार, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स विनायक डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स परनार्ड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9, 9ए), ग्वालियर, मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन, मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन, मैसर्स रेडसन डिस्टीलरी, जबलपुर, मैसर्स डाइजिओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, खरगौन तथा मैसर्स ऐसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खरगौन।

32 मैसर्स माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर, मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन तथा मैसर्स जगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड, छतरपुर।

33 मैसर्स परनार्ड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर एवं मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, भोपाल।

34 मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों ने 517 प्रकरणों में मई 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे । भोपाल एवं छतरपुर जिले के पांच प्रकरणों के बारे में यह बताया गया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके थे। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि इन सभी प्रकरणों में सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने के कारण शुल्क वसूली योग्य था जिसके लिये विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की ।

3.5.15 न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किये जाने पर शास्ति का अनारोपण

म0प्र0 आसवनी नियमों के अनुसार एक आसवक द्वारा आसवनी में स्प्रिट का निर्धारित न्यूनतम स्टॉक बनाये रखना अपेक्षित है । इसमें विफल रहने पर, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि शासन को वास्तव में कोई हानि हुई है या नहीं, आबकारी आयुक्त न्यूनतम निर्धारित स्टॉक से कम पायी गई मात्रा पर एक रूपया प्रति बल्क लीटर से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकेंगे । आसवनी अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे प्रकरणों के प्रभावी परिवीक्षण एवं शास्ति आरोपण हेतु प्रत्येक तिमाही में स्प्रिट की निर्धारित मात्रा के विरूद्ध कमी के प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को सूचित करेगा ।

हमने अप्रैल 2012 में दो जिलों[35] में दो आसवनियों[36] के स्पिरिट स्टॉक एवं प्रदाय पंजी से अवलोकित किया कि जुलाई 2009 एवं जनवरी 2012 के मध्य आसवकों द्वारा 83 अवसरों पर स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्टाक संधारित नहीं किया गया था। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी निर्धारित न्यूनतम स्टाक 27.93 लाख बल्क लीटर से कम पाई गई स्पिरिट पर ₹ 9.09 लाख की शास्ति आरोपण किये जाने हेतु मामला आबकारी आयुक्त के पास ले जाने में विफल रहे । इसके परिणामस्वरूप अधिकतम शास्ति ₹ 9.09 लाख का आरोपण नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, खरगौन ने बताया (अप्रैल 2012) कि आसवक को 'कारण बताओ' सूचना पत्र जारी किया गया था । जिला आबकारी अधिकारी, धार ने बताया (अप्रैल 2012) कि न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किये जाने के प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु आबकारी आयुक्त को भेजा जायेगा । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2013) ।

[35] धार तथा खरगौन।

[36] मैसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी, खरगौन तथा मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी लिमिटेड ,धार।

3.5.16 अमान्य छीजन पर शास्ति का अनारोपण

आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि बोतल बंद विदेशी मदिरा/बीयर के सभी निर्यातों पर दूरी को ध्यान में लाये बिना अधिकतम छीजन की छूट 0.25 प्रतिशत होगी । परिवहन के सभी प्रकरणों में विक्रेता और क्रेता लायसेंसधारक एक ही जिले के होने पर यह 0.1 प्रतिशत होगी तथा उनके विभिन्न जिलों के होने पर 0.25 प्रतिशत होगी । बोतल बंद देशी मदिरा के निर्यात के प्रकरण में यह 0.25 प्रतिशत होगी और परिवहन के लिये यह दूरी का विचार किये बिना 0.5 प्रतिशत होगी। आगे राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2012 को किये गये संशोधन के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2011 से यह प्लास्टिक बोतलों में परिवहन के प्रकरण में 0.1 प्रतिशत होगी तथा कांच की बोतलों में परिवहन में 0.25 प्रतिशत होगी । आर.एस./ई.एन.ए. के प्रकरण में नियमों में एक आसवनी/भाण्डागार से दूसरे आसवनी/भाण्डागार को टैंकरों से परिवहन या निर्यात की गई स्पिरिट/ई.एन.ए. पर उनकी दूरी के अनुसार रिसाव या वाष्पीकरण के लिये 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक छीजन अनुमत्य है । अनुज्ञेय सीमा से अधिक छीजन की दशा में लायसेंसधारक शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दर से शास्ति भुगतान के दायित्वाधीन होगा ।

हमने अगस्त 2011 एवं मई 2012 के मध्य 12 जिलों[37] के चार विदेशी मदिरा भाण्डागारों[38], पाँच विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों[39], दो यवासवनियों[40], तीन आसवनियों[41] एवं सात देशी मदिरा भाण्डागारों[42] में ई.वी.सी. अवलोकित किया कि मई 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य की अवधि में 5,669 प्रकरणों में निर्यात/परिवहन के दौरान 80,118.14 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा (स्पिरिट), 67,892.58 बल्क लीटर बीयर, 24,221.66 प्रूफ लीटर देशी मदिरा एवं 40,599.49 प्रूफ लीटर आरएस/ईएनए की छीजन अनुज्ञेय सीमा से अधिक पाई गई जिस पर निम्न तालिका में दर्शाये विवरण के अनुसार न्यूनतम शास्ति ₹ 10.02 करोड़ आरोपणीय थी :

37 बालाघाट, भोपाल, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगौन, रायसेन, रीवा, सीहोर, श्योपुर तथा उज्जैन।

38 ग्वालियर, जबलपुर, रीवा तथा उज्जैन।

39 मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, गोविन्दपुरा, भोपाल, मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, सरवर, भोपाल, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स परनार्ड रिकार्ड इण्डिया लिमिटेड, ग्वालियर तथा मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी, धार।

40 मैसर्स माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर तथा मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन।

41 मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर तथा मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी, धार।

42 बालाघाट, बड़वाह, डबरा, ग्वालियर, सीहोर, श्योपुर तथा विजयपुर।

(₹ करोड़ में)

मदिरा की प्रकृति	निर्यात/परिवहित मात्रा (प्रू.ली./ ब.ली.)	दूसरी ओर प्राप्त मात्रा (प्रू.ली./ ब.ली.)	अंतर (प्रू.ली./ ब.ली.)	अनुमत्य छीजन (प्रू.ली./ ब.ली.)	अधिक छीजन (प्रू.ली./ ब.ली.)	शास्ति
विदेशी मदिरा (स्पिरिट)	13104323.74	12991647.37	112676.36	32558.22	80118.14	7.63
बीयर	12004309.2	11906405.91	97903.29	30010.70	67892.58	0.57
देशी मदिरा	6386491.75	6353110.28	33381.47	9159.80	24221.66	0.63
आर.एस. /ई.एन.ए.	4275082.10	4231732.31	43349.39	2749.90	40599.49	1.19
					योग	10.02

तथापि, यह देखा गया कि जबलपुर एवं रीवा जिलों में केवल ₹ 11.94 लाख की राशि वसूल की गई थी । शास्ति की शेष राशि ₹ 9.90 करोड़ के आरोपण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 9.90 करोड के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

3.5.17 विदेशी एवं देशी मदिरा के विनिर्माण में अमान्य छीजन पर शास्ति का अनारोपण

आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि विदेशी/देशी मदिरा के विनिर्माण के दौरान सम्मिश्रण की क्रियाओं में समिश्रण कुण्ड में मिलाई गई स्पिरिट/ई.एन.ए. की मात्रा के एक प्रतिशत की दर से छीजन अनुमत्य है । अनुज्ञेय सीमा से अधिक छीजन होने पर, लायसेंसधारक 13 दिसम्बर 2011 तक तत्समय देशी मदिरा पर भुगतान योग्य शुल्क के तीन गुने परन्तु चार गुने से अनधिक और उसके बाद तत्समय भुगतान योग्य शुल्क की राशि से अनधिक की शास्ति का भुगतान करने दायित्वाधीन होगा।

हमने जून 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य तीन देशी मदिरा भाण्डागारों[43] एवं एक विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाई[44] में मदिरा विनिर्माण पंजियों से अवलोकित किया कि मार्च 2009 एवं अक्टूबर 2011 के मध्य की अवधि के दौरान 518 प्रकरणों में मदिरा विनिर्माण के लिये समिश्रण कुण्डों में 18,76,575.63 प्रूफ लीटर आरएस/ईएनए मिलाया गया था । इसमें 21,142.14 प्रूफ लीटर समिश्रण छीजन दशाई गई । इस प्रकार अनुज्ञेय सीमा 18,765.7 प्रूफ लीटर के विरूद्ध 2,376.44 प्रूफ लीटर अधिक छीजन अनुमत्य की गई, जिस पर न्यूनतम शास्ति ₹ 10.63 लाख आरोपणीय थी । तथापि, यह देखा गया कि

43 दमोह, नरसिंहगढ़ एवं पीलुखेड़ी

44 सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन।

विभाग द्वारा शास्ति आरोपित एवं वसूल नहीं की गई । इसके परिणाम स्वरूप परिशिष्ट – III में दर्शाये विवरण अनुसार शास्ति ₹ 10.63 लाख की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, राजगढ़ ने मार्च 2012 मे बताया कि छीजन 2.5 प्रतिशत की सीमा में थी । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि समिश्रण क्रिया में एक प्रतिशत की दर से छीजन अलग से अनुमत्य योग्य है और इस सीमा से अधिक छीजन के प्रकरण में शास्ति आरोपण योग्य होगी । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

3.5.18 मदिरा का निराकरण न होने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना

आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि लायसेंस या लेबलों की समाप्ति, नवीनीकरण न होने तथा निरस्तीकरण होने पर, लायसेंसधारक स्पिरिट/मदिरा का सम्पूर्ण स्कंध जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा । हालांकि, उसे उक्त स्कंध को लायसेंस अथवा लेबलों की समाप्ति, नवीनीकरण न होने और निरस्तीकरण के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किसी अन्य लायसेंसधारक को बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है । जिसमें विफल रहने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य पात्र लायसेंसधारक से ऐसे स्कंध को क्रय करने के लिये कह सकता है या नष्टीकरण इत्यादि के माध्यम से स्कंध के निराकरण के आदेश दे सकेगा ।

हमने नवम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य देशी मदिरा भाण्डागार उज्जैन एवं विदेशी मदिरा भाण्डागार सागर में स्कन्ध एवं प्रदाय पंजी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2009 से विदेशी मदिरा के 13 लेबलों का नवीनीकरण न होने और 1 अप्रैल 2011 से देशी मदिरा की बोतल भराई बन्द होने के कारण मद्यभाण्डागारों में अनिराकृत रखे हुये 13,104.10 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 7,246.40 प्रूफ लीटर आर.एस. के स्कन्ध का निराकरण करने हेतु 11 से 25 माह का समय व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकांश प्रकरणों में निराकरण नहीं किया जा सका क्योंकि आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश जारी नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप आगामी तालिका में दर्शाये विवरण अनुसार ₹ 21.62 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(₹ लाख में)

विनिर्माणकर्ता का नाम	अनिराकृत रहने का दिनांक	मदिरा की मात्रा (प्रू.ली.)	शुल्क
मैसर्स एल्कोब्रू डिस्टीलरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9ए)	1.4.2009	1391.24	1.94
मैसर्स गोल्ड वाटर्स ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9)	1.4.2009	4516.23	3.90
मैसर्स मेनसन्स एण्ड समर्स प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9ए)	1.4.2009	2504.59	3.42
मैसर्स एस.जी.डिस्टलरीज़ लिमिटेड, (एफ.एल.–9)	1.4.2009	2164.68	2.18
मैसर्स डायजिओ रेडिको डिस्टीलर प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9क)	1.4.2009	2527.36	4.38
देशी मदिरा भाण्डागार, उज्जैन	1.4.2011	7246.40 (आर.एस.)	5.80
		योग	21.62

3.5.19 आसवनी में फ्लोमीटर की संस्थापना न होना

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के तहत आसवनी लायसेंसधारक आसवनी में तथा प्रदाय के समय स्पिरिट को मापने हेतु ऐसे माप, मापन यंत्र (गेजिंग मशीन), भारोत्तोलक यंत्र तथा अन्य उपकरणों को उपलब्ध कराएगा, जैसा कि आबकारी आयुक्त उसे उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे । आबकारी आयुक्त ने अपने परिपत्र दिनांक 29.12.2006 में नियंत्रक नाप, तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सीलबन्द फ्लोमीटर संस्थापित करने हेतु निर्धारित किया था ।

हमने मार्च 2012 में राजगढ़ जिले के मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, पीलूखेड़ी में संयन्त्र एवं मशीन तथा उपकरणों के अभिलेखों से अवलोकित किया कि लायसेंसधारी ने आसवनी में फ्लोमीटर संस्थापित नहीं किया । जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने फ्लोमीटर संस्थापित न करने के लिये लायसेंसधारक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। हमने आगे देखा कि मापन गैजिंग रॉड से किया जा रहा था जो केवल लगभग मूल्य देता है और इस प्रकार हमने 40 अवसरों पर दो छोर पर अर्थात एक आसवक छोर पर (डी–1) और दूसरे लायसेंसी के उसी परिसर में स्थित विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाई (एफ एल–9) पर मापन मूल्य में अन्तर पाया ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, राजगढ़ ने बताया कि आसवनी में प्रत्येक भण्डारण कुण्ड का गेजिंग किया गया था तथा प्रदाय के समय स्पिरिट का मापन गैजिंग रॉड से किया जा रहा था जो सही था । फ्लोमीटर आवश्यकता होने पर संस्थापित किया जायेगा । उत्तर नियमों एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुरूप नहीं है और गेजिंग रोड से मापन ने भी भिन्न–भिन्न मापन मूल्य दिये थे । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

3.5.20 देशी मदिरा के लेबलों का पंजीयन न होने से राजस्व की प्राप्ति न होना

म0प्र0 देशी स्पिरिट नियमों में प्रावधान है कि आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई देशी स्पिरिट की केवल ऐसी बोतलें मध्यप्रदेश में विक्रय, परिवहित की जायेंगी, आयात की जायेगी या मध्यप्रदेश से निर्यात की जायेंगी, जिनके नाम पत्र पर यथाविनिर्दिष्ट उपाख्यान/ब्यौरे दर्शाये गये होंगे। बोतल भराई की प्रत्येक इकाई हेतु रजिस्ट्रीकृत नामपत्र (लेबल्स) प्रत्येक वर्ष नवीकृत करवाये जायेंगे। किसी विनिर्माता द्वारा किसी नामपत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि इसे सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत या नवीनीकृत नहीं करवाया गया हो। राज्य शासन द्वारा जनवरी 2011 में अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2011 से देशी मदिरा के प्रत्येक लेबल के लिये प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय ₹ 10,000 रजिस्ट्रीकरण शुल्क एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिये रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण शुल्क ₹ 1,000 पैकिंग सामग्रीवार, उपयोगिता के अनुसार और पात्र की धारितावार पृथक–पृथक निर्धारित किया गया है।

हमने मई 2012 में आबकारी आयुक्त कार्यालय में लेबल रजिस्ट्रीकरण पंजी से अवलोकित किया कि 27 मद्य भाण्डागारों [45] में देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये लायसेंस (सी एस–1 बी) जारी किये गये थे, तथा 324 नामपत्रों (प्रत्येक मद्य भाण्डागार में 12 नामपत्र) का प्रयोग करते हुये बोतल बन्द देशी मदिरा का परिवहन पाँच मद्य भाण्डागारों से अप्रैल 2011 में, 18 मद्य भाण्डागारों से अप्रैल एवं मई 2011 में तथा चार से 2011–12 में पूरे वर्ष के दौरान किया गया। तथापि, यह देखा गया कि लायसेंसधारियों द्वारा उपरोक्त बोतल भराई इकाईयों के लिये इन नामपत्रों को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण

[45] बड़वाह, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, महू, मंडला, मन्दसौर, नरसिंहगढ़, नरसिंहपुर, रीवा,सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी तथा सीधी।

शुल्क ₹ 32.40 लाख[46] की प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ–साथ अपंजीकृत लेबल्स का प्रयोग करते हुये मदिरा की बोतल भराई एवं परिवहन अनियमित था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 2012) कि चूंकि कुछ आसवनियों में देशी मदिरा की बोतल भराई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, अतः 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2011 की अवधि के दौरान देशी मदिरा भाण्डागारों में देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये सीएस–1बी लायसेंस जारी किये गये थे। यह बताया गया कि सीएस–1बी लायसेंस के तहत अप्रैल एवं मई 2011 के दौरान प्रत्येक मद्य भाण्डागार में बोतल भराई के लिये अलग से रजिस्ट्रीकरण शुल्क लिया जाना उचित नहीं होगा। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि नियमानुसार, प्रत्येक बोतल भराई इकाई के लिये लेबल्स का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है। तथापि, चार मद्य भाण्डागारों[47] में सम्पूर्ण वर्ष के लिये बोतल भराई हेतु जारी किये गये लायसेंसों के बारे में आबकारी आयुक्त ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.5.21 मदिरा के अनियमित प्रदाय पर शुल्क की प्राप्ति न होना

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिये दुकानों से मदिरा विक्रय की शर्तों में प्रावधान है कि लायसेंसधारक द्वारा मदिरा दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस का भुगतान 24 पाक्षिक किस्तों में उसमें निर्धारित नियत दिनांकों को किया जायेगा। इसके अलावा अधिसूचनाओं में प्रावधान है कि अन्तिम किस्त अनिवार्यतः वर्ष की 25 मार्च तक जमा की जाना चाहिये और मदिरा का प्रदाय 27 मार्च तक दिया जा सकेगा, इसमें विफल रहने पर जमा राशि पर मदिरा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय अनुदेशों (दिसम्बर 2008) में प्रावधान है कि नियत दिनांक के बाद जमा की गई वार्षिक लायसेंस फीस की किस्तों के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय अवैध है, तथा ऐसे प्रकरणों में ब्याज सहित शुल्क की वसूली की जायेगी। हालांकि अनुदेशों में ब्याज दर का उल्लेख नहीं था।

हमने जून 2011 एवं सितम्बर 2011 के मध्य दो जिला आबकारी अधिकारियों[48] के अभिलेखों {लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली पंजी (जी–2) चालान एवं मदिरा प्रदाय पंजियों} से अवलोकित किया कि मदिरा दुकानों के 11 लायसेंसधारकों ने निर्धारित पाक्षिक लायसेंस फीस ₹ 15.68 लाख नियत

46 324 × ₹ 10000 = ₹ 3240000 (₹ 32.40 लाख)

47 बालाघाट, छिंदवाड़ा, खण्डवा तथा शिवपुरी।

48 दमोह एवं दतिया।

तिथियों के बाद जमा की थी। हमने आगे अवलोकित किया कि तीन जिलों[49] के मदिरा दुकानों के 44 लायसेंसधारकों ने ₹ 37.17 लाख की राशि 25 मार्च 2010 एवं 2011 के बाद जमा की। इस प्रकार, इन प्रकरणों में मदिरा का प्रदाय अनुमत्य नहीं था, परन्तु प्रदाय दिया गया। इसके अतिरिक्त, 87 लायसेंसधारकों ने ₹ 63.42 लाख की राशि 25 मार्च 2010 एवं 2011 के पूर्व जमा करा दी थी, परन्तु मदिरा का प्रदाय वर्ष के 27 मार्च के बाद दिया गया। शिवपुरी जिले के एक प्रकरण में एक लायसेंसधारक ने ₹ 3.30 लाख 28 मार्च 2011 को जमा किये और मदिरा का प्रदाय 6 मई 2011 को (अर्थात् आगामी वर्ष) में किया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर अन्तर्निहित शुल्क ₹ 1.20 करोड़ की मदिरा का अनियमित प्रदाय हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, दमोह ने कहा (जून 2011) कि प्रदाय की अनुमति राजस्व हित में दी गई थी, तथा इससे शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई। जिला आबकारी अधिकारी, दतिया ने बताया (सितम्बर 2011) कि प्रदाय मद्यभाण्डागार अधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से दिया गया था। जिला आबकारी अधिकारी, रतलाम ने बताया (जनवरी 2012) कि मदिरा का प्रदाय लायसेंसधारक की वर्ष के शेष बचे हुये भाग के लिये आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनुमत्य किया गया था और शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई। सहायक आबकारी आयुक्त, ग्वालियर तथा जिला आबकारी अधिकारी, राजगढ़ ने बताया (अक्टूबर 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि लायसेंसधारकों द्वारा 25 मार्च 2010 तक सम्पूर्ण लायसेंस फीस जमा नहीं कराई गई थी और मदिरा का प्रदाय 26 मार्च 2010 तक पूर्ण नहीं हुआ था, अतः प्रदाय बाद की तिथियों में दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी, शिवपुरी ने मदिरा का प्रदाय आगामी वर्ष में दिये जाने के सम्बंध में बताया (मई 2012) कि प्रदाय आबकारी अयुक्त की अनुमति से दिया गया था। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि मदिरा का प्रदाय वर्ष के 27 मार्च के बाद एवं नियत तिथियों के बाद जमा राशि पर अनुमत्य नहीं था।

3.5.22 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की गई विदेशी मदिरा/बीयर पर शुल्क का कम आरोपण

आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2010 के तहत जारी वर्ष 2010–11 के लिये दुकानों से मदिरा विक्रय की शर्तों के अनुसार, रक्षा सेवाओं को विदेशी मदिरा का प्रदाय आम नागरिकों के लिये आरोपणीय शुल्क का रम के लिये 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा के लिये 50 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करने पर किया जायेगा।

हमने दिसम्बर 2011 में जबलपुर जिले के एफ एल–6[50] लायसेंसधारकों के स्कंध एवं प्रदाय पंजी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2010 से नवम्बर 2010 की अवधि के

49 राजगढ़, रतलाम तथा शिवपुरी।

50 सैन्य कैन्टीन थोक लायसेंस।

दौरान 54 लेबल्स की 1,54,412 पेटी विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर) का प्रदाय एफएल–7[51] लायसेंसधारकों को ₹ 8.62 करोड़ शुल्क के भुगतान पर किया गया, जबकि वास्तविक आरोपणीय शुल्क ₹ 10.70 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट 'IV' में दर्शाये अनुसार ₹ 2.08 करोड़ शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इसको इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर ने बताया (फरवरी 2012) कि लायसेंसधारकों को वसूली हेतु सूचना पत्र जारी किये गये हैं। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

3.5.23 वार्षिक लायसेंस फीस की कम वसूली होना

आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये मदिरा दुकानों में मदिरा विक्रय के लिये जारी अधिसूचनाओं में प्रावधान है कि समूह की दुकानों में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में था इसके विपरीत अधिकतम 20 प्रतिशत तक लायसेंस फीस का समायोजन सम्बंधित लायसेंसी की मांग और आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उप आयुक्त आबकारी के अनुमोदन उपरांत अनुमत्य किया जा सकेगा। ऐसे समायोजन की सूचना एसी समय सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भी भेजी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त समूह की प्रत्येक दुकान का पृथक–पृथक एवं स्वतंत्र पहचान होगी।

हमने मई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य चार जिला आबकारी कार्यालयों[52] में जी–2 पंजियों एवं सम्बंधित अभिलेखों से अवलोकित किया कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये 20 मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस रूपये 17.45 करोड़ थी, तथा संभाग के उप आयुक्त आबकारी के अनुमोदन से सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने समूहों के भीतर की 14 विदेशी मदिरा से 14 देशी मदिरा तथा छः देशी मदिरा से छः विदेशी मदिरा दुकानों में 20 प्रतिशत तक लायसेंस फीस ₹ 3.20 करोड़ का समायोजन अनुमत्य किया था। इस प्रकार वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये 20 दुकानों की लायसेंस फीस ₹ 20.65 करोड़ संगणित हुई। तथापि, यह देखा गया कि ₹ 1.37 करोड़ की वसूली शेष छोड़कर लायसेंस फीस ₹ 19.28 करोड़ जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.37 करोड़ की लायसेंस फीस कम प्राप्त हुई।

51 सैन्य कैन्टीन फुटकर लायसेंस।

52 दमोह, इन्दौर, राजगढ़ तथा शिवपुरी।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, सभी जिला आबकारी अधिकारियों ने मई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य बताया कि लायसेंसधारकों ने अनुमत्य पूर्ण समायोजन का लाभ नहीं लिया, और इस प्रकार उन्होनें पाक्षिक लायसेंस फीस की राशि उन दुकानों में जमा की जिनमें से समायोजन का लाभ नहीं लिया गया था। इस प्रकार दुकानों के समूह की लायसेंस फीस पूर्ण रूप से जमा की गई थी, और शासन को कोई हानि नहीं हुई। चूंकि नियमों में समायोजन के निरस्तीकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था अतः उसका लाभ न लेना अनियमित नहीं था। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि समायोजन उप आयुक्त आबकारी के अनुमोदन से लायसेंसधारकों की मांग एवं आवश्यकता के परीक्षण के उपरांत अनुमत्य किया गया था।

3.5.24 मदिरा का अनियमित प्रदाय

आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2008, 16 जनवरी 2009 एवं 28 जनवरी 2010 के तहत जारी वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 के लिये मदिरा दुकानों के विक्रय की शर्तो में प्रावधान था कि यदि फुटकर बिक्री की मदिरा दुकान का लायसेंसधारक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जमा प्रतिभूति राशि और कोई अन्य देय राशि को कम करने के बाद शेष वार्षिक लायसेंस फीस की राशि जमा कर देता है, और वह प्रतिभूति जमा राशि का समायोजन, शेष बची लायसेंस फीस के विरूद्ध चाहता है, तो सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसे समायोजन की अनुमति प्रदान कर सकेंगें। प्रावधानों के अनुसार इस जमा प्रतिभूति के बराबर राशि पर मदिरा के प्रदाय की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित पाक्षिक लायसेंस फीस से अधिक राशि पर मदिरा के प्रदाय की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

म0प्र0 देशी स्पिरिट नियमों में प्रावधान है कि फुटकर विक्रेता की माँग एवं स्पिरिट हेतु वसूली योग्य प्रदाय मूल्य का कोषालय में भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, लायसेंसधारक आवश्यकता होने पर निर्धारित शक्ति की सेवन योग्य स्पिरिट की आपूर्ति करेगा।

3.5.24.1 हमने दिसम्बर 2011 में सहायक आबकारी आयुक्त, रायसेन की जी–2[53] एवं डी–17[54] पंजियों से अवलोकित किया कि फरवरी 2010 के अंत में जिला आबकारी अधिकारी के आदेश से तीन समूहों[55] की नौ मदिरा दुकानों के तीन लायसेंसधारकों को वर्ष 2009–10 की शेष बची लायसेंस फीस के विरूद्ध ₹ 27.56 लाख की जमा प्रतिभूति का समायोजन की अनुमति किया गया। यद्यपि लायसेंसधारकों को मदिरा का प्रदाय

[53] वार्षिक लायसेंस एवं बेसिक लायसेंस फीस की मांग एवं संग्रहण पंजी।

[54] देशी मदिरा प्रदाय पंजी।

[55] देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का एक समूह।

अनुमत्य था, फिर भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मदिरा उठाने की अनुमति नहीं दी गयी, जिसके कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। राशि वर्ष 2009–10 के लिये दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर दी गई। तथापि इसके विरूद्ध मदिरा का प्रदाय आगामी वर्ष (2010–11) में किया गया, जो नियमों के अर्न्तगत नहीं था।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, रायपुर ने बताया कि प्रदाय आबकारी आयुक्त के आदेश से अनुमत्य किया गया था। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि आगामी वर्ष में मदिरा का प्रदाय नियमों के अंतर्गत नहीं था।

3.5.24.2 हमने जून 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य दो जिला आबकारी अधिकारियों[56] के जी–2 एवं डी–17 पंजियों से अवलोकित किया कि फरवरी 2009, 2010 एवं 2011 के अन्त में तीन मदिरा दुकानों के लायसेंसधारियों को ₹ 15.18 लाख की जमा प्रतिभूति का समायोजन की अनुमति दी गयी थी। इसमें से राशि ₹ 12.60 लाख पर लायसेंसधारकों को मार्च 2009, 2010 एवं 2011 के प्रथम एवं द्वितीय पक्ष में मदिरा का प्रदाय अनुमत्य किया गया जो इन पक्षों के लिये निर्धारित लायसेंस फीस ₹ 4.29 लाख से ₹ 8.31 लाख अधिक था । इसके परिणामस्वरूप अन्तर्निहित शुल्क ₹ 8.31 लाख की मदिरा का अनियमित प्रदाय हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, अशोक नगर ने बताया (मार्च 2012) कि लायसेंसधारक को मार्च 2009 के प्रथम एवं द्वितीय पक्ष में मदिरा का अधिक प्रदाय अनुमत्य किया गया था क्योंकि उसने फरवरी 2009 के प्रथम एवं द्वितीय पक्ष में मदिरा का प्रदाय नहीं लिया था । उत्तर नियमों के अनुरूप नहीं है। जिला आबकारी अधिकारी, दमोह ने बताया (जून 2011) कि चूंकि लायसेंस फीस के समायोजन के लिये बैंक ड्राफ्ट 28.02.2011 को प्राप्त हो गया था, अतः मदिरा का प्रदाय तीन पक्षों के लिये अनुमत्य किया गया। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि चालान से राशि 01.03.2011 को जमा की गई थी और इसलिये फरवरी 2011 के दूसरे पक्ष के लिये मदिरा का प्रदाय मान्य नहीं था ।

3.5.25 आयात फीस की कम वसूली

म0प्र0 यवासवनी एवं मद्य नियमों में प्रावधान है कि राज्य के बाहर से बीयर का आयात शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये आयात शुल्क के भुगतान पर किया जा सकता है । शुल्क 31 मार्च 2011 तक ₹ 11 प्रति बल्क लीटर एवं उसके बाद ₹ 15 प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया गया था ।

हमने दिसम्बर 2011 में सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर के कार्यालय में आयात अनुज्ञा पत्रों एवं चालानों से अवलोकित किया कि अप्रैल 2011 एवं नवम्बर 2011 मे मध्य की अवधि के दौरान एक एफएल–6 लायसेंसधारक द्वारा 37 अनुज्ञापत्रों पर

[56] अशोकनगर तथा दमोह।

1,76,946 बल्क लीटर बीयर का आयात सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आयात अनुज्ञापत्रों के विरूद्ध किया गया । पुरानी दरों पर शुल्क का आरोपण होने के कारण आरोपणीय आयात शुल्क ₹ 26.54 लाख के विरूद्ध ₹ 19.46 लाख का आरोपण किया गया । इसके परिणामस्वरूप आयात शुल्क ₹ 7.08 लाख का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर ने बताया (दिसम्बर 2011) कि लायसेंसधारक से ₹ 79,944 वसूल किये जा चुके हैं और शेष राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

3.5.26 बेसिक लायसेंस फीस के गलत निर्धारण के कारण मदिरा का अधिक प्रदाय

आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2011 के तहत जारी वर्ष 2011–12 के लिये दुकानों से मदिरा विक्रय की शर्तो में प्रावधान है कि भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर के नगर निगम क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों के लिये बेसिक लायसेंस फीस दुकान के वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत, अन्य नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में यह 55 प्रतिशत तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत होगी । दुकान के वार्षिक मूल्य की शेष राशि वार्षिक लायसेंस फीस के रूप में वसूल की जायेगी । लायसेंसधारक द्वारा मदिरा क्रय करने हेतु भुगतान किये गये आबकारी शुल्क का समायोजन वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध किया जायेगा । बेसिक लायसेंस फीस पर मदिरा के प्रदाय की पात्रता नहीं होगी ।

हमने फरवरी 2012 में सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर के कार्यालय में वार्षिक एवं बेसिक लायसेंस फीस के निर्धारण सम्बंधी अभिलेखों से अवलोकित किया कि वर्ष 2011–12 के लिये देशी मदिरा दुकान, अमखेरा का लायसेंस ₹ 78.40 लाख वार्षिक मूल्य पर नवीनीकृत किया गया था । दुकान की बेसिक लायसेंस फीस इसे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मानकर वार्षिक मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से ₹ 39.20 लाख निर्धारित की गई, जबकि यह वार्षिक मूल्य के 60 प्रतिशत की दर से ₹ 47.03 लाख निर्धारित की जाना चाहिये थी क्योंकि दुकान, नगर निगम जबलपुर में स्थित थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 लाख की बेसिक लायसेंस फीस का कम निर्धारण हुआ और इस प्रकार वार्षिक लायसेंस फीस उसी राशि से अधिक निर्धारित हुई । नियमानुसार इस राशि पर मदिरा का प्रदाय अनुमत्य नहीं था । तथापि, विभाग ने लायसेंसी द्वारा मदिरा के क्रय हेतु भुगतान की गई आबकारी शुल्क की इस राशि का समायोजन इसे वार्षिक लायसेंस फीस मानकर अनुमत्य कर दिया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 लाख शुल्क से अन्तर्निहित देशी मदिरा का अधिक प्रदाय हुआ ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर ने बताया (फरवरी 2012) कि अमखेरा स्थित देशी मदिरा दुकान कलेक्टर जबलपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वर्गीकृत की गई थी और बेसिक लायसेंस फीस तदनुसार जमा की गई थी । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, अमखेरा जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 62 में स्थित है ।

हमने प्रकरण मई 2010 एवं जुलाई 2012 के मध्य आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013) ।

3.5.27 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा से प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा, मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों के संग्रहण हेतु संस्थापित प्रणाली अपूर्ण थी । निर्यात/परिवहन की गई मदिरा के आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र, आसवनियों में स्प्रिट के न्यूनतम स्टाक का संधारण, मदिरा के निर्यात, परिवहन, भण्डारण तथा विनिर्माण आदि के दौरान छीजन आदि जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवीक्षण का अभाव था । आन्तरिक लेखा परीक्षा भी, जो कि आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि का एक महत्वपूर्ण अवयव है, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में निष्प्रभावी हो गया । इसके अतिरिक्त, विभाग बहुत से क्षेत्रों जैसे कि मदिरा के विनिर्माण तथा विक्रय हेतु लायसेंस जारी करना, लायसेंस फीस का संग्रहण, मदिरा/स्प्रिट के परिवहन तथा आयात पर फीस का संग्रहण आदि के संबंध में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों तथा शासन द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों की सारभूत राशि की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई ।

3.5.28 अनुशंसाओं का सारांश

राज्य आबकारी शुल्क एवं फीस के प्रभावी आरोपण एवं संग्रहण के लिये शासन द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

- आसवनी में अल्कोहल उत्पादन के लिये रखा हुआ शीरा एवं अन्य मुलों पर नियंत्रण के लिये आसवनी नियमों में प्रावधान किया जाना;
- बीयर के न्यूनतम उत्पादन के लिये मानदण्डों का निर्धारण किया जाना;
- लायसेंस फीस के समायोजन उपरांत संगणित की गई दुकानों के पुनरीक्षित वार्षिक मूल्य पर अहाता लायसेंस फीस की वसूली के लिये आवश्यक प्रावधान लाना; और
- आन्तरिक लेखापरीक्षा क्रियाविधि को सशक्त करना ।

3.6 बीयर के विनिर्माण में अधिक छीजन पर शास्ति का अनारोपण

म0प्र0 यवासवनी एवं मद्य नियमों में प्रावधान है कि किसी यवासवनी में रेकिंग*, वाष्पीकरण, भण्डारण, पाश्चुरीकरण तथा अन्य आकस्मिकताओं के कारण हुई हानियों (छीजन) के लिए पांच प्रतिशत तिमाही मौक दिया जायेगा, जो पूर्ववर्ती तिमाही के अंतशेष तथा तिमाही के दौरान उत्पादित मात्रा पर पाँच प्रतिशत की दर से छूट दिये जाने का प्रावधान है। यदि वार्षिक छीजन पाँच प्रतिशत से अधिक है तो विहित सीमा से अधिक छीजन पर लायसेंसधारक 13 दिसम्बर 2011 तक तत्समय देय शुल्क के तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक, और उसके वाद तत्समय देय शुल्क की राशि से अनधिक शास्ति के भुगतान का दायित्वाधीन होगा। आबकारी आयुक्त ने परिपत्र दिनांक 15 मई 2008 में बीयर के विनिर्माण और उस पर छीजन के लिये तिमाही/ वार्षिक विवरणियाँ निर्धारित की हैं जो यवासवनियों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से आबकारी आयुक्त तथा उप आयुक्त आबकारी को प्रेषित की जायेंगी।

* बीयर का एक पात्र से दूसरे पात्र में अन्तरण करना ।

हमने दिसम्बर 2010 में मुरैना जिले में स्थित एक यवासवनी [57] के बीयर उत्पादन और विनिर्माण छीजन की पंजियों एवं मई 2011 में संग्रहीत अन्य जानकारी से अवलोकित किया कि वर्ष 2010–11 के दौरान रेकिंग, वाष्पीकरण एवं भण्डारण आदि के कारण 11,61,386 बल्क लीटर बीयर की छीजन हुई जो अनुमत्य सीमा 11,53,812.5 बल्क लीटर से 7,573.5 बल्क लीटर अधिक थी । इस प्रकार लायसेंसधारक न्यूनतम शास्ति ₹ 11.81 लाख का भुगतान करने के दायित्वाधीन था। तथापि, यह देखा गया कि यवासवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ नही की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.81 लाख[58] की शास्ति का आरोपण/प्राप्ति नहीं हुई।

प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[57] मैसर्स स्कोल ब्रेवरीज लिमिटेड, मैसर्स तृप्ति एल्कोबू लिमिटेड, मुरैना में उप किरायेदार।

[58] 7573.5 ब.ली. × ₹ 52 × 3 = ₹ 1181466 (₹ 11.81 लाख)

अध्याय - 4

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने परिवहन आयुक्त (प.आ.) एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (क्षे.प.अ.) के कार्यालयों में मोटर वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 9.48 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों से हमारे द्वारा बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में वाहनों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 13.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा प्रभावी कम्प्यूटरीकरण बताया गया ।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के सम्बंध में बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने 24,404 प्रकरणों में ₹ 121.01 करोड़ के राजस्व से सन्निहित कर का अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि इंगित किया था। इसमें से विभाग/शासन ने 17,972 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 98.07 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 5,530 प्रकरणों में ₹ 12.59 करोड़ वसूल किये। वर्ष 2009–10 को छोड़कर स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 5.29 से 18.23 के मध्य रहा जो बहुत कम था।
वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में, हमने मोटर वाहन कर से सम्बंधित 17 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 2,31,335 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 13.04 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रेक्षणों का पता चला । विभाग ने 642 प्रकरणों में ₹ 2.88 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान इंगित किया गया था । वर्ष 2011–12 के दौरान 108 प्रकरणों में ₹ 16.51 लाख की राशि वसूल की गई थी ।

हमारा निष्कर्ष

विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया । इसलिए आन्तरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाये जाने के साथ साथ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रणाली में कमियों का पता लगाया जाकर हमारे द्वारा संसूचित चूकों से भविष्य में बचा जा सके।

विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये कर एवं शास्ति की अप्राप्त राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय – 4
वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से अपर मुख्य सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है । वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति के आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता है जिसकी सहायता के लिए क्षेत्रीय स्तर पर तीन उप परिवहन आयुक्त (उ.प.आ.), 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं । वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत किया जाता है :

- मोटर यान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 तथा
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1991

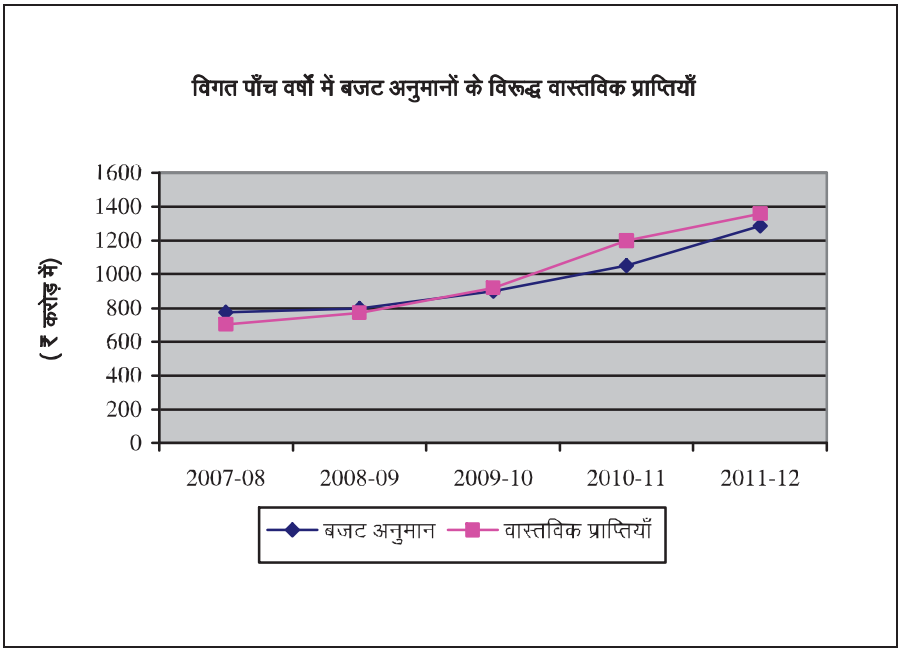
4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान वाहनों पर करों से वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि से सम्बंधित कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाईन ग्राफ में दर्शाया गया हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	775.00	702.62	(-)72.38	(-) 9.34	12,017.64	5.85
2008–09	800.00	772.56	(-)27.44	(-) 3.43	13,613.50	5.68
2009–10	900.00	919.01	(+) 19.01	(+) 2.11	17,272.77	5.32
2010–11	1,050.00	1,198.38	(+) 148.38	(+) 14.13	21,419.33	5.59
2011–12	1,285.00	1,357.12	(+) 72.12	(+) 5.61	26,973.44	5.03

(स्त्रोत : मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)



यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 9.34 से लेकर (+) 14.13 तक रहा ।

वर्ष 2011–12 में वाहनों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 13.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा प्रभावी कम्प्यूटरीकरण बताया गया ।

4.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 24,404 प्रकरणों में ₹ 121.01 करोड़ राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 17,972 प्रकरणों में अन्तर्निहित राशि ₹ 98.07 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा ₹ 12.59 करोड़ वसूल किये (30 नवम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार)। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा–परीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि पर वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006–07	18	1,938	20.05	1,938	20.05	394	1.06	5.29
2007–08	19	7,125	49.18	7,125	49.18	1,253	2.89	5.88
2008–09	28	5,962	21.88	4,851	19.09	1,422	3.48	18.23
2009–10	27	5,534	18.44	2,209	5.19	1,927	4.37	84.20
2010–11	26	3,845	11.46	1,849	4.56	534	0.79	17.32
योग		**24,404**	**121.01**	**17,972**	**98.07**	**5,530**	**12.59**	

वर्ष 2009–10 को छोड़कर विगत पांच वर्षों मे स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है। हमने इस मुद्दे को विभाग प्रमुख एवं शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है (जनवरी 2013) ।

4.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने 37 कंडिकाओं में ₹ 68.77 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 50.50 करोड़ की 21 कंडिकाओं में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा ₹ 10.45 करोड़ वसूल किये। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.12 तक वसूल की गई राशि
2006–07	4	5.39	1	5.05	1	1.96
2007–08	11	21.18	6	19.86	6	2.89
2008–09	7	20.22	6	18.45	6	3.38
2009–10	8	11.49	5	3.37	5	1.43
2010–11	7	10.49	3	3.77	3	0.79
योग	**37**	**68.77**	**21**	**50.50**	**21**	**10.45**

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिये।

4.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान वाहनों पर कर की प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किये गये ऐसे व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2009–10	919.01	28.42	3.09	2.93
2010–11	1198.38	32.90	2.75	3.07
2011–12	1357.12	40.40	2.97	3.71

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

हम यह मानते हैं कि वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी। विभाग को आगामी वर्षों में भी इस प्रवृत्ति को बनाये रखने को सुनिश्चित करना चाहिये।

4.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित की गई अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुदेश जारी करने के उद्देश्य से विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई है । वर्ष 2011–12 के दौरान, 50 जिलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध केवल चार जिलों में आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित की गई थी । विभाग ने अनुरोध के बावजूद भी कमी के कारणों से अवगत नहीं कराया (जनवरी 2013)। हमने देखा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा ने वर्ष 2011–12 के दौरान चार जिलों में मासिक एवं त्रैमासिक कर के अभिलेखों की संवीक्षा की थी तथा सुधारात्मक उपायों हेतु अनुदेश जारी किये थे। जिलों द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का आगामी विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित 17[1] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 2,31,335 प्रकरणों में ₹ 13.04 करोड़ के कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमिततायें पाई गई, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	1,243	6.40
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,275	4.19
3.	अन्य प्रेक्षण	2,28,817	2.45
	योग	**2,31,335**	**13.04**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 642 प्रकरणों में ₹ 2.88 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 108 प्रकरणों में ₹ 16.51 लाख की राशि वसूल की गई ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों जिनमें ₹ 9.48 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

[1] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.) – भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा तथा सागर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ.) – छतरपुर, खरगोन तथा सतना एवं जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) – बालाघाट, बड़वानी, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मंडला तथा नरसिंहपुर।

4.7 वाहनों पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार किया जायेगा । यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की भुगतान न की गई राशि पर चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा जो कर की राशि के दुगुने से अनधिक होगी । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कराधान प्राधिकारी कर की वसूली पर निगरानी रखने हेतु एक मांग एवं वसूली पंजी संधारित करेगा। वह निश्चित समयावधि पर पंजी की समीक्षा कर चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र भी जारी करेगा।

हमने (नवम्बर 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) मांग एवं वसूली पंजी, अनुज्ञापत्र पंजी एवं वाहन समर्पण पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी तथा कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस (17 कार्यालयों में, जहाँ डाटाबेस उपलब्ध कराया गया) की समीक्षा के दौरान पाया कि अप्रैल 2006 एवं मार्च 2011 के मध्य की अवधि से सम्बंधित नमूना जाँच किये गये 15,000 प्रकरणों में से 1,652 वाहनों पर कर की राशि ₹ 4.03 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था । अभिलेख में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जा रहा था अथवा उन्हें किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित कर दिया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायें गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.13 करोड़ की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹ 7.16 करोड़ के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई :

(₹ करोड़में)

क्र. सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणी वाहनों की संख्या	अन्तर्निहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	योग (5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	17[2]	मालवाहन 1,053	4/06 से 3/11	1.87	1.48	3.35

[2] क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.)– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा एवं सागर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) – छतरपुर, खरगोन एवं सतना तथा जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) – बालाघाट, बड़वानी, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मण्डला एवं नरसिहंपुर।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	17[3]	आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये लोकसेवा वाहन 292	4/06 से 3/11	1.02	0.80	1.82
3	14[4]	नियमित अनुज्ञा पत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहन 130	12/06 से 3/11	0.80	0.56	1.36
4	13[5]	मैक्सी कैब 177	4/06 से 3/11	0.34	0.29	0.63
	योग	**1,652**		**4.03**	**3.13**	**7.16**

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) आठ कराधान प्राधिकारियों[6] ने बताया (अप्रैल एवं सितम्बर 2012 के मध्य) कि 56 प्रकरणों में ₹ 13.88 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी एवं 514 प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे । अन्य प्रकरणों के सम्बंध में शेष कराधान प्राधिकारियों ने बताया (जनवरी एवं मार्च 2012 के मध्य) कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी/वसूली की जायेगी।

हमने मार्च एवं जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

3 क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा एवं सागर, अ.क्षे.प.का.– छतरपुर, खरगौन एवं सतना तथा जि.प.का. – बालाघाट, बड़वानी, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मण्डला एवं नरसिहंपुर।

4 क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना एवं रीवा, अ.क्षे.प.का– छतरपुर, खरगौन एवं सतना तथा जि.प.का.– बालाघाट, बड़वानी, हरदा, मण्डला एवं नरसिहंपुर।

5 क्षे.प.का.– ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर एवं मुरैना, अ.क्षे.प.का. – छतरपुर, खरगौन एवं सतना तथा जि.प.का. – बड़वानी, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मण्डला एवं नरसिहंपुर।

6 क्षे.प.का.– मुरैना एवं सागर, अ.क्षे.प.का.– छतरपुर, खरगौन एवं सतना तथा जि.प.का.– हरदा, मण्डला एवं नरसिंहपुर।

4.8 मोटर वाहनों पर कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार किया जायेगा । लोकसेवा/निजी सेवावाहनों पर आरोपण योग्य कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जायेगी। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी ।

हमने (दिसम्बर 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) तेरह जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[7] में मांग व वसूली पंजी, अनुज्ञा पत्र जमा पंजी एवं वाहन समर्पण पंजी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी की समीक्षा के दौरान पाया कि 267 मोटर वाहनों का जनवरी 2006 एवं मार्च 2011 के मध्य की अवधि से सम्बंधित वाहन कर, कर की गलत दर लागू किए जाने के कारण वाहन स्वामियों द्वारा कम जमा किया गया था । कराधान प्राधिकारियों द्वारा गलत दर के अनुप्रयोग को संसूचित करने में विफलता के परिणामस्वरूप वाहन कर ₹ 21.36 लाख की कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, असंदत्त कर की राशि पर आरोपणीय ₹ 14.31 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) पांच कराधान प्राधिकारियों[8] ने बताया (मई एवं सितम्बर 2012 के मध्य) कि 52 प्रकरणों में राशि ₹ 2.63 लाख वसूल की जा चुकी थी एवं 38 प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी किये गये थे/ वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है। अन्य प्रकरणों में शेष कराधान प्राधिकारियों ने बताया (जनवरी एवं मार्च 2012 के मध्य) कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त कार्यवाई की जायेगी/वसूली की जायेगी।

हमने मार्च एवं जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

7 क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर एवं रीवा, अ.क्षे.प.का.– खरगोन एवं सतना तथा जि.प.का.– बालाघाट, दमोह, डिन्डोरी, हरदा, मण्डला एवं नरसिहंपुर।

8 अ.क्षे.प.का. – खरगोन एवं सातना तथा जि.प.का. – हरदा, मण्डला एवं नरसिहंपुर।

4.9 व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 34 के अनुसार किसी व्यवसायी द्वारा व्यापार प्रमाण पत्र दिये जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र – 16 में उसके साथ उपरोक्त अधिनियम के नियम – 81 में उल्लिखित फीस संलग्न कर प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवसायी द्वारा बेचे गये प्रत्येक वाहन पर फीस प्रभारणीय है।

हमनें (जनवरी और मार्च 2012 के मध्य) छः जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[9] में व्यापार फीस पंजी तथा व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों (जहाँ उपलब्ध थीं) एवं कराधान प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में पाया कि अप्रैल 2008 और मार्च 2011 के मध्य विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 2,28,682 वाहन पंजीकृत किये गये थे, फिर भी व्यापारियों द्वारा या तो वांछित व्यापार फीस जमा नहीं की गई थी या निर्धारित राशि से कम जमा की गई थी। कराधान प्राधिकारी बेचे गये उन वाहनों की वास्तविक संख्या भी सुनिश्चित नहीं कर सके जिनके विरूद्ध व्यापार प्रमाण पत्र जारी किये गये और व्यापार फीस की सही राशि वसूल नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.82 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा (जनवरी और मार्च 2012 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, ग्वालियर ने बताया (जनवरी 2012) कि व्यवसाइयों से व्यापार कर का संग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार किया जाता है जबकि कराधान प्राधिकारियों, भोपाल, रीवा तथा बालाघाट ने बताया (फरवरी और मार्च 2012 के मध्य) कि पंजीकृत व्यवसाइयों ने केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और अधिनियम के अनुसार सात वाहनों के समूह या व्यवसाई के कब्जे में उनके गुणक के लिए देय उपयुक्त व्यापार फीस जमा की थी। उत्तर में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत व्यापार फीस की वसूली न होने के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने व्यवसाइयों द्वारा किये गये भुगतानों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कोई कार्यप्रणाली भी निर्धारित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार फीस की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई।

हमने अप्रैल एवं जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित कियाः उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[9] क्षे.प.का.– भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा तथा जि.प.का.–बालाघाट एवं दमोह।

शासन व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने हेतु वाहनों का विक्रय तथा उन पर देय व्यापार फीस को दर्शाने वाली एक आविधक विवरणी, जिसे वाहनों के पंजीयन के अभिलेखों से प्रति सत्यापित किया जा सके, निर्धारित किये जाने पर विचार कर सकता है।

4.10 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं । कर अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित दर से देय है। यदि, देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो अधिनियम में उल्लिखित चार प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी ।

हमने जिला परिवहन कार्यालय, नरसिंहपुर में मांग एवं वसूली पंजी, अनुज्ञा पत्र जमा पंजी, वाहन सर्मपण पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस की समीक्षा के दौरान पाया (दिसम्बर 2011) कि दो प्रचालकों ने अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर प्रचालित तीन लोक सेवा वाहनों के सम्बंध में अप्रैल 2009 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य की अवधि से सम्बंधित वाहन कर का भुगतान नहीं किया था । इन वाहनों को अप्रचालित घोषित नहीं किया गया तथा वाहन स्वामियों द्वारा कथित अनुज्ञापत्रों को अभ्यर्पित भी नहीं किया गया। कराधान प्राधिकारी अधिनियम के अनुसार शास्ति सहित कर की वसूली करने के लिए इन वाहनों का पता लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.28 लाख के कर की प्राप्ति नहीं हुई । इसके अतिरिक्त, ₹ 6.77 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2011), कराधान प्राधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं।

हमने मार्च एवं जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

अध्याय - 5

कार्यपालन सारांश

हमने इस अध्याय में प्रमुखता से जो दर्शाया हैं	इस अध्याय में हमने तहसीलदारों तथा कलेक्टरों के कार्यालयों प्रीमियम तथा भू–भाटक की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, भू–राजस्व तथा उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना, सेवा प्रभारों का अनारोपण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना तथा व्यपवर्तन लगान एवं प्रीमियम के अवनिर्धारण आदि से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा नमूना जाँच के दौरान लिए गए प्रेक्षणों से चयनित ₹ 14.25 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा बार–बार इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में, भू–राजस्व से प्राप्त कर संग्रहण में, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिये बकाया राशि के स्थगन के कारण विगत वर्ष की तुलना में 22.66 प्रतिशत की कमी आई ।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के सम्बंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, 6,82,978 प्रकरणों में ₹ 2,087.83 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक तथा व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण, नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना, प्रक्रिया व्यय का अनारोपण, राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन न होना आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 1,234.42 करोड़ के 6,06,378 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 15,119 प्रकरणों में ₹ 162.59 करोड़ वसूल किये । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 0.64 प्रतिशत से 35.11 प्रतिशत के मध्य रहा, जो बहुत कम था ।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में हमने भू–राजस्व से सम्बंधित 66 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 19,901 प्रकरणों में ₹ 293.20 करोड़ की राशि से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक, व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमिततओं का पता चला । विभाग ने वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा इंगित किये गये 19,323 प्रकरणों में ₹ 278.02 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2011–12 के दौरान 179 प्रकरणों में ₹ 3.61 करोड़ की राशि वसूल की गई ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रीमियम, भू–भाटक, व्यपवर्तन लगान तथा उपकर के अवनिर्धारण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय–5
भू–राजस्व

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है । प्रधान राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख होता है । संभागीय आयुक्त संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं । प्रत्येक जिले में विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । जिले के उप–संभाग के प्रभार हेतु एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है । किसी उप–संभाग के प्रभार में इस प्रकार पदस्थापित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं । वे कलेक्टर की उन शक्तियों का उपयोग करते हैं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित की जाएं । राजस्व अभिलेख एवं बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख (एस.एल.आर./ए.एस.एल.आर.) की पदस्थापना की जाती है । तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है । राज्य में दस राजस्व संभाग हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है, 50 जिले, जिनमें प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है तथा 341 तहसीले है ।

भू–राजस्व प्राप्तियों का विनियमन निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है :

- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.), 1959;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम (एम.पी.पी.आर.ए.), 1993;
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982;
- मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम (एम.पी.एल.ए.) 1987; तथा
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) ।

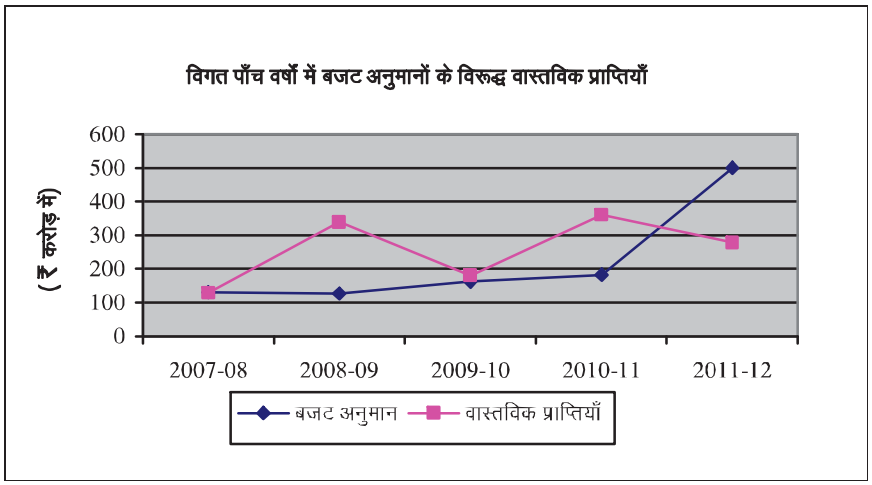
5.2 प्राप्तियो की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान भू–राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाइन ग्राफ में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिक (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	130.00	129.15	(-) 0.85	(-) 0.65	12,017.64	(+) 1.07
2008–09	127.45	338.84	(+) 211.39	(+) 165.86	13,613.50	(+) 2.49
2009–10	161.81	180.03	(+) 18.22	(+) 11.26	17,272.77	(+) 1.04
2010–11	182.46	360.81	(+) 178.35	(+) 97.75	21,419.38	(+) 1.68
2011–12	500.30	279.06	(-) 221.24	(-) 44.22	26,973.44	(+) 1.03

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)



वर्ष 2011–12 में, भू–राजस्व से करों के संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 22.66 प्रतिशत की कमी आई ।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 44.22 तथा 165.86 के मध्य रहा । विभाग ने प्रतिवेदित किया (अगस्त 2012) कि वर्ष 2011–12 के दौरान बजट अनुमानों तथा विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में कमी वर्ष 2010–11 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व वसूली स्थगित करने के कारण हुई ।

5.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 6,82,978 प्रकरणों में ₹ 2,087.83 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक

तथा व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण, नजूल[1] भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना, प्रक्रिया व्यय का अनारोपण, राजस्व वसूली प्रमाणपत्र का पंजीयन न होना, आदि को इंगित किया था । इनमें से, विभाग/शासन ने 6,06,378 प्रकरणों में ₹ 1,234.42 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 15,119 प्रकरणों में ₹ 162.59 करोड़ वसूल किये । विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्ति		स्वीकृत		वसूली		वसूली प्रतिशत स्वीकृत पर
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	
2006–07	120	1,02,263	203.65	1,02,167	197.87	7,978	14.50	7.33
2007–08	110	2,37,557	110.81	2,37,557	110.81	6,835	4.76	4.30
2008–09	121	33,807	274.22	33,807	274.22	183	1.76	0.64
2009–10	94	1,36,783	628.68	72,803	378.94	9	133.04	35.11
2010–11	45	1,72,568	870.47	1,60,044	272.58	114	8.53	3.13
कुल		**6,82,978**	**2,087.83**	**6,06,378**	**1,234.42**	**15,119**	**162.59**	

स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम 0.64 प्रतिशत से 35.11 प्रतिशत के मध्य रहा ।

5.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने ₹ 329.58 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम तथा भू–भाटक का अवनिर्धारण, शासकीय लेखाओं में भू–राजस्व तथा उपकर[2] का प्रेषण न किये जाने, सेवा प्रभारों का अनारोपण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना, व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण आदि से संबंधित प्रकरणों को इंगित किया था । जबकि विभाग ने ₹ 247.28 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया, लेकिन मार्च 2012 तक केवल ₹ 5.42 करोड़ की राशि वसूली की गई जैसा कि आगामी तालिका में दर्शाया गया हैं:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकार की गई कंडिकाओं की संख्या	स्वीकार की गई कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.2012 तक वसूल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006–07	5	1.11	5	1.11	5	0.80
2007–08	5	4.75	4	2.92	4	2.92

1 शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमि ।

2 पंचायत उपकर जो भू–राजस्व का 50 प्रतिशत हैं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008–09	7	5.22	6	4.01	4	0.42
2009–10	1	314.60	1	237.29	1	1.16
2010–11	6	3.90	2	1.95	1	0.12
कुल	**24**	**329.58**	**18**	**247.28**	**15**	**5.42**

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में अंतर्निहित राशि की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिये ।

5.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

किसी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा उसकी आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है । विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है, अतः अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी ।

5.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान भू–राजस्व की 66 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 19,901 प्रकरणों में ₹ 293.20 करोड़ के राजस्व अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण	2	8.85
2.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों का पंजीयन न होना	289	85.74
3.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम का अवनिर्धारण	24	0.21
4.	नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना	125	1.83
5.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम तथा शास्ति की मांग सृजित न करना	170	1.44
6.	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना	2,717	1.82
7.	अन्य प्रेक्षण	16,574	193.31
योग		**19,901**	**293.20**

वर्ष के दौरान, विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 19,323 प्रकरणों में ₹ 278.02 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष 2011–12 के दौरान 179 प्रकरणों में ₹ 3.61 करोड़ की राशि वसूल की गई ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए ₹ 14.25 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

5.6 प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण

राजस्व परिपत्र पुस्तक (आर.बी.सी.)-IV-I में किसी विकास प्राधिकरण को आवंटित नजूल भूमि या आवासीय उद्देश्य हेतु भू–खण्ड क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बाजार मूल्य पर प्रीमियम के आरोपण का प्रावधान हैं, जबकि वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु आवंटन के प्रकरण में यह सम्पूर्ण भूमि पर आरोपणीय होगा। वाणिज्यिक तथा आवासीय उद्देश्यों हेतु निर्धारित दरों पर भू–भाटक आरोपणीय है । राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अप्रैल 2003 के परिपत्र के अनुसार नजूल भूमि का मूल्यांकन विकास व्यय घटाने के बाद कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।

कलेक्टर कार्यालय (नजूल), ग्वालियर में भूमि के आवंटन की प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (जनवरी 2012) कि ग्राम जडेरूआ खुर्द में स्थित 21320 वर्ग मीटर शासकीय भूमि वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु तथा 17420 वर्ग मीटर आवासीय उद्देश्य के लिए मई 2010 में ₹ 1.30 करोड़ के प्रीमियम तथा ₹ 9.76 लाख के भू–भाटक पर ग्वालियर विकास प्राधिकरण को पट्टे पर दी गई । हमने देखा कि विभाग ने वाणिज्यिक तथा आवासीय उद्देश्यों हेतु आवंटित भूमि के लिए लागू दरों के बजाय कृषि भूमि की दरों से भूमि का मूल्यांकन किया । प्रीमियम एवं भू–भाटक के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹ 7.79 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण/प्राप्ति हुई :

(₹ में)

क्र. सं.	उद्देश्य	क्षेत्रफल (व.मी.) दर प्रति (व.मी.)	आरोपणीय प्रीमियम भू–भाटक	आरोपित प्रीमियम भू–भाटक	प्रीमियम भू–भाटक का कम आरोपण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक	21,320 3,068	6,54,09,760 49,05,732	1,30,16,500 9,76,238	7,29,62,796 49,57,971

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	आवासीय	17,420 1,968	2,05,69,536 10,28,477		
योग			**8,59,79,296** **59,34,209**	**1,30,16,500** **9,76,238**	**7,29,62,796** **49,57,971**
महायोग			**9,19,13,505**[3]	**1,39,92,738**	**7.79 करोड़**

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने के बाद (जनवरी 2012), नजूल अधिकारी ने बताया कि अंतर की राशि की मांग सृजित करने के लिए प्रकरण कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा ।

हमने अप्रैल तथा मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013) ।

[3] विकास व्यय की गणना:
नगर निगम ग्वालियर में 10 कॉलोनियों के कालोनी विकास अनुमति प्रकरणों (वर्ष 2009 से 2011 के दौरान) के विवरणों के अनुसार, कुल भूमि का क्षेत्रफल 5.71 लाख वर्ग मीटर तथा कुल अनुमानित विकास व्यय = ₹ 13.20 करोड़ था । अतः विकास व्यय =₹ 13.20 करोड़/5.71 लाख वर्ग मीटर = ₹ 232 प्रति वर्ग मीटर (अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित) ।
वाणिज्यिक प्रीमियम तथा भू–भाटक की गणना:
प्रीमियमः 21,320 वर्ग मीटर, दर ₹ 3300 – ₹ 232 वर्ग मीटर = ₹ 6,54,09,760
भू–भाटकः ₹ 6,54,09,760 (प्रीमियम) का 7.5% = ₹ 49,05,732
आवासीय प्रीमियम तथा भू–भाटक की गणना:
प्रीमियमः 17,420 वर्ग मीटर, दर ₹ 2200 – ₹ 232 वर्ग मीटर * 60% =₹ 2,05,69,536
भू–भाटकः ₹ 2,05,69,536 (प्रीमियम) का 5% = ₹ 10,28,477

5.7 भू–राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (भाग एक) के नियम 7 (i) सहपठित नवम्बर 2001 में जारी शासन की अधिसूचना के अनुसार, तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर कोषालय को प्रेषित कर शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष 0029 में जमा किया जाना चाहिये । जिला पंचायत राज निधि नियमावली, 1998 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार, जिला पंचायत राज निधि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खाते में रखी जाती है । इस निधि में विकास कर की आगम राशि, अन्य कर तथा फीस आदि सम्मिलित होते हैं ।

हमने 15 तहसील कार्यालयों[4] के मांग एवं वसूली के विवरण पत्रक तथा चालानों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया (मई तथा नवम्बर 2011 के मध्य) कि तहसील कार्यालयों द्वारा अक्टूबर 2006 तथा सितम्बर 2011 के मध्य संग्रहीत ₹ 2.43 करोड़ का भू–राजस्व एवं उपकर कोषालय में मुख्य शीर्ष '0029' भू–राजस्व के अंतर्गत जमा करने के बजाय पंचायत राज निधि में जमा किया गया । इस प्रकार राजकोष ₹ 2.43 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया । पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये गये इसी प्रकार के प्रकरणों में पंचायत राज निधि से भू–राजस्व तथा उपकर की वसूली के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

हमारे द्वारा इंगित इसे किये जाने के बाद, तहसीलदार आरोन (गुना), आलोट (रतलाम), बदनावर (धार), चंदेरी (अशोकनगर), गंधवानी (धार), गुलाना (शाजापुर), होशंगाबाद, जयसिंहनगर (शहडोल), कुरवई (विदिशा), मल्हारगढ़ (मंदसौर), नलखेड़ा (शाजापुर), राजपुर (बड़वानी) तथा उज्जैन ने बताया कि भू–राजस्व तथा उपकर मुख्य शीर्ष '0029' भू–राजस्व के अंतर्गत जमा किया जायेगा । तहसीलदार गोहरगंज (रायसेन) तथा जीरापुर (राजगढ़) ने बताया कि पंचायत राज निधि में जमा की गई राशि को मुख्य शीर्ष '0029' में जमा कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा ।

हमने सितम्बर 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[4] आरोन (गुना), आलोट (रतलाम), बदनावर (धार), चंदेरी (अशोकनगर), गंधवानी (धार), गोहरगंज (रायसेन), गुलाना (शाजापुर), होशंगाबाद, जयसिंहनगर (शहडोल), जीरापुर (राजगढ़), कुरवई (विदिशा), मल्हारगढ़ (मंदसौर), नलखेड़ा (शाजापुर), राजपुर (बड़वानी) तथा उज्जैन ।

5.8 कुर्क सम्पत्तियों का निवर्तन न किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना

म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 के प्रावधानों के अंतर्गत शासन को देय भू–राजस्व की बकाया राशि तहसीलदार द्वारा बकायादारों की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क एवं उनका विक्रय कर वसूल की जायेगी । इसके अतिरिक्त, कुर्क संपत्ति के शीघ्र निर्वतन हेतु कार्रवाई करने की दृष्टि से तहसीलदार द्वारा कुर्क संपत्ति पंजी की त्रैमासिक समीक्षा की जानी अपेक्षित है ।

तहसील इंदौर में कुर्क संपत्तियों की पंजी तथा संबंधित प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (अक्टूबर 2011) कि अक्टूबर 2009 तथा सितम्बर 2011 के मध्य ₹ 1.36 करोड़ की राशि की वसूली के लिए 13 प्रकरणों में चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था । हम इस सम्बंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके कि तहसीलदार द्वारा कुर्क सम्पत्ति पंजी की त्रैमासिक समीक्षा की गई थी । इसके अलावा कुर्क संपत्तियों का निवर्तन कर बकाया राशियों को वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमने मार्च तथा मई 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

5.9 प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारित किये बिना शासकीय भूमि का आवंटन किये जाने के कारण राजस्व की हानि

राजस्व पुस्तक परिपत्र -IV-I की कंडिका 26 सहपठित अगस्त 1998 में जारी शासन के परिपत्र में प्रावधान है कि पंचायत राज संस्था को कार्यालय भवन के निर्माण के उद्देश्य हेतु नजूल भूमि का आवंटन भूमि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से प्रीमियम तथा प्रीमियम के 5 प्रतिशत की दर से भू–भाटक के भुगतान पर किया जायेगा ।

कलेक्टर कार्यालय (नजूल) धार में भूमि आवंटन की प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (दिसम्बर 2011) कि ग्राम दाही में 0.420 हैक्टेयर शासकीय भूमि नगर पंचायत दाही को कार्यालय भवन के निर्माण के उद्देश्य हेतु कलेक्टर द्वारा आरोपणीय प्रीमियम ₹ 1.01 करोड़ तथा भू–भाटक ₹ 5.04 लाख प्रति वर्ष के विरूद्ध कोई प्रीमियम या भू–भाटक प्रभारित किये बिना आवंटित की गई थी (दिसम्बर 2010)। इस प्रकार शासन वर्ष 2011–12 में अर्थात नगर पंचायत को कब्जा सौंपने के लिए तहसीलदार के आदेश के माह (3/2011) से अगले माह में ₹ 1.01 करोड़ के प्रीमियम तथा ₹ 5.04 लाख के भू–भाटक से वंचित हो गया ।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर, प्रभारी अधिकारी (नजूल) ने दिसम्बर 2011 में बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 26 में कार्यालय भवन के लिए आवंटित भूमि पर प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारित करने के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं है । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शासकीय परिपत्र दिनांक 25 अगस्त 1998 के अनुसार, प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारणीय था । इसके अतिरिक्त, राजस्व पुस्तक परिपत्र या शासन द्वारा प्रीमियम/ भू–भाटक के भुगतान से कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई एवं जून 2012); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

5.10 सेवा प्रभारों का अनारोपण

भूमि अधिग्रहण कार्य में संलग्न अधिकारियों तथा स्टाफ को प्रोत्साहन प्रदान करने और इस संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए शासन ने जुलाई 1991 में उन विभागों/संगठनों से जिनकी ओर से भूमि अधिग्रहण किया जाना था, अवार्ड राशि के 10 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार वसूल करने का निर्णय लिया । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व, अवार्ड की अनुमानित राशि का 10 प्रतिशत संबंधित विभागों/संगठनों से जमा कराया जाना था । अंतिम अवार्ड के पश्चात, सेवा प्रभार की शेष राशि (अंतिम अवार्ड तथा अनुमानित अवार्ड के अंतर पर आंकलित) भी वसूल की जानी थी । इस प्रकार, वसूल की गई राशि शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष '0029' (भू–राजस्व) के अंतर्गत प्रेषित की जानी थी ।

कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (नवम्बर 2011) कि दो प्रकरणों में यद्यपि भूमि अवार्ड 2010–11 में ही निर्णीत किया जा चुका था, लेकिन सेवा प्रभार की राशि ₹ 1.24 लाख लेखा शीर्ष '0029' भू–राजस्व, में प्रेषित नहीं की गई थी । इसके अलावा तीन प्रकरणों में, यद्यपि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही फरवरी तथा दिसम्बर 2010 के मध्य प्रारम्भ की जा चुकी थी, फिर भी ₹ 6.08 करोड़ के अवार्ड की अनुमानित राशि पर सेवा प्रभार की राशि ₹ 60.82 लाख वसूल नहीं की गई थी । इस प्रकार, सेवा प्रभारों का प्रेषण न किये जाने/अनारोपण/प्राप्ति न होने के कारण राजकोष ₹ 62.06 लाख के राजस्व से वंचित हो गया । विवरण नीचे दर्शाया गया है :

क्र. सं.	विभाग/उपक्रम का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रकरण संख्या/वर्ष	अवार्ड की राशि का अनुमानित मूल्य	वसूली योग्य सेवा प्रभार (10% की दर से)
1.	लोक निर्माण विभाग	मंगी घाट के लिए निर्माण कार्य	1/ए–82 2009–10	6,53,159 (अवार्ड मूल्य)	65,315
2.	लोक निर्माण विभाग	तराना तिलावद मार्ग के लिए निर्माण कार्य	1/ए–82 2009–10	5,87,229 (अवार्ड मूल्य)	58,723
3.	लोक निर्माण विभाग	जरासिया पंथ से नारायन मार्ग के लिए निर्माण कार्य	1–5/ए–82 2010–11	30,00,000 (अनुमानित मूल्य)	3,00,000
4.	जल संसाधन विभाग	शंकरपुर तालाब राजाहैडा तथा पनविहार के लिए निर्माण कार्य	1/ए–82 2009–10	1,16,75,000 (अनुमानित मूल्य)	11,67,500
5.	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	बी.ओ.टी. सड़क के लिए निर्माण कार्य	1/ए–82 2009–10	4,61,48,418 (अनुमानित मूल्य)	46,14,842
योग				**6,20,63,806**	**62,06,380**

हमने अप्रैल तथा मई 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

5.11 प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना

म.प्र. लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (एम.पी.एल.ए.) एवं मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.) में प्रावधान है कि वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) की प्राप्ति के पश्चात राजस्व प्रकरण को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र पंजी में दर्ज करेगा तथा 15 दिन के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा । मांग नोटिस में वसूली के दिनांक तक कार्यवाही के व्यय सहित मूल राशि तथा अनुबंध में उल्लिखित दर से देय राशि पर ब्याज सम्मिलित होता है । अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय आरोपणीय है ।

10 तहसील कार्यालयों[5] की वसूली के विवरण पत्रकों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (मई 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य) कि 2002–03 से 2010–11 की अवधि के दौरान राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध वसूल की गई मूल राशि ₹ 25.79 करोड़ पर ₹ 77.37 लाख का प्रक्रिया व्यय वसूली योग्य था । तथापि विभाग ने मांग नोटिस जारी करते समय प्रक्रिया व्यय को सम्मिलित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप बकायादारों से उसकी वसूली नहीं की जा सकी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.37 लाख के प्रक्रिया व्यय की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमने फरवरी तथा मई 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013) ।

[5] आरोन (गुना) 1.56/51.88 लाख, बड़ा सिवनी (बालाघाट) 4/133.31 लाख, ब्योहारी (शहडोल) 2.01/67.04 लाख, भगवानपुरा (खरगोन) 1.25/41.67 लाख, चंदेरी (अशोकनगर) 1.38/45.94 लाख, छिंदवाड़ा 3.48/115.90 लाख, हुजूर (भोपाल) 10.27/342.36 लाख, इंदौर 48.72/1623.97 लाख, कुरवई (विदिशा) 0.55/18.34 लाख, तथा शाहपुरा (जबलपुर) 4.15/138.32 लाख ।

5.12 व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अंतर्गत, जब किसी एक उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यपवर्तित की जाती है तो ऐसी भूमि पर देय भू–राजस्व (प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान) ऐसे व्यपवर्तन के दिनांक से, उस उद्देश्य के अनुसार, जिसके लिए उसे व्यपवर्तित किया गया हैं, शासन द्वारा निर्धारित दरों से पुनरीक्षित एवं पुनः निर्धारित किया जायेगा ।

चार कलेक्टर कार्यालयों (व्यपवर्तन)[6] में व्यपवर्तित प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (मई तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि फरवरी 2007 तथा सितम्बर 2011 के मध्य निर्णीत 18 प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण किया गया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.12 लाख के प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान की कम प्राप्ति हुई । विवरण आगामी तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	इकाई अवधि	प्रकरणों की संख्या	अंतर्निहित क्षेत्रफल	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रीमियम एवं व्यपवर्तन लगान का कम निर्धारण (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन) धार 10/2010 से 9/2011	3	5.406 हेक्टेयर	निर्धारण शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं किया गया । विभाग ने कम क्षेत्रफल (2.4589 हैक्टेयर) पर प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया ।	4,73,530
		5	11.651 हेक्टेयर	विभाग द्वारा चार प्रकरणों में प्रीमियम की गलत दरें लगाई गई तथा एक प्रकरण में वाणिज्यिक व्यपवर्तन दर के बजाय आवासीय व्यपवर्तन दर लगाई गई ।	2,50,684
2.	कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन) रतलाम 10/2010 से 9/2011	1	1.649 हेक्टेयर	निर्धारण शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं किया गया । विभाग ने कम क्षेत्रफल (0.617 हैक्टेयर) पर प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया ।	71,764
		4	7.332 हेक्टेयर	विभाग द्वारा चार प्रकरणों में व्यपवर्तन की गलत दरें लागू की गई तथा उन चार प्रकरणों में से एक में प्रीमियम की गलत दर लागू की गई ।	1,12,615
3.	कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन) उज्जैन 10/2010 से 9/2011	1	3.135 हेक्टेयर	निर्धारण शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं किया गया । विभाग ने कम क्षेत्रफल (2.769 हैक्टेयर) पर प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया ।	6,48,246

[6] धार, इन्दौर, रतलाम तथा उज्जैन ।

1	2	3	4	5	6
4.	कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन) इंदौर 10/2010 से 9/2011	4	21.198 हैक्टेयर	निर्धारण शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं किया गया । विभाग ने कम क्षेत्रफल (3.419 हैक्टेयर) पर प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया ।	5,54,798
योग					**21,11,637**

हमने फरवरी तथा जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013) ।

अध्याय - 6

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने उप पंजीयक कार्यालयों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली आदि से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 32.71 करोड़ के उदाहरात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को हमारे द्वारा विगत कई वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार–बार इंगित किया गया हैं, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से प्राप्त राजस्व संग्रहण में अधिक दस्तावेजों के पंजीयन तथा अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के कारण, विगत वर्ष की तुलना में 30.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के संबंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान, हमने 26,111 प्रकरणों में ₹ 162.91 करोड़ की राजस्व राशि से सन्निहित राजस्व का अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/हानि आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग ने ₹ 77.93 करोड़ की राशि के 17,774 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 2,059 प्रकरणों में ₹ 12.51 करोड़ वसूल किये । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम था जो 2.93 प्रतिशत से 27.59 प्रतिशत के मध्य रहा ।
वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में, हमने मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से सम्बंधित 51 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 1,867 प्रकरणों में ₹ 60.16 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला । विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये 868 प्रकरणों में ₹ 11.57 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2011–12 के दौरान नौं प्रकरणों में ₹ 7.98 लाख की राशि वसूल की गई थी ।

हमारा निष्कर्ष	विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाने के साथ ही आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे प्रणालीगत कमियों की ओर ध्यान दिया जा सके तथा हमारे द्वारा संसूचित की गई चूकों से भविष्य में बचा जा सके । विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अनारोपण/कम आरोपण के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया हैं ।

अध्याय–6
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

6.1 कर प्रशासन

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन कार्यरत है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश (आई.जी.आर.) विभाग प्रमुख हैं । दो संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन (जे.आई.जी.आर.), एक उप महानिरीक्षक पंजीयन (डी.आई.जी.आर.), एक वरिष्ठ जिला पंजीयक (एस.डी.आर.), एक जिला पंजीयक (डी.आर.) और एक लेखा अधिकारी (ए.ओ.) मुख्यालय पर कार्यरत हैं। राज्य में 48 पंजीयन जिले अधिसूचित हैं । पन्द्रह पंजीयन जिलों में से प्रत्येक में एक वरिष्ठ जिला पंजीयक तथा शेष जिलों में से प्रत्येक में एक जिला पंजीयक है। राज्य में 226 उप पंजीयक कार्यालय हैं। विलेखों का पंजीकरण उप पंजीयक कार्यालयों में किया जाता है। जिला स्तर पर कलेक्टर पंजीयन प्रशासन का प्रमुख होता है। मध्य प्रदेश में पंजीयन विभाग की प्राप्तियों के दो प्रमुख अवयव हैं: मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, जिसका संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत विनियमित किया जाता है :

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- पंजीयन अधिनियम, 1908;
- भारतीय मुद्रांक (मध्य प्रदेश विलेखों के न्यून मूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1975;
- मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शिका को तैयार करना एवं पुनरीक्षण नियम, 2000;
- मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम, 1942;
- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956;
- मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993; तथा
- मध्य प्रदेश पंचायत उपकर अधिनियम, 1982

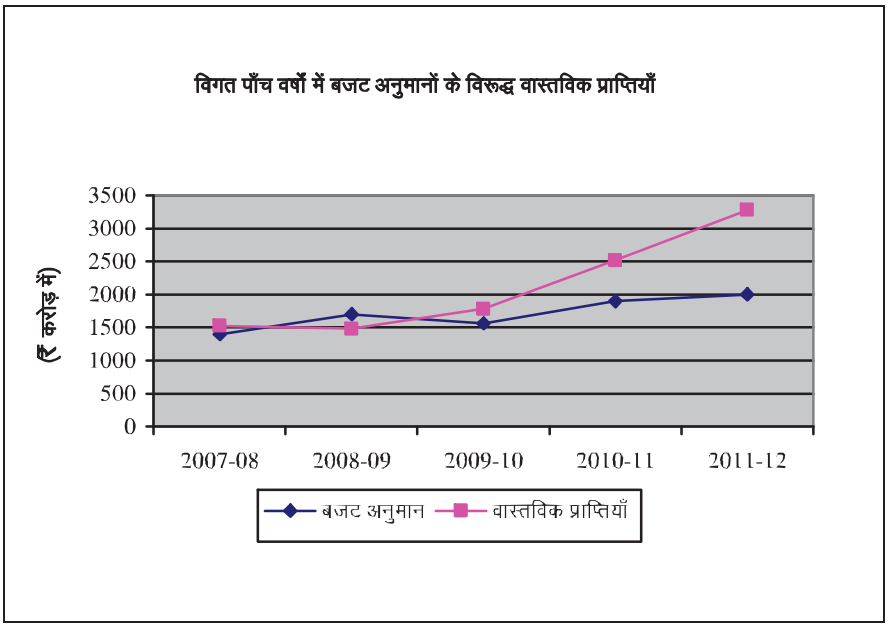
6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि से सम्बंधित कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं रेखा ग्राफ में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	1,400	1,531.54	(+) 131.54	(+) 9.40	12,017.64	12.74
2008–09	1,700	1,479.29	(–) 220.71	(–) 12.98	13,613.50	10.87
2009–10	1,560	1,783.15	(+) 223.15	(+) 14.30	17,272.77	10.32
2010–11	1,900	2,514.27	(+) 614.27	(+) 32.33	21,419.33	11.74
2011–12	2,000	3,284.41	(+) 1,284.41	(+) 64.22	26,973.44	12.18

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)



यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (-) 12.98 प्रतिशत तथा (+) 64.22 के मध्य रहा। वर्ष 2011–12 में, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से प्राप्त राजस्व संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 770.14 करोड़ (30.63 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा अचल सम्पत्तियों के बाजार मूल्य तथा पंजीकृत विलेखों की संख्या में वृद्धि होना बताया गया।

6.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

6.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (नि.प्र.)

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 26,111 प्रकरणों में ₹ 162.91 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित सम्पत्तियों के बाजार मूल्य

के गलत निर्धारण, दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण, अनियमित छूट, उप पंजीयकों द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब आदि के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/हानि को इंगित किया था । इनमें से, विभाग/शासन ने 17,774 प्रकरणों में राशि ₹ 77.93 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 2,059 प्रकरणों में ₹ 12.51 करोड़ वसूल किये (30 नवम्बर 2012 की स्थिति में)। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि में से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006–07	69	4,980	10.16	1,904	6.91	383	1.49	21.56
2007–08	66	3,021	16.10	1,607	5.40	537	1.49	27.59
2008–09	82	10,113	52.42	8,374	29.96	698	7.87	26.27
2009–10	64	5,809	31.95	4,415	8.05	154	0.85	10.56
2010–11	64	2,188	52.28	1,474	27.61	287	0.81	2.93
कुल		**26,111**	**162.91**	**17,774**	**77.93**	**2,059**	**12.51**	

विगत पांच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है । हम इस मुद्दे को विभाग प्रमुख के साथ साथ शासन के वित्त सचिव के ध्यान में लाये हैं (अगस्त 2012) । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013) ।

6.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने 40 कंडिकाओं में ₹ 159.77 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के गलत निर्धारण, दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण, अनियमित छूट, उप पंजीयकों द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब आदि के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण/हानि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 31 कंडिकाओं में ₹ 82.87 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 20 कंडिकाओं में ₹ 8.77 करोड़ वसूल किये। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.12 तक वसूल राशि
2006–07	6	2.45	6	1.62	4	0.31
2007–08	1	91.57	1	45.76	1	5.61
2008–09	11	16.81	10	16.35	7	2.15
2009–10	9	14.72	7	7.93	4	0.56
2010–11	13	34.22	7	11.21	4	0.14
योग	**40**	**159.77**	**31**	**82.87**	**20**	**8.77**

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत अत्यधिक कम रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिये।

6.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के सकल संग्रहण, इसके संग्रहण पर किया गया व्यय, सकल संग्रहण की तुलना में व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
2009–10	1783.15	37.02	2.08	2.77
2010–11	2514.27	48.98	1.95	2.47
2011–12	3,284.41	63.71	1.94	1.60

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से काफी कम था, हालांकि यह वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय औसत से अधिक था।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग द्वारा संग्रहण पर व्यय के प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत से नीचे बनाये रखने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिये।

6.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी के चार पद तथा लेखा अधिकारी का एक पद स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में तीन आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी और एक लेखा अधिकारी आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कार्यरत हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार किये गये रोस्टर के अनुसार निष्पादित की जाती है । विभाग की 226 इकाइयों में से, 81 इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई जिनमें से आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 31 इकाइयों का निरीक्षण किया गया । आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा निरीक्षण टीपें जारी की गईं। विभाग ने आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा पाई गई विसंगतियों में सुधार करने के सम्बंध में कार्रवाई करने हेतु मुद्रांक संग्राहक को अनुदेश जारी किये।

6.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान मुद्रांक एवं पंजीयन फीस से सम्बंधित 51 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1,867 प्रकरणों में ₹ 60.16 करोड़ के कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब के कारण राजस्व की हानि	361	6.69
2.	संपत्तियों के अवमूल्यांकन/गलत छूट के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति	737	15.10
3	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि	62	0.86
4.	अन्य प्रेक्षण	707	37.51
योग		**1,867**	**60.16**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 868 प्रकरणों में ₹ 11.57 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हे वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान नौ प्रकरणों में ₹ 7.98 लाख की राशि वसूल की गई थी।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 32.71 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है:

6.7 बाजार मूल्य का गलत निर्धारण/प्रकरणों का निराकरण न होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 –क के अनुसार, किसी विलेख का पंजीयन करते समय पंजीयन अधिकारी यदि यह पाता है कि प्रस्तुत संपत्ति का बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में दर्शाया गया है तो उसे ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर को संदर्भित कर देना चाहिये। जुलाई 2004 में जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार, उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा सम्पत्तियों के सही बाजार मूल्य एवं उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु कलेक्टर को संदर्भित किये गये प्रकरणों के निराकरण हेतु तीन माह की अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गणना बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में निर्धारित दरों एवं प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

6.7.1 हमने फरवरी तथा दिसम्बर 2011 के मध्य नौ उप पंजीयक कार्यालयों[1] में उप पंजीयकों द्वारा संदर्भित किये गये प्रकरणों की पंजी से अवलोकित किया कि उप पंजीयकों द्वारा सितम्बर 2008 तथा मार्च 2011 के मध्य सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु संदर्भित किये गये 519 प्रकरणों में से 259 प्रकरणों का निराकरण निर्धारित अवधि की समाप्ति से 29 माह तक की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं किया गया था । इन प्रकरणों में उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि ₹ 4.98 करोड़ संगणित की गई थी ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक विदिशा ने 16 प्रकरणों के सम्बंध में बताया (सितम्बर 2011) कि प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा । जिला पंजीयक, बैतूल ने मार्च तथा अगस्त 2012 के मध्य 12 प्रकरणों के सम्बंध में सूचित किया कि सितम्बर 2011 तथा जून 2012 के मध्य नौं प्रकरणों का निराकरण किया गया था तथा सितम्बर 2011 तथा जून 2012 के मध्य ₹ 7.98 लाख की वसूली की गई थी । तथापि, शेष तीन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति के सम्बंध में जानकारी प्रतीक्षित है । शेष 231 प्रकरणों में सम्बंधित उप पंजीयकों ने फरवरी तथा दिसम्बर 2011 के मध्य बताया कि प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से निवेदन किया जायेगा । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013) ।

[1] बड़नगर (जिला उज्जैन), बैतूल, गुना, इंदौर, जबलपुर, महू (जिला इंदौर), अब्दुल्लागंज (जिला रायसेन), सागर तथा विदिशा ।

6.7.2. हमने जून 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य 15 उप पंजीयक कार्यालयों[2] में अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 तथा मार्च 2011 के मध्य पंजीबद्ध हुए 306 विलेखों में, पंजीकृत मूल्य ₹ 98.10 करोड़ के विरूद्ध गाइडलाइन के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 129.20 करोड़ था । उप पंजीयक ने संपत्तियों के सही बाजार मूल्य तथा उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु इन विलेखों को कलेक्टर को संदर्भित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.58 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आगामी तालिका में दर्शाये अनुसार कम आरोपण हुआ :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उप पंजीयक कार्यालयों/ विलेखों की संख्या	पंजीयन की अवधि	अनियमितताओं की प्रकृति	आरोपणीय/ आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण
1.	12 213	4/2008 तथा 3/2011 के मध्य	मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना	734.81 563.79	171.02
2.	13 72	——तदैव——	गलत दर लागू किया जाना	269.78 198.47	71.31
3.	7 13	——तदैव——	संपत्ति का आंशिक मूल्यांकन किया गया	126.96 117.25	9.71
4.	5 8	5/2010 तथा 3/2011 के मध्य	अन्य अनियमिततायें	50.561 44.96	5.60
योग	**15** **306**			**1182.11** **924.47**	**257.64**

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक शिवपुरी तथा विदिशा ने सितम्बर 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य 15 विलेखों के सम्बंध में बताया कि निष्पादकों के विरूद्ध अगस्त 2011 में प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा कार्रवाई प्रगति पर है । पांच उप पंजीयकों[3] ने जुलाई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य 72 विलेखों के सम्बंध में बताया कि निर्धारित किया गया बाजार मूल्य सही था । उत्तर अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों तथा बाजार मूल्य मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) के प्रावधानों के विरूद्ध है। उप पंजीयक इंदौर ने एक विलेख के सम्बंध में बताया (नवम्बर 2011) कि संवीक्षा के उपरांत उत्तर दिया जाएगा, जबकि शेष 218 विलेखों के सम्बंध में सम्बंधित उप पंजीयकों ने जून 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य बताया कि प्रकरणों को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किया जायेगा/आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013) ।

2 बड़नगर (उज्जैन), बैतूल, भोपाल, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, महू (इंदौर), अब्दुल्लागंज (रायसेन), सागर, शिवपुरी, सिरमौर (रीवा) तथा विदिशा ।

3 भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, अब्दुल्लागंज (रायसेन) तथा सिरमौर (रीवा) ।

वर्ष 2008–09 की बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में प्रावधान है कि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि का मूल्य ऐसी भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों से 100 प्रतिशत अधिक मानकर निर्धारित किया जाएगा ।

6.7.3 हमने जुलाई 2011 में उप पंजीयक कार्यालय, बैतूल में अवलोकित किया कि फरवरी 2009 में निष्पादित एक दान विलेख का पंजीयन अगस्त 2009 में किया गया था । विलेख के उप वर्णनों से पता चला कि अम्बेडकर वार्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.–69) पर स्थित 1.822 हैक्टेयर भूमि दान की विषय वस्तु थी । निष्पादक द्वारा संपत्ति का मूल्य ₹ 18.21 लाख उल्लिखित किया गया था तथा लिखत ₹ 1.80 लाख के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की गई थी । उप पंजीयक ने विलेख के बाजार मूल्य तथा उस पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क के निर्धारण हेतु प्रकरण को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किया । उन्होंने ऑडिट द्वारा मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) के अनुसार संगणित ₹ 92.88 लाख के विरूद्ध भूमि का बाजार मूल्य ₹ 41.12 लाख प्रस्तावित किया । हमने अवलोकित किया कि उप पंजीयक द्वारा भूमि के बाजार मूल्य की गणना भूमि का क्षेत्रफल 1.822 हैक्टेयर के बजाय 1.687 हैक्टेयर मानकर की गई थी और उनके द्वारा इस तथ्य की भी उपेक्षा की गई कि भूमि एन.एच. 69 पर स्थित थी जिसके परिणामस्वरूप भूमि का अवमूल्यांकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने वही मूल्य निर्धारित किया (जून 2009) जो उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित किया गया था । इस प्रकार, भूमि के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 5.52 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किए जाने के बाद, जिला पंजीयक बैतूल ने बताया (मार्च 2012) कि निष्पादकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है तथा कार्रवाई प्रगति पर है । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013) ।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

6.8 पट्टा विलेखों/पट्टा सह विक्रय विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33 में पट्टा विलेखों पर उसमें निर्धारित दरों से मुद्रांक शुल्क के आरोपण का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीयन तालिका के अनुच्छेद II के अनुसार, ऐसे विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई पंजीयन फीस प्रभारणीय है ।

हमने जून 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य पांच उप पंजीयक कार्यालयों[4] में अवलोकित किया कि अगस्त 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य पंजीकृत पट्टा/पट्टा सह विक्रय विलेख के 28 दस्तावेजों[5] के प्रकरण में ₹ 2.63 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय थी लेकिन पंजीयन प्राधिकारी ने चार प्रकरणों में पट्टा अवधि को कम मानकर तथा 23 प्रकरणों में शुल्क एवं फीस का अवमूल्यांकन किया गया, जबकि एक प्रकरण में उप पंजीयक द्वारा शुल्क के आरोपण हेतु पट्टाधारक द्वारा दिये जाने वाले परम्परागत प्रभार अर्थात प्रीमियम पर विचार नहीं करते हुए केवल ₹ 1.35 करोड़ आरोपित किये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक, सागर ने बताया (मार्च 2012) कि निष्पादक के विरूद्ध प्रकरण पंजीकृत किया गया है तथा निराकरण हेतु कार्रवाई प्रगति पर है । शेष 27 विलेखों के सम्बंध में, सम्बंधित उप पंजीयकों ने जून 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य बताया कि प्रकरणों को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किया जायेगा/आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013) ।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

4 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मुरैना तथा सागर।

5 26 पट्टा विलेख एवं दो पट्टा सह विक्रय विलेख।

6.9 ऋण समनुदेशन के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 22 (ख) में ऋण समनुदेशन के विलेखों पर समनुदेशित की गई ऋण राशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क के आरोपण का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, शासन की अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 2005 में वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीबद्ध किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निमाण कंपनी के पक्ष में निष्पादित ऋण के प्रतिभूतिकरण या अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित ऋण के समनुदेशन के विलेखों पर प्रतिभूतित ऋण या अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित समनुदेशित ऋण के 0.1 प्रतिशत की दर से शुल्क के आरोपण का प्रावधान है यदि प्रतिभूतियाँ अचल सम्पति हैं । इसके अतिरिक्त, ऐसे विलेखों पर म.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 133 (क) तथा म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 75 के अंतर्गत क्रमशः एक–एक प्रतिशत की दर से पंचायत शुल्क तथा नगर पालिका शुल्क भी आरोपणीय है । साथ ही म0प्र0 प्रदेश पंचायत उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत उपकर भी आरोपणीय है।

हमने दिसम्बर 2011 में उप पंजीयक कार्यालय, इंदौर में अवलोकित किया कि एक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के पक्ष में जनवरी 2011 में चल एवं अचल संपत्तियों के सम्बंध में ₹ 55.88 करोड़ के चार ऋण समनुदेशन विलेख पंजीकृत किये गये थे । उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, इन विलेखों पर ₹ 1.62 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय थी । लेकिन, हमने पाया कि समनुदेशित ऋण राशि के बजाय प्रतिफल राशि पर केवल ₹ 21.33 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया था । इन विलेखों पर पंचायत शुल्क/नगर पालिका शुल्क तथा उपकर भी आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.41 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, उप पंजीयक ने बताया (दिसम्बर 2011) कि प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किये जायेंगे । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

6.10 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत, विलेखों पर उनके उपवर्णनों के अनुसार अनुसूची 1–क या शासन द्वारा अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित दरों पर मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है। विभागीय अनुदेशों (सितम्बर 2005) के अनुसार, विक्रय अनुबंध, निर्मुक्ति तथा व्यवस्थापन के रूप में लिखे गये विलेखों पर हस्तान्तरण विलेख की दर से शुल्क प्रभार्य होगा, यदि अनुदेशों में वर्णित शर्तों की पूर्ति नहीं की गयी है तथा विलेखों में निर्धारित प्रविष्टियों का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही अधिनियम की धारा 2 (15)(iii) के अनुसार, विभाजन विलेख से तात्पर्य किसी भी ऐसे विलेख से है जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सह–स्वामी ऐसी सम्पत्ति को कई भागों में बाँटते हैं या बाँटने पर सहमत हो जाते हैं। इसमें सह–स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा कोई भी विलेख सम्मिलित है जिसमें ऐसे विभाजन की घोषणा द्वारा या अन्यथा सह–स्वामियों के मध्य ऐसे विभाजन की शर्तों को अभिलेखित किया जाता है।

हमने जुलाई 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य छः उप पंजीयक कार्यालयों[6] में अवलोकित किया कि 40 प्रकरणों में दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण किये जाने के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹ 92.54 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रकरणों की संख्या अवधि जिसके मध्य पंजीबद्ध हुए	अनियमितता की प्रकृति	आरोपणीय/ आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	कम आरोपित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14 मई 2009 तथा मार्च 2011	कब्जे के उल्लेख के बिना विक्रय अनुबंध को कब्जा रहित विक्रय अनुबंध माना गया।	48.29 5.34	42.95
2.	8 जुलाई 2010 तथा फरवरी 2011	हस्तांतरण विलेख को सह–स्वामित्व विलेख माना गया।	11.38 3.32	8.06
3.	2 मई 2009 तथा जून 2010	दान विलेख को निर्मुक्ति विलेख माना गया ।	4.50 1.46	3.04

[6] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मुरैना, सागर तथा विदिशा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	10 अप्रेल 2009 तथा मार्च 2011	हस्तांतरण विलेख को निर्मुक्ति विलेख माना गया।	8.38 3.75	4.63
5.	5 मई 2010 तथा फरवरी 2011	कई सुभिन्न मामलों से संबंधित विलेखों को एक मामले का विलेख माना गया।	86.09 64.46	21.63
6.	1 मार्च 2011	दान विलेख को विभाजन विलेख माना गया।	14.59 2.36	12.23
योग	**40 प्रकरण**		**173.23** **80.69**	**92.54**

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक, विदिशा ने 11 विलेखों के सम्बंध में बताया (सितम्बर 2011) कि निष्पादकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीकृत किये जा चुके हैं तथा कार्रवाई प्रगति पर है । उप पंजीयक सागर ने एक विलेख के सम्बंध में बताया (अगस्त 2011) कि यह कब्जे के बगैर संपत्ति का क्रय अनुबंध था । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि दस्तावेज में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि सम्पत्ति का कब्जा नहीं किया गया था या विक्रय विलेख के निष्पादन के पूर्व कब्जा नहीं दिया जायेगा। उप पंजीयक, ग्वालियर ने एक विलेख के सम्बंध में बताया (जून 2011) कि जहां विभाजन मौखिक होता है, वहां विलेख में विभाजन का उल्लेख करने पर शुल्क प्रभारणीय नहीं होता है । उत्तर भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के विपरीत है। उप पंजीयक भोपाल ने एक विलेख के सम्बंध में बताया (जनवरी 2012) के निष्पादक सह–स्वामी थे जिनका समान हिस्सा था और इसलिए सम्पत्ति के 5/6 वें हिस्से पर निर्मुक्ति विलेख के लिये लागू दर से शुल्क प्रभारित किया गया। उत्तर अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है क्योंकि विलेख के उपवर्णनों के अनुसार, 50 प्रतिशत हिस्सा पिता का था तथा शेष हिस्सा अन्य सह–स्वामियों के साथ पिता का था। इस प्रकार दस्तावेज को दान सह निर्मुक्ति विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये था। शेष 26 विलेखों के सम्बंध में, सम्बंधित उप पंजीयकों ने जून 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य बताया कि प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को सन्दर्भित किये जायेंगे/आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 38 (ख) सहपठित शासकीय अधिसूचना दिनांक 24.09.2007 तथा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 75 में कब्जा रहित बंधक विलेख पर उसके द्वारा प्रत्याभूत राशि के एक प्रतिशत की दर से शुल्क के आरोपण का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 12 में प्रावधान है कि कॉलोनाइजर उसमें निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भूमि को विकसित करेगा तथा भूमि के विकास पर व्यय के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में भूमि/भूखण्ड का 25 प्रतिशत सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में बंधक रखेगा । पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार, बंधक विलेखों की लिखतों को अनिवार्यतः पंजीबद्ध कराना होता है ।

6.11.2 हमने सितम्बर 2011 में उप पंजीयक कार्यालय, जबलपुर तथा नगर निगम जबलपुर से संग्रहीत जानकारी के आधार पर अवलोकित किया कि अप्रैल 2010 तथा जून 2011 के मध्य निगम द्वारा 28 प्रकरणों में कॉलोनाइजरों को भूमि के विकास की अनुमति प्रदान की गई थी जिसके अनुसार 30.608 हैक्टेयर भूमि, जिसमें ₹ 13.47 करोड़[7] का अनुमानित विकास व्यय अंतर्निहित था, कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित की जानी थी । यद्यपि कॉलोनाइजरों द्वारा इस अवधि के दौरान 25 प्रतिशत भू–खण्डों को बंधक रखा गया था लेकिन कॉलोनाइजरों द्वारा न तो किसी शुल्क का भुगतान किया गया और न ही इन लिखतों को पंजीबद्ध कराया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.29 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को सितम्बर 2011 में इंगित किये जाने के बाद, उप पंजीयक, जबलपुर ने सितम्बर 2011 में बताया कि जिला पंजीयक के माध्यम से नगर निगम से संपर्क कर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[7] नगर निगम, जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई।

6.12 मुख्तारनामा के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 45 (घ) के अनुसार, जब मध्य प्रदेश में स्थित किसी अचल संपत्ति का एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से संक्रांत करने हेतु बिना प्रतिफल के किसी अभिकर्ता को प्राधिकृत करते हुए मुख्तारनामा दिया जाता है तो ऐसे विलेखों पर ₹ 100 का शुल्क प्रभारणीय है । पुनश्च, जब ऐसे अधिकार प्रतिफल सहित या बिना प्रतिफल के एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रदान किये जातें है या जब यह अप्रतिसंहरणीय हों या जब यह किसी निश्चित अवधि के लिए आशयित नहीं हो तो ऐसे विलेखों पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण के समान शुल्क प्रभारणीय है ।

हमने फरवरी तथा सितम्बर 2011 के मध्य आठ उप पंजीयक कार्यालयों[8] में अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 और फरवरी 2011 के मध्य पंजीकृत मुख्तारनामा के 27 विलेखों से यद्यपि 16 विलेखों में अचल संपत्ति के विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से संक्रांत करने का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन दस्तावेजों में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं था कि मुख्तारनामा बिना प्रतिफल के एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए दिया गया था, जबकि आठ विलेखों में मुख्तारनामा अप्रतिसंहरणीय था तथा तीन विलेखों में अधिकार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रदान किये गये थे । इन प्रकरणों में, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार ₹ 24.52 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय था । लेकिन हमने इन सभी प्रकरणों में पाया कि विलेखों को बिना प्रतिफल तथा एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विक्रय करने का मुख्तारनामा मानते हुए प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 की दर से शुल्क आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.47 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा मई 2011 तथा सितम्बर 2011 के मध्य प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक सागर, शिवपुरी तथा विदिशा ने अगस्त 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य नौ विलेखों के सम्बंध में बताया कि निष्पादकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं तथा कार्रवाई प्रगति पर है । उप पंजीयक, बड़नगर ने दो विलेखों के सम्बंध में बताया (फरवरी 2011) कि संवीक्षा के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । शेष 16 विलेखों के सम्बंध में, सम्बंधित उप पंजीयकों[9] ने मई तथा जुलाई 2011 के मध्य बताया कि प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को

[8] बड़नगर (उज्जैन), बैतूल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, सागर, शिवपुरी तथा विदिशा ।

[9] बैतूल, गुना, ग्वालियर तथा मुरैना ।

संदर्भित किये जायेंगे । प्रकरण में आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

6.13 विलेखों में शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों का उल्लेख न करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47–क के अंतर्गत, यदि कोई पंजीयन अधिकारी, किसी विलेख का पंजीयन करते समय यह पाता है कि प्रस्तुत सम्पत्ति का बाजार मूल्य, उस बाजार मूल्य से कम है जो बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में दर्शाया गया है तो वह ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व उस संपत्ति के सही बाजार मूल्य तथा उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित करेगा । पुनश्च, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 27 में प्रावधान है कि संपत्ति का बाजार मूल्य तथा किसी विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाले सभी अन्य तथ्यों तथा परिस्थितियों का उसमें पूर्ण रूप से तथा सही – सही उल्लेख किया जाना चाहिये ।

हमने जुलाई 2011 में उप पंजीयक कार्यालय, मुरैना में अवलोकित किया कि अक्टूबर तथा नवम्बर 2010 के मध्य पंजीकृत दो विलेखों में, संपत्ति की स्थिति का पूर्ण रूप से तथा सही–सही उल्लेख नहीं किया गया था । दस्तावेज क्र. 5817 दिनांक 27.10.2010 में, यह बताया गया कि संपत्ति मुख्य मार्ग से आधा फरलांग[10] दूर थी । लेकिन विक्रय विलेख की संवीक्षा में पता चला कि इस दस्तावेज के माध्यम से विक्रय की गई संपत्ति दस्तावेज क्र 5815 दिनांक 27.10.2010 के माध्यम से विक्रय की गई संपत्ति से लगी हुई थी, जिसके अनुसार संपत्ति मुख्य मार्ग से छः मीटर के भीतर स्थित थी । इस प्रकार, भू–खण्ड का मूल्यांकन मुख्य मार्ग पर स्थित भू–खण्डों के लिए लागू दरों से किया जाना अपेक्षित था जो पंजीकृत मूल्य ₹ 5.93 लाख के विरूद्ध ₹ 59.30 लाख संगणित किया गया । दूसरे प्रकरण में, दस्तावेज क्र. 6515 दिनांक 26.11.10 में, यह उल्लेख किया गया था कि विक्रय की गई संपत्ति वार्ड क्र. 12 में 'वंसी रहीस का खरंजा' पर स्थित थी जबकि दस्तावेज में उल्लिखित संपत्ति की चतुर्सीमाओं से पता चला कि संपत्ति 'नाला क्र. 2, 40 फीट के रोड' पर स्थित थी । बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से पता चला कि यह वार्ड क्र. 13 में स्थित थी जिसके अनुसार ₹ 24 लाख के पंजीकृत मूल्य के विरूद्ध संपत्ति का बाजार मूल्य ₹ 1.17 करोड़ संगणित किया गया । इस प्रकार, संपत्ति की स्थिति के बारे में सही तथ्यों का उल्लेख न किये जाने/संपत्ति के बाजार मूल्य का गलत

[10] आधा फरलांग = 100.584 मीटर।

निर्धारण किये जाने के कारण शासन ₹ 15.22 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से वंचित हो गया ।

हमारे द्वारा जुलाई 2011 में प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, उप पंजीयक मुरैना ने जुलाई 2011 में बताया कि प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किये जायेंगे । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013) ।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

6.14 विक्रय विलेखों पर मुद्रांक शुल्क की गलत छूट

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 22 (छ) में प्रावधान है कि जब किसी विलेख द्वारा कोई संपत्ति पूर्ण या आंशिक रूप से किसी महिला अन्तरणी या अन्तरणियों को हस्तांतरित की जाती है तो लागू मुद्रांक शुल्क की दर इस अनुच्छेद के अंतर्गत विलेख में अन्तरणी या अन्तरणियों, जैसी भी स्थिति हो, के पक्ष में हस्तांतरित तथा स्पष्ट रूप से वर्णित संपत्ति के भाग पर देय मुद्रांक शुल्क की दर से दो प्रतिशत कम होगी ।

हमने जून तथा नवम्बर 2011 के मध्य तीन उप पंजीयक कार्यालयों[11] में अवलोकित किया कि अगस्त 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य पंजीकृत 18 विक्रय विलेखों पर कंपनियों/फर्मों को महिला अन्तरणियों के प्रकरण में लागू मुद्रांक शुल्क के भुगतान से दो प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी, जिसके कारणों का अभिलेख में उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, उप पंजीयक कार्यालय ग्वालियर में एक प्रकरण में संपत्ति एक पुरूष तथा एक महिला द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गई थी । संपत्ति में महिला क्रेता का 50 प्रतिशत हिस्सा था । इस प्रकार महिला क्रेता हेतु निर्धारित छूट संपत्ति के केवल 50 प्रतिशत भाग पर दी जानी थी । लेकिन पूरी संपत्ति पर अनियमित रूप से छूट प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.93 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा जून 2011 तथा नवम्बर 2011 के मध्य प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक, विदिशा ने पांच विलेखों के सम्बंध में बताया (सितम्बर 2011) कि धारा 48 (ख) के अंतर्गत निष्पादकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं तथा कार्रवाई प्रगति पर है । उप पजीयक, ग्वालियर ने 12 विलेखों के सम्बंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (जून तथा जुलाई 2011) । उप पंजीयक इंदौर ने शेष दो विलेखों के सम्बंध में बताया

[11] ग्वालियर, इंदौर तथा विदिशा ।

(नवम्बर 2012) कि प्रकरण वसूली हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किये जायेंगे । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

6.15 हक विलेखों के निक्षेप से सम्बंधित अनुबंध/ज्ञापन पर मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण/मुद्रांक शुल्क के भुगतान से गलत छूट

हक विलेख के निक्षेप से सम्बंधित किसी अनुबंध पर मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 6(क) के अन्तर्गत समय–समय पर निर्धारित दर से आरोपित किया जाता है । ऐसे विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के बराबर पंचायत शुल्क भी आरोपणीय है । आगे, अनुच्छेद 6(क) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हक विलेख के निक्षेप से सम्बंधित कोई पत्र टिप्पणी, ज्ञापन या लिखत, चाहे यह प्रथम या किसी अतिरिक्त ऋण के सम्बंध में हो, हक विलेख के निक्षेप से सम्बंधित अनुबंध को साक्ष्यांकित करने वाली लिखत मानी जाती है । साथ ही, यदि पूर्व ऋण पर शुल्क का भुगतान किया गया था तो केवल अतिरिक्त राशि पर ही शुल्क प्रभारणीय है । शासन ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर 2004 में किसी नवीन उद्योग की स्थापना करने या किसी विद्यमान उद्योग का विस्तार करने के उद्देश्य से अवधि ऋण प्राप्त करने के सम्बंध में उद्योगपतियों द्वारा निष्पादित कब्जा रहित बंधक विलेखो पर प्रभारणीय मुद्रांक शुल्क में छूट/कमी के लिए प्रावधान किया था ।

हमने जून तथा दिसम्बर 2011 के मध्य चार उप पंजीयक कार्यालयों [12] में अवलोकित किया कि 20 प्रकरणों में, ₹ 28.75 करोड़ की राशि को प्रत्याभूत करने वाले हक विलेखों के निक्षेप से सम्बन्धित ज्ञापन या लिखतों को अगस्त 2008 तथा दिसम्बर 2010 के मध्य पंजीकृत किया गया जिन पर ₹ 15.56 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था । हालांकि, हमने देखा कि यद्यपि, विलेख में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं था कि पूर्व में लिये गये ऋण पर शुल्क का भुगतान किया गया था, फिर भी 18 विलेखों पर गलत दरें लागू कर केवल अनुबंध की अतिरिक्त राशि पर शुल्क प्रभारित कर ₹ 6.52 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया था । उप पंजीयक कार्यालय, बैतूल में शेष दो विलेखों में अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर 2004 के अंतर्गत गलत तरीके से शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी यद्यपि, हक विलेखों के निक्षेप विवरण के दस्तावेज इस

[12] बैतूल, इन्दौर, अब्दुल्लागंज (जिला रायसेन) तथा विदिशा।

अधिसूचना में समाहित नहीं थे । इस प्रकार, मुद्रांक शुल्क के कम आरोपण/शुल्क के भुगतान से गलत छूट के कारण शासन ₹ 9.04 लाख के राजस्व से वंचित हो गया ।

हमारे द्वारा जून 2011 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक विदिशा ने नौ विलेखों के सम्बंध में बताया (सितम्बर 2011) कि निष्पादकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं तथा कार्रवाई प्रगति पर है । उप पंजीयक, बैतूल तथा अब्दुल्लागंज ने आठ विलेखों के सम्बंध में बताया (जुलाई तथा अगस्त 2011 के मध्य) कि प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किये जायेंगे । उप पंजीयक, इंदौर ने शेष तीन विलेखों के सम्बंध में बताया (नवम्बर तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि बैंकों से सत्यापन के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013) ।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

6.16 कम्पनियों के संविलयन पर मुद्रांक शुल्क की प्राप्ति न होना

शासन की अधिसूचना क्र. (17) बी–4–58/ 2005/2 /पांच, दिनांक 13 मार्च 2006 में प्रावधान है कि एक सतत रूप से कार्यशील प्रतिष्ठान के रूप में औद्योगिक इकाई के हस्तांतरण विलेख पर प्रभारणीय मुद्रांक शुल्क विलेख के माध्यम से हस्तांतरित संयंत्र, मशीनरी तथा अन्य चल परिसंपत्तियों के मूल्य का एक प्रतिशत होगा । एक विलेख पर आरोपित मुद्रांक शुल्क की अधिकतम सीमा ₹ 10 करोड़ होगी। साथ ही, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 75 तथा मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982 के अनुसार, ऐसे विलेखों पर निर्धारित दरों से क्रमशः पंचायत शुल्क तथा पंचायत उपकर भी आरोपणीय है।

दिसम्बर 2010 में पंजीकृत एक खनन पट्टे तथा उप पंजीयक कार्यालय, नीमच से संग्रहीत जानकारी की संवीक्षा के दौरान हमने दिसम्बर 2011 में अवलोकित किया कि मान्नीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के आदेश (मार्च 2010) के अनुसार, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के साथ विलय हुआ (मार्च 2010) । इस आदेश के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने हस्तांतरणकर्ता कम्पनी पर ₹ 20.50 करोड़[13] आरोपित किये तथा इस राशि को सितम्बर 2011 में जमा करा दिया गया । हमने आगे अवलोकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात, अहमदाबाद के आदेश (जुलाई 2010) के अनुसार, समृद्धि सीमेंट लिमिटेड

[13] मुद्रांक शुल्क (₹ 10 करोड़), पंचायत शुल्क (₹ 10 करोड़) तथा पंचायत उपकर (₹ 0.50 करोड़)।

का अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के साथ विलय हुआ तथा वही संयंत्र, मशीनरी, चल परिसम्पत्तियां, शेयर, अचल परिसंपत्तियां आदि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिये गये (जुलाई 2010) जैसा ग्रेसिम इंडस्ट्रीज का समृद्धि सीमेंट लिमिटेड के साथ विलय होने पर किया गया था (मार्च 2010) । हालांकि, हमने पाया कि समृद्धि सीमेंट लिमिटेड का अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के साथ विलय होने सम्बंधी उच्च न्यायालय गुजरात के आदेश पर मुद्रांक शुल्क आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.50 करोड़ के मुद्रांक शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा दिसम्बर 2011 में प्रकरण को इंगित किये जाने के बाद, जिला पंजीयक नीमच ने मार्च 2012 में कंपनी के विरूद्ध प्रकरण पंजीकृत किया । बाद में, जिला पंजीयक ने सूचित किया (मार्च 2013) कि प्रकरण के निराकरण की कार्रवाई प्रगति पर थी।

हमने मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

अध्याय - 7

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने मनोरंजन शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान लिए गए प्रेक्षणों से चयनित ₹ 32.30 लाख के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है । इस अध्याय में हमने विद्युत शुल्क/शास्ति की कम वसूली/वसूली न होने से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 35 लाख की राशि के उदाहरणात्मक प्रकरणों को भी प्रस्तुत किया है । यह चिंता का विषय है कि विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस तरह की चूकों को हमारे द्वारा बार–बार इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में विद्युत पर कर एवं शुल्क से प्राप्त संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों से लंबित बकाया राशि की प्राप्ति होना बताया गया ।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित प्रेक्षणों की स्थिति	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 7,44,491 प्रकरणों में ₹ 1,963.31 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित विद्युत शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 1,166.97 करोड़ के 74,071 प्रकरणों को स्वीकार किया तथा 191 प्रकरणों में ₹ 1,145.67 करोड़ वसूल किये । वर्ष 2009–10 में स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 99.41 प्रतिशत था जबकि अन्य वर्षों में यह अत्यन्त कम शून्य से 15.67 प्रतिशत तक रहा ।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 के दौरान हमने मनोरंजन शुल्क से सम्बंधित 20 इकाईयों* के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा 993 प्रकरणों में ₹ 50 लाख की राजस्व हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला । राज्य आबकारी विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान हमारे द्वारा इंगित 215 प्रकरणों में ₹ 32 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2011–12 के दौरान 33 प्रकरणों में ₹ 9 लाख की राशि वसूल की गई । हमने विद्युत पर कर एवं शुल्क से सम्बंधित सात इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 3,94,942 प्रकरणों में ₹ 25.42 करोड़ के विद्युत शुल्क के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला। इनमें से विभाग ने 60 प्रकरणों में ₹ 21.30 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया
हमारा निष्कर्ष	विभाग ने हमारे द्वारा इंगित किये गये मनोरंजन शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, निरीक्षण फीस की प्राप्ति न होने, शुल्क एवं शास्ति की वसूली न होने/कम वसूली के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहाँ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

* मनोरंजन शुल्क की लेखापरीक्षा जिला आबकारी कार्यालयों में की जाती है । लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या अध्याय 3 (राज्य उत्पाद शुल्क) में भी दर्शायी गयी है ।

अध्याय – 7
अन्य कर प्राप्तियाँ

क. मनोरंजन शुल्क

7.1 कर प्रशासन

मनोरंजन शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण को 31 मार्च 2011 तक राज्य आबकारी विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता था । आबकारी आयुक्त विभाग प्रमुख हैं जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर तथा जिलों में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी उपायुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त तथा जिला आबकारी अधिकारी होते हैं । जिलों में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख होता है ।

एक अप्रैल 2011 से मनोरंजन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है ।

मनोरंजन शुल्क निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी नियमों तथा अधिसूचनाओं के अंतर्गत किया जाता है :–

- मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936;
- मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर नियम, 1942;
- मध्य प्रदेश चलचित्र (विनियमन) नियम, 1952;
- मध्य प्रदेश चलचित्र विनियमन (विज्ञापित वैन) नियम, 1960;
- मध्य प्रदेश चलचित्र (विनियमन) नियम, 1972;
- मध्य प्रदेश चलचित्र (विडियों कैसेट रिकार्डर द्वारा फिल्मों का प्रदर्शन) अनुज्ञप्ति नियम, 1983; तथा
- मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999

7.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान मनोरंजन शुल्क से सम्बंधित 20 इकाइयों[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 993 प्रकरणों में ₹ 50 लाख की राजस्व हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

[1] मनोरंजन शुल्क की लेखापरीक्षा जिला आबकारी कार्यालयों में की जाती है । लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या अध्याय 3 (राज्य उत्पाद शुल्क) में भी दर्शायी गयी है ।

(₹ लाख में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वी.सी.आर. के संचालकों/केबल आपरेटरों द्वारा मनोरंजन शुल्क जमा न किया जाना/कम जमा किया जाना	124	4.00
2.	मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति न होना	34	3.00
3.	टिकटों का लेखांकन न किये जाने के कारण मनोरंजन शुल्क का अपवंचन	31	1.00
4.	अन्य प्रेक्षण	804	42.00
योग		**993**	**50.00**

वर्ष 2011–12 के दौरान, विभाग ने 215 प्रकरणों में ₹ 32 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। वर्ष 2011–12 के दौरान इंगित किये गये 33 प्रकरणों में ₹ 9 लाख की राशि वसूल की गई ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें ₹ 32.30 लाख की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.3 मनोरंजन शुल्क का कम आरोपण

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 मई 2008 के अनुसार, चलचित्रों विडियों कैसेट रिकार्डर तथा केबल सेवा को छोड़कर, किसी अन्य मनोरंजन में प्रवेश हेतु प्रत्येक भुगतान के सम्बंध में संग्रहीत राशि के 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन शुल्क निर्धारित किया गया था ।

हमने सहायक आबकारी आयुक्त (ए.ई.सी.) इंदौर के कार्यालय में विभिन्न मनोरंजनों के संचालकों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों से अवलोकित किया (नवम्बर 2010) कि 7 अगस्त 2009 से 31 अक्टूबर 2010 की अवधि के दौरान ट्रेजर आइलैण्ड मल्टीप्लैक्स, इंदौर में स्थित गैलेक्सी एण्टरटेनमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जी.ई.सी.एल.) द्वारा संचालित वीडियों गेम आरकेड में प्रवेश हेतु दर्शकों से ₹ 2.14 करोड़ की राशि संग्रहीत की गई जिस पर ₹ 35.67 लाख[2] का मनोरंजन शुल्क देय था । तथापि, यह देखा गया कि राज्य शासन द्वारा 4 सितम्बर 2006 को ट्रेजर आइलैण्ड मल्टीप्लैक्स काम्पलैक्स को मनोरंजन शुल्क के भुगतान से प्रदान की गई छूट का लाभ लेते हुए संचालक द्वारा मात्र ₹ 12.54 लाख का भुगतान किया गया । हमने अवलोकित किया कि छूट अनुमत्य नहीं थी क्योंकि वीडियों गेम आरकेड में उपलब्ध कराये गये मनोरंजन पर मनोरंजन शुल्क मई 2008 में प्रारम्भ किया गया था । अतः शुल्क की शेष राशि ₹ 23.13 लाख को वसूल करने के लिए कार्रवाई की जानी वांछित थी, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

हमने आगे जनवरी 2012 में अवलोकित किया कि मनोरंजन शुल्क की राशि ₹ 4.12 लाख का भुगतान देय राशि ₹ 8.24 लाख[3] के विरूद्ध आगामी अवधि नवम्बर 2010 से मार्च 2011 हेतु संग्रहीत राशि ₹ 49.43 लाख पर किया गया था । विभाग ने शेष राशि ₹ 4.12 लाख को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.25 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया (जनवरी 2012) कि मनोरंजन शुल्क ₹ 23.13 लाख को जमा करने के लिए सितम्बर 2011 में संचालक को नोटिस जारी किया जा चुका है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ₹ 4.12 लाख की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2 देय मनोरंजन शुल्क = टिकटों का विक्रय मूल्य * शुल्क की दर/(100+शुल्क की दर)
= ₹ 214 लाख×20÷120 ₹ 35.67 लाख ।

3 ₹49.43 लाख × 20 ÷ 120 ₹ 8.24 लाख

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2012); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

7.4 सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 में प्रावधान है कि जहाँ किसी सिनेमा हॉल में सिनेमेटोग्राफिक प्रदर्शन किये जाते हैं, सिनेमा हॉल में प्रवेश दिये गये व्यक्तियों को प्रदान की गई सुविधाओं के लिए प्रभारित किये गये दो रूपये प्रति टिकट से अनधिक राशि पर कोई शुल्क आरोपित नहीं किया जायेगा । प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण और उन पर किये गये व्यय की राशि चार्टर्ड अकाउन्टेंट (सी.ए.) से सत्यापित करवाकर सिनेमा हाल के मालिक द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी । यदि कलेक्टर प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह सुविधाएं प्रदान करने के लिए मान्य की गयी राशि के सम्बंध में सिनेमा गृह के मालिक से शुल्क वसूल कर सकेंगे । आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार, सी.ए. द्वारा सत्यापित सुविधाओं तथा उन पर व्यय की गई राशि का विवरण प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, सिनेमा हॉल के मालिक से टिकट की पूर्ण राशि पर मनोरंजन शुल्क वसूल किया जायेगा।

हमने सहायक आबकारी आयुक्त, भोपाल, सागर तथा जिला आबकारी अधिकारी, शिवपुरी को सिनेमा गृहों के मालिकों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से अवलोकित किया (मई तथा नवम्बर 2011 के मध्य) कि 17 सिनेमागृहों के मालिकों ने सिनेमा गृहों में दर्शकों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य टिकटों की विक्री से ₹ 24.50 लाख संग्रहीत किये । यद्यपि, इन सिनेमा गृहों के मालिकों द्वारा (लेखापरीक्षा के दिनांक तक) सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सी.ए. द्वारा सत्यापित सिनेमा हॉल में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण तथा उन पर व्यय के लेखाओं को कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया था, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने दर्शकों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए संग्रहीत राशि पर मनोरंजन शुल्क आरोपित करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.05 लाख के मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, सहायक आबकारी आयुक्त, भोपाल तथा सागर ने बताया (सितम्बर तथा नवम्बर 2011) कि प्रकरण वाणिज्यिक कर विभाग के ध्यान में

लाया जायेगा, जबकि जिला आबकारी अधिकारी, शिवपुरी ने बताया (मई 2011) कि नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । उनके उत्तरों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि निर्धारित अवधि के भीतर सम्यक रूप से सत्यापित व्यय लेखाओं के प्राप्त न होने की स्थिति में मनोरंजन शुल्क वसूल करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013) ।

हमने जुलाई तथा दिसम्बर 2011 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

ख. विद्युत पर कर एवं शुल्क

7.5 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव ऊर्जा विभाग के प्रमुख हैं तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक को विद्युत पर करों एवं शुल्कों के संग्रहण का कार्य सौंपा गया है । विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण कार्य हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिये दो अधीक्षण यंत्री (अ.यं., विद्युत सुरक्षा), जिला स्तर पर सात संभागीय विद्युत निरीक्षक (सं.वि.नि., विद्युत सुरक्षा) तथा उप संभागीय स्तर पर 34 सहायक विद्युत निरीक्षक होते हैं । वे विद्युत तथा विद्युत संस्थापनाओं के कैप्टिव तथा गैर–कैप्टिव उपभोक्ताओं के सम्बंध में शुल्क, उपकर तथा निरीक्षण फीस के आरोपण तथा संग्रहण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है ।

विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन किया जाता है :

- भारतीय विद्युत (भा.वि.) अधिनियम, 1910 (2003 में संशोधित);
- भारतीय विद्युत (भा.वि.) नियमावली, 1956;
- मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क (मप्रविशु) अधिनियम, 1949 तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम; तथा
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981

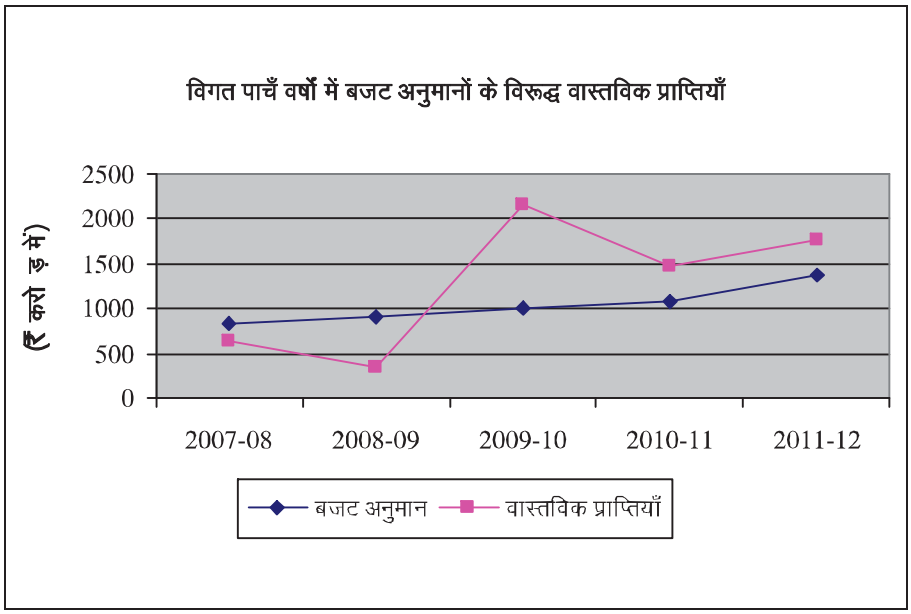
7.6 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

अवधि 2007–08 से 2011–12 के दौरान विद्युत पर करों एवं शुल्कों की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका तथा रेखा ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता(+)/ कमी(-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	832.00	626.08	(-) 205.92	(-) 24.75	12,017.64	5.21
2008–09	900.00	343.06	(-) 556.94	(-) 61.88	13,613.50	2.52
2009–10	1,000.00	2,146.49	(+) 1146.49	(+) 114.65	17,272.77	12.43
2010–11	1,090.00	1,476.32	(+) 386.32	(+) 35.44	21,419.33	6.89
2011–12	1,370.00	1,773.32	(+) 403.32	(+) 29.44	26,973.44	6.57

(स्रोत: मध्य प्रदेश शासन के बजट अनुमान तथा वित्त लेखे)



वर्ष 2011–12 में, विद्युत पर कर एवं शुल्क से प्राप्त कर संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई विभाग द्वारा जिसका कारण म.प्र. वितरण कम्पनियों से लंबित बकाया राशि प्राप्त होना बताया गया।

7.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग ने प्रतिवेदित किया (अगस्त 2012) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है ।

7.8 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 7,44,491 प्रकरणों में ₹ 1,963.31 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित विद्युत शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, अवनिर्धारण आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 74,071 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 1,166.97 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और तत्पश्चात ₹ 1,145.67 करोड़ वसूल किये गये (30 नवम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार)। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्ति		स्वीकृत		वसूली		वसूली प्रतिशत स्वीकृत पर
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	
2006–07	3	3,506	1.53	2,693	0.10	निरंक	निरंक	निरंक
2007–08	6	1,83,618	17.25	55,288	5.58	निरंक	निरंक	निरंक
2008–09	4	2,27,987	8.36	15,600	7.21	01	1.13	15.67
2009–10	8	90,515	1,683.49	261	1,151.13	96	1,144.39	99.41
2010–11	5	2,38,865	252.68	229	2.95	94	0.15	5.08
कुल		**7,44,491**	**1,963.31**	**74,071**	**1,166.97**	**191**	**1,145.67**	

वर्ष 2009–10 में स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 99.41 प्रतिशत था जबकि अन्य वर्षों में यह बहुत कम शून्य से 15.64 प्रतिशत के मध्य रहा ।

7.8.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने ₹ 569.82 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित, विद्युत संस्थापनाओं पर शुल्क एवं शास्ति के अनारोपण के कारण राजस्व हानि, प्रतिभूति जमा राशि प्रावधान न होने के कारण राजस्व हानि, गलत दर लागू किये जाने के कारण शुल्क का कम आरोपण/वसूली आदि के प्रकरणों को इंगित किया था । विभाग ने ₹ 549.35 करोड़ की चार कंडिकाओं को स्वीकार किया तथा दो कंडिकाओं में ₹ 84 लाख वसूल किये जैसा कि आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकार की गई कंडिकाओं की संख्या	स्वीकार की गई कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	उन कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.2012 तक वसूल की गई राशि
2006–07	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2007–08	4	1.94	1	0.41	1	0.008
2008–09	2	1.80	1	0.83	1	0.83
2009–10	1 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	562.60	1 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	547.64	निरंक	निरंक
2010–11	3	3.48	1	0.47	निरंक	निरंक
योग	**11**	**569.82**	**4**	**549.35**	2	**0.84**

स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में, वर्ष 2008–09 को छोड़कर, वसूली की राशि या तो निरंक या अत्यंत कम थी ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये ।

7.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान विद्युत पर कर एवं विद्युत शुल्क से संबंधित सात इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 3,94,942 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 25.42 करोड़ के विद्युत शुल्क के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	2,83,299	1.54
2.	अन्य प्रेक्षण	1,11,643	23.88
योग		**3,94,942**	**25.42**

वर्ष के दौरान, विभाग ने वर्ष 2010–11 के दौरान, लेखापरीक्षा में इंगित किये गये प्रकरणों में से ₹ 21.30 करोड़ के 60 प्रकरणों में अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 35 लाख की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.10 विद्युत शुल्क की कम प्राप्ति

जैसा कि मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 में परिभाषित किया गया है, "खान" के अन्तर्गत वह परिसर अथवा मशीनरी सम्मिलित है जो खान में या उससे लगे हुए स्थान पर स्थित है तथा जिसका उपयोग माल को तोड़ने, रूपान्तरित करने, व्यवहार में लाने या उसको परिवहित करने में किया जाता है। अधिनियम में सीमेंट उद्योग की कैप्टिव खानों को छोड़कर, खानों में उपभोग की गई ऊर्जा विभाग की राशि पर 40 प्रतिशत की दर से शुल्क आरोपित किये जाने का प्रावधान है।

हमने संभागीय विद्युत निरीक्षक (विद्युत सुरक्षा) ग्वालियर के कार्यालय में लेजरों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया (मार्च 2012) कि मार्च 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य खनन गतिविधियों में संलग्न सात उपभोक्ताओं के प्रकरण में खनन गतिविधियों हेतु आरोपणीय 40 प्रतिशत शुल्क के स्थान पर, औद्योगिक उद्देश्यों हेतु लागू 3.5 प्रतिशत से आठ प्रतिशत की दर से गलत ढंग से शुल्क आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35 लाख के शुल्क की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, शासन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा बताया (जनवरी 2013) कि ₹ 35 लाख की माँग सृजित करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं ।

7.11 निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 141 के तहत, यदि किसी विद्युत संस्थापना का स्वामी नियम के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह प्रत्येक उल्लंघन के लिये ₹ 300 तक की शास्ति के भुगतान का दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो वह उल्लंघन रहने तक ₹ 50 प्रतिदिन अतिरिक्त शास्ति के भुगतान का दायी होगा। ऊर्जा विभाग द्वारा फरवरी 1987 में (विधि विभाग की सलाह के आधार पर) जारी अनुदेशों के अनुसार, प्रकरणों को न्यायालय में दर्ज कराने के बाद ही न्यायालय द्वारा शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

पांच इकाइयों[4] में किये गये निरीक्षणों से सम्बंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जांच के दौरान (जनवरी 2012 तथा मार्च 2012 के मध्य) हमने अवलोकित किया कि 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान मध्यम एवं उच्च वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण करते समय निरीक्षकों ने निरीक्षण हेतु

[4] मु.वि.नि., वि.सु., भोपाल, उ.मु.वि.नि., वि.सु.जबलपुर, सं.वि.नि., वि.सु.छिंदबाड़ा, रीवा और ग्वालियर।

नियत 1,50,477 संस्थापनाओं में से निरीक्षण की गई सभी 48,025 संस्थापनाओं में सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं से सम्बंधित नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया । उपभोक्ताओं तथा मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों को उल्लंघनों का सुधार करने तथा अनुपालन प्रतिवेदित करने के अनुदेशों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये । तथापि, हमने पाया कि या तो उपभोक्ताओं से या मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों से अनुपालन प्रतिवेदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे ।

इसी प्रकार की एक कंडिका (2007–08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 8.3) लोक लेखा समिति द्वारा विभाग द्वारा दिये गये इस मौखिक साक्ष्य के आधार पर निराकृत की गई थी कि शास्ति आरोपित नहीं की जा रही थी । क्योंकि निरीक्षणों के दौरान पाये गये उल्लंघनों को बाद में उपभोक्ताओं द्वारा सुधार लिया जाता है । विभाग ने आगे लोक लेखा समिति को स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा उल्लंघनों का सुधार करने के लिए एक माह की अवधि दी जाती है । लोक लेखा समिति के निर्णय का उल्लेख करते हुए विभाग ने वर्तमान लेखापरीक्षा कंडिका को निराकृत करने का अनुरोध किया (जनवरी 2013) क्योंकि इसमें भी यह विषय अंतर्निहित था ।

अनुपालन को साक्ष्यांकित करने वाले अभिलेखों के अभाव में, हम इस बात से आश्वस्त नहीं हो सके कि विभाग अनुपालन का परिवीक्षण कर रहा था तथा उन प्रकरणों में जहाँ एक माह की अनुमत्य अवधि में सुधार नहीं किया गया था, आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी ।

अध्याय - 8

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने जिला खनिज अधिकारियों के कार्यालयों में अनिवार्य किराये/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण/प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर आदि के अनिर्धारण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 80.34 करोड़ के उदाहरात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय हैं कि यद्यपि इस प्रकार की चूकों को हमारे द्वारा विगत कई वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार–बार इंगित किया गया है, विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में खनन प्राप्तियों से संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 3.92 प्रतिशत की कमी हुई ।
आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की गई	विभाग ने प्रतिवेदित किया (जनवरी 2013) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई थी।
विगत वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के संबंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 5,636 प्रकरणों में ₹ 2,944.63 करोड़ राजस्व प्रभाव से सन्निहित खनिज प्राप्तियों के अनारोपण/कम आरोपण/प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण, हानि आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने 4,829 प्रकरणों में ₹ 2,077.37 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 606 प्रकरणों में ₹ 249.45 करोड़ वसूल किए । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम 7.67 प्रतिशत से 31.25 प्रतिशत के मध्य रहा ।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में हमने खनन प्राप्तियों से सम्बंधित 32 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 1,316 प्रकरणों में ₹ 171.95 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला । विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये 1,145 प्रकरणों में ₹ 170.80 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किए गए राज्यांश की प्राप्ति न होने/कम प्राप्ति, शास्ति का अधिरोपण न किये जाने, ब्याज के अनारोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है; विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय –8
खनन प्राप्तियां

8.1 कर प्रशासन

खनिज विभाग सचिव, खनन, मध्य प्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख हैं जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय पर उप संचालक तथा जिला स्तर पर जिला खनिज अधिकारी होते हैं । जिला खनिज अधिकारियों की सहायता के लिये सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक होते हैं । जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं ।

खनन प्राप्तियाँ निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के तहत संग्रहीत की जाती हैं:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960;
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988;
- संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002;
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996;
- मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006;
- मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005;
- कोयला खदान नियंत्रण नियम, 2004; तथा
- कोल बियरिंग क्षेत्र अधिनियम, 1957

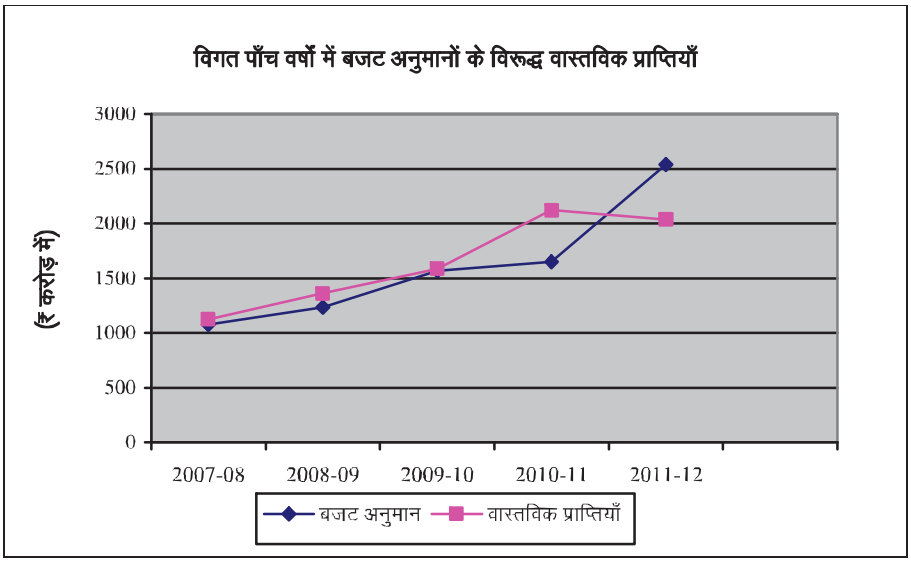
8.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान वास्तविक खनिज प्राप्तियाँ, उसी अवधि के दौरान कुल कर–भिन्न प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाइन ग्राफ में प्रदर्शित की गई हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+) /कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर–भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	1,080.00	1,125.39	(+) 45.39	(+) 4.20	2,738.18	41.10
2008–09	1,235.00	1,361.08	(+)126.08	(+)10.21	3,342.86	40.72
2009–10	1,566.00	1,590.47	(+)24.47	(+) 1.56	6,382.04	24.92
2010–11	1,650.00	2,121.49	(+) 471.49	(+) 28.58	5,719.77	37.09
2011–12	2,540.00	2,038.31	(–) 501.69	(–) 19.75	7,482.73	27.24

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)



वर्ष 2011–12 में, खनिज प्राप्तियों के संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 3.92 प्रतिशत की कमी हुई । बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता (-) 19.75 प्रतिशत तथा (+) 28.58 प्रतिशत के मध्य रही। वर्ष 2011–12 में बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का कारण विभाग द्वारा बकाया सड़क विकास कर की वसूली तथा गौण खनिजों की राज्यांश दरों के पुनरीक्षण के कारण राज्यांश राशि में वृद्धि होना बताया गया (अगस्त 2012)।

8.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

8.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (नि.प्र.)

अवधि 2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, 5,636 प्रकरणों में ₹ 2,944.63 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित खनन प्राप्तियों के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण, राजस्व हानि आदि को

इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने 4,829 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 2,077.37 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 606 प्रकरणों में (30 नवम्बर 2012 तक) ₹ 249.45 करोड़ वसूल किये। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा–परीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		वसूली का स्वीकृत राशि से प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006–07	31	1,258	38.84	1,258	38.84	68	6.93	17.84
2007–08	34	1,474	513.88	1,457	97.25	81	8.94	9.19
2008–09	34	433	333.73	368	240.07	188	39.53	16.47
2009–10	34	1,384	1774.20	674	1431.55	109	109.78	7.67
2010–11	37	1,087	283.98	1,072	269.66	160	84.27	31.25
योग		**5,636**	**2,944.63**	**4,829**	**2077.37**	**606**	**249.45**	

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत, 7.67 प्रतिशत से लेकर 31.25 प्रतिशत, बहुत कम रहा । हमने इस स्थिति को विभाग प्रमुख तथा शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है (अगस्त 2012) ।

8.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने 39 कंडिकाओं में ₹ 1,067.24 करोड़ राजस्व के अवनिर्धारण, राज्यांश/अनिवार्य किराये/संविदा राशि की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति, विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण, शास्ति का अनारोपण आदि के प्रकरणों को इंगित किया था। जहाँ विभाग ने ₹ 581 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया, उसमें से मार्च 2012 तक केवल ₹ 70.02 करोड़ की राशि वसूल की गई जैसा कि आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.12 तक वसूल की गई राशि
2006–07	8	5.20	7	4.16	5	3.33
2007–08	1	395.76	1	340.79	1	63.25
2008–09	8	102.93	6	9.27	5	2.28
2009–10	11	447.89	8	143.11	4	0.35
2010–11	11	115.46	8	83.67	5	0.81
योग	**39**	**1,067.24**	**30**	**581.00**	**20**	**70.02**

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में अंतर्निहित राशि को वसूल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये।

8.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग ने प्रतिवेदित किया (जनवरी 2013) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है और इसलिए वर्ष 2011–12 के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

8.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 में खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 32 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1,316 प्रकरणों में ₹ 171.95 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जिन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	198	0.60
2.	अनिवार्य किराये/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण	330	23.94
3.	ग्रामीण अधोसंरचना एवं सड़क विकास कर का निर्धारण न किया जाना	144	95.77
4.	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली होना	361	7.37
5.	अन्य प्रेक्षण	283	44.27
योग		**1,316**	**171.95**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,145 प्रकरणों में ₹ 170.80 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था ।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनमें ₹ 80.34 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

8.6 संविदा राशि का पुनरीक्षण न करने के कारण राजस्व की कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमों के अंतर्गत स्वीकृत व्यापारिक खदानों हेतु संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 6 के अनुसार, यदि ठेके के चालू रहने के दौरान राज्यांश की दरें पुनरीक्षित की जाती हैं तो संविदा राशि भी समानुपातिक रूप से पुनरीक्षित की जायेगी । शासन ने मार्च 2010 में गौण खनिजों की राज्यांश दरों को पुनरीक्षित किया था ।

हमने 19 जिला खनिज कार्यालयों[1] में व्यापारिक खदानों की विवरणियों एवं संविदा प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 से फरवरी 2012 के मध्य) कि विभाग ने 141 व्यापारिक खदान ठेकेदारों के प्रकरण में 5 मार्च 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु संविदा राशि ₹ 5.65 करोड़ से ₹ 8.87 करोड़ पुनरीक्षित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.22 करोड़[2] की संविदा राशि की कम प्राप्त हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (मई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य), जिला खनिज अधिकारी, दतिया ने बताया (जून 2011) कि अधिसूचना की शर्त के अनुसार ठेकेदारों को राज्यांश की पुनरीक्षित दरों के अनुसार पिट पास जारी किए गए थे । हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि संविदा राशि भी, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि ठेकेदारों ने खनिज की पूर्ण मात्रा का उत्खनन किया या नहीं, संविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार पुनरीक्षित की जानी चाहिये थी।

हमने प्रकरण को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई एवं जून 2012 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

1 बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, डिन्डोरी, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, रतलाम, रीवा, सतना, शाजापुर तथा सीधी ।

2 ₹ 3.22 करोड़ में से, ₹ 6 लाख तीन जिला कार्यालयों (डिन्डौरी, खण्डवा, मण्डला) में वर्ष 2009–10 में 27 दिनों हेतु 18 व्यापारिक खदान ठेकेदारों से सम्बंधित तथा ₹ 3.16 करोड़ वर्ष 2010–11 हेतु 19 जिला खनिज कार्यालयों से सम्बंधित हैं।

8.7 राज्यांश की गलत दर लागू करने के कारण राज्यांश की कम प्राप्ति

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(i) के अनुसार खनिपट्टे के प्रत्येक पट्टाधारी को पट्टा क्षेत्र से हटाए गए या उसके द्वारा उपभोग किए गए खनिजों के सम्बंध में अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार राज्यांश का भुगतान करना होगा। आगे, खनिज रियायत नियमावली के नियम 64 (घ) के अनुसार, राज्य शासन बैन्चमार्क मूल्य* में 20 प्रतिशत जोड़ेगा तथा राज्यांश की संगणना के उद्देश्य से इस मूल्य को विक्रय मूल्य माना जायेगा ।

हमने जिला खनिज कार्यालय, नीमच में खनिपट्टों से सम्बंधित वैयक्तिक प्रकरण नस्तियों, भुगतान चालानों एवं विवरणियों की संवीक्षा करते समय अवलोकित किया (जनवरी 2009) कि लैटराइट खनिज के दो पट्टेदारों ने राज्यांश की गलत दर लागू किये जाने के कारण, लैटराइट की 1.24 लाख टन की निष्कासित मात्रा के लिए (अप्रैल 2006 से मार्च 2008 के मध्य) देय राशि ₹ 16.07 लाख (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत मूल्य के अनुसार) के विरूद्ध ₹ 3.62 लाख के राज्यांश का भुगतान किया था । यदि विभाग ने पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरणियों की संवीक्षा की होती, तो इस अनियमितता को संसूचित किया जा सकता था । विवरणियों की जांच करने एवं सही दर से राज्यांश की मांग करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12.45 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

हमने मार्च तथा मई 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

* 'खनिज उत्पादन के मासिक सांख्यकीय आँकड़े' में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विभिन्न अलग-अलग खनिजों हेतु राज्यवार औसत मूल्य को राज्य में किसी खान में माह के दौरान किसी समय उत्पादित किसी खनिज के सम्बंध में सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की संगणना के लिए बैन्चमार्क माना जायेगा। राज्यांश की संगणना के उद्देश्य से, राज्य शासन इस बैन्चमार्क मूल्य में 20 प्रतिशत जोड़ेगा। यह मूल्य राज्यांश की संगणना के उद्देश्य हेतु विक्रय मूल्य माना जायेगा।

8.8 ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली न होना

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर अधिनियम के प्रावधानों तथा सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से किया जायेगा । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों/लेखाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी खनिजों के विक्रय मूल्य का निर्धारण करेगा तथा प्रत्येक वर्ष मई माह के अंत में कर का निर्धारण कर उसकी माँग करेगा । कर का भुगतान न होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी पट्टेदार (निर्धारिती) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, धारा 4 (2) के तहत शास्ति का आरोपण करेगा जो देय कर राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी । धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार, भुगतान न किये जाने पर, सक्षम अधिकारी कर एवं शास्ति की राशि को भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करेगा ।

हमने 12 जिला खनिज कार्यालयों [3] में खनन पट्टों के सम्बंध में मुख्य खनिजों के उत्पादन अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) कि 48 पट्टाधारियों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2011 के मध्य, देय सड़क विकास कर राशि ₹ 73.04 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2.51 करोड़ का भुगतान किया था । जिला खनिज अधिकारियों ने कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के अंतर्गत आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त ₹ 70.53 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा इसे मई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य इंगित किए जाने पर, जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा ने बताया (नवम्बर 2011) कि पट्टाधारी (वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) को मांग पत्र जारी किया गया है । जिसने सड़क विकास कर की मांग के विरूद्ध आयुक्त, जबलपुर को अपील की है । हालांकि तथ्य यह है कि जिला खनिज अधिकारी ने केवल अप्रैल से जून 2010 तक की अवधि के लिए मांग पत्र जारी किया था तथा जुलाई 2010 से मार्च 2011 की अवधि के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । एक अन्य पट्टाधारी के सम्बंध में (मैसर्स कृष्णा पिंक एलाय), जिला खनिज अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2011) कि कर की वसूली की कार्रवाई पट्टाधारी द्वारा उत्पादित खनिज के विक्रय मूल्य से सम्बंधित दस्तावेजों

[3] छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंडला, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली तथा उमरिया।

को प्राप्त करने के उपरांत की जायेगी । अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (मई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) कि माँग पत्र जारी किये जायेंगे/आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

हमने प्रकरण को विभाग तथा शासन को (मई एवं जून 2012 के मध्य) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

8.9 खनन पट्टों में कार्य संचालन न होना

खनिज रियायत नियमावली के नियम 22 (क) के अनुसार, खनन कार्य सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रारम्भ किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियमावली के नियम 28 (1) के अनुसार, जहां खनन कार्य पट्टे के निष्पादन दिनांक से लगातार एक वर्ष की अवधि तक प्रारम्भ नहीं किया जाता है या खनन कार्यो के प्रारम्भ होने के पश्चात उन्हें एक वर्ष की सतत अवधि के लिए रोक दिया जाता है तो राज्य शासन, एक आदेश द्वारा खनन पट्टे को व्यपगत धोषित कर इस आशय की सूचना पट्टेदार को संप्रेषित करेगा ।

हमने जिला खनिज कार्यालय, बैतूल तथा नीमच में पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत खनन योजनाओं एवं विवरणियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (नवम्बर तथा दिसम्बर 2010) कि 18.564 हैक्टेयर क्षेत्रफल के जिंक/लाइमस्टोन के दो पट्टे 20 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः मार्च 2005 तथा नवम्बर 1995 में स्वीकृत किये गये थे । बैतूल में पट्टेदार ने नवम्बर 2010 तक खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया था तथा नीमच में पट्टेदार ने जुलाई 2006 से खनन कार्य रोक दिया था। पट्टेदारों ने इस अवधि के दौरान केवल अनिवार्य किराये का भुगतान किया था। चूँकि खनन गतिविधियाँ या तो प्रारम्भ नहीं की गई थीं या फिर लम्बी अवधि के लिए रोक दी गई थीं, अतः पट्टों को व्यपगत घोषित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यदि इन पट्टों को अन्य आवेदकों को प्रदान कर दिया जाता तो इनसे खानों की क्षमता के अनुसार राजस्व की प्राप्ति हुई होती। साथ ही, खनन कार्य रोक दिये जाने से क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास, खनिज विकास तथा रोजगार सृजन पर भी रोक लग जाती है।

हमारे द्वारा दिसम्बर 2010 में इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनिज अधिकारी, बैतूल ने बताया (दिसम्बर 2010) कि पट्टेदार ने अनिवार्य किराये की देय राशि ₹ 12,000 जमा की थी । उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व की हानि नहीं हुई थी क्योंकि पट्टेदार ने पट्टा क्षेत्र से किसी भी मात्रा में न ही खनिज का उत्खनन और न ही विक्रय किया था । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि पट्टा राज्यांश के रूप में राजस्व की प्रत्याशा में खनन योजना के अनुसार खानों का संचालन करने के लिए पट्टेदार को स्वीकृत किया गया था न कि खान को निष्क्रिय रखकर अनिवार्य किराये का भुगतान करने के लिए । जिला खनिज अधिकारी, नीमच

ने बताया (नवम्बर 2010) कि पट्टे को निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को अग्रेषित किया जायेगा। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

हमने (मार्च तथा मई 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

8.10 संविदा राशि की कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 37 (i) तथा नीलाम खदान के ठेका अनुबंध की शर्त क्रमांक 5 (i) तथा 9 के अनुसार, प्रत्येक ठेकेदार को नियत दिनांक पर राज्य शासन को संविदा राशि का भुगतान करना होगा । यदि संविदा राशि का भुगतान तीन माह से अधिक समय तक नहीं किया जाता है, तो ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा खदान पुनर्नीलाम की जायेगी । खदान की पुनर्नीलामी की प्रक्रिया के फलस्वरूप, यदि शासन को कोई हानि होती है, तो यह राशि चूककर्ता ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

हमने 22 जिला खनिज कार्यालयों[4] में व्यापारिक खदानों से सम्बंधित संविदा राशि की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 तथा जनवरी 2012) कि 141 ठेकेदारों ने अप्रैल 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य देय संविदा राशि ₹ 5.06 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 2.02 करोड़ की राशि का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप संविदा राशि ₹ 3.04 करोड़ की कम प्राप्ति हुई । जिला खनिज अधिकारियों द्वारा ठेका अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के विरूद्ध ठेका निरस्तीकरण या खदानों की पुनर्नीलामी करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किए जाने के पश्चात, जिला खनिज अधिकारी, सीहोर ने बताया (जून 2011) कि आक्षेपित राशि में से ₹ 9 लाख की राशि पूर्व में जमा करा ली गई है । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि जमा की गई राशि पहले ही लेखापरीक्षा द्वारा देय संविदा राशि की गणना करते समय निकाल दी गई थी। जिला खनिज अधिकारी, राजगढ़ ने दो प्रकरणों में बताया (मई 2011) कि व्यापारिक खदानें म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.सी.बी.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण संचालित नहीं की जा सकीं तथा शेष प्रकरण में की जाने वाली कार्रवाई के सम्बंध में लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । तथ्य यह है कि जिला खनिज अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये था कि ठेकेदार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था। अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया

[4] बड़वानी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, डिण्डोरी, हरदा, जबलपुर, खण्डवा, खरगोन, मंडला, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, सीधी तथा उमरिया।

(मई 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य) कि माँग पत्र जारी किये जायेंगे/आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

हमने (मई तथा जून 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

8.11 उत्खनि पट्टों के अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30 (1)(क) के अनुसार, उत्खनि पट्टे का प्रत्येक पट्टेदार पट्टा प्रारंभ होने के प्रथम वर्ष को छोड़कर, अनुसूची IV में उल्लिखित दरों से, अग्रिम में वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण वर्ष के लिए वार्षिक अनिवार्य किराये का भुगतान करेगा ।

हमनें 27 जिला खनिज कार्यालयों[5] में पट्टेदारों की व्यक्तिगत नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) कि 214 उत्खनि पट्टेदारों ने जनवरी 2010 से दिसम्बर 2011 की अवधि हेतु देय ₹ 1.84 करोड़ के अनिवार्य किराये के विरूद्ध ₹ 30.47 लाख का भुगतान किया था। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा भुगतान न की गई शेष शासकीय राशि को वसूल करने हेतु माँग पत्र जारी करने की कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 करोड़ के अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति हुई ।

हमने (मार्च तथा जून 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[5] अनूपपुर, बड़वानी, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, हरदा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मंडला, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, उज्जैन तथा उमरिया।

8.12 खनन पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9 (क)(**i**) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, खनि पट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को प्रत्येक वर्ष पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के सम्बंध में अनुसूची III में उल्लिखित दरों से राज्य शासन को अनिवार्य किराये का भुगतान करना होगा लेकिन जहां पट्टाधारक निष्कासित या उपभोग किये गये किसी खनिज के लिये राज्यांश का भुगतान करने का दायी हो जाता है तो वह उस क्षेत्र के सम्बंध में ऐसे राज्यांश या अनिवार्य किराये, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा । नियमों में विलम्बित भुगतानों पर निर्धारित दरों से ब्याज के आरोपण का भी प्रावधान है ।

हमने जिला खनिज कार्यालयों, शहडोल तथा सतना में पट्टाधारकों की व्यक्तिगत नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अक्टूबर 2010 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि मुख्य खनिजों के 18 खनन पट्टों के दो खनन पट्टाधारकों द्वारा अप्रैल 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य ₹ 46.43 लाख के अनिवार्य किराए का भुगतान नहीं किया गया था । जिला खनिज अधिकारियों द्वारा अनिवार्य किराए की वसूली करने के सम्बंध में मांग सूचना पत्र जारी करने की कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.43 लाख के अनिवार्य किराए की कम प्राप्ति हुई । इसके अतिरिक्त, ब्याज भी आरोपणीय था।

हमने प्रकरण (मार्च तथा जून 2012 के मध्य) विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

8 .13 विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/प्राप्ति न होना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30 (द) के अनुसार, उत्खनिपट्टे के प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या इससे पूर्व राज्य शासन को अनिवार्य किराए का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टाधारी को नियमों के अंतर्गत उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी दाण्डिक कार्रवाई के अतिरिक्त, भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा । नियम 30(i)(ख) के अनुसार, नियमों में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, कलेक्टर/अपर कलेक्टर पट्टेदार को लिखित में दाण्डिक कार्रवाई हेतु एक कारण बताओ नोटिस जारी कर नोटिस के दिनांक से साठ दिन के भीतर उल्लंघन का सुधार करने के लिए निर्देशित करेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर, उल्लंघन का सुधार नहीं किया जाता है तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, किसी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, पट्टे को निरस्त कर प्रतिभूति जमा राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से राजसात कर सकता है या विकल्प के रूप में नियमों के अंतर्गत निर्धारित शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

8.13.1 हमने आठ जिला खनिज कार्यालयों [6] में उत्खनिपट्टों से सम्बंधित अनिवार्य किराए तथा राज्यांश की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (दिसम्बर 2008 तथा नवम्बर 2011 के मध्य) कि 67 उत्खनि पट्टेदारों ने अनिवार्य किराए का भुगतान आठ से 2257 दिनों के विलम्ब से किया था। इनमें से 11 प्रकरणों में अनिवार्य किराये के भुगतान में एक वर्ष से अधिक विलम्ब किया गया था। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा इन विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण या पट्टे के निरस्तीकरण हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.33 लाख के ब्याज की प्राप्ति नहीं हुई।

हमने प्रकरण (मार्च तथा जून 2012 के मध्य) विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[6] बड़वानी, बालाघाट, होशंगाबाद, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, सतना तथा शिवपुरी ।

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम तथा ठेका अनुबंध की शर्त क्र. 5 (**i**) के तहत व्यापारिक खदानों के ठेकेदारों द्वारा उनके ठेका अनुबंध में उल्लिखित दिनांक को या उसके पूर्व संविदा राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने पर ठेकेदार, संविदा राशि के अतिरिक्त, भुगतान न किए जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा ।

8.13.2 हमने सात जिला खनिज कार्यालयों[7] की व्यापारिक खदानों के सम्बंध में संविदा राशि की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (फरवरी 2009 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य) कि 44 ठेकेदारों द्वारा (अप्रैल 2007 तथा मार्च 2011 के मध्य) संविदा राशि का भुगतान छः से 930 दिन के विलम्ब से किया गया था । जिला खनिज अधिकारियों द्वारा इन विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.68 लाख के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

हमने (मार्च तथा जून 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[7] अनूपपुर, बालाघाट, दतिया, धार, नरसिंहपुर, शहडोल तथा उमरिया ।

8.14 उत्खनि पट्टे पर राज्यांश की कम प्राप्ति

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30 (1)(ख) के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टेदार को उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गए खनिजों के सम्बंध में अनुसूची III में उल्लिखित दरों से राज्य शासन को राज्यांश का भुगतान करना होगा । नियमों में निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के उल्लंघन होने की स्थिति में, कलेक्टर/अपर कलेक्टर पट्टेदार को लिखित में दाण्डिक कार्रवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करेगा तथा नोटिस के दिनांक से साठ दिन के भीतर उल्लंघन का समाधान करने के लिए निर्देशित करेगा। यदि उल्लंघन का समाधान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता हैं तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, किसी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, पट्टा निरस्त कर सकता है तथा संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिभूति जमा राशि राजसात कर सकता है या विकल्प के तौर पर नियमों के अंतर्गत निर्धारित शास्ति आरोपित कर सकता है ।

हमनें नौं जिला खनिज कार्यालयों[8] के उत्खनि पट्टों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य) कि 22 पट्टाधारियों ने अप्रैल 2009 से मार्च 2011 के दौरान देय राज्यांश ₹ 1.13 करोड़ के विरूद्ध ₹ 75.94 लाख का भुगतान किया था । जिला खनिज अधिकारियों द्वारा शास्ति के आरोपण या प्रतिभूति जमा राशि को राजसात करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.96 लाख के राज्यांश की कम प्राप्ति हुई।

हमने प्रकरण (मई तथा जून 2012 के मध्य) विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[8] हरदा, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, राजगढ़, सतना, शहडोल, सिंगरौली तथा टीकमगढ़।

8.15 खनन पट्टों पर राज्यांश की कम प्राप्ति

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9 (i) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को पट्टा क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये या उपभोग किये गये खनिजों के सम्बंध में राज्यांश का भुगतान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से करना होगा ।

हमनें जिला खनिज कार्यालय बालाघाट तथा छिंदवाड़ा में खनन पट्टों से सम्बंधित प्रकरण नस्तियों तथा भुगतान चालानों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (नवम्बर 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य) कि दो पट्टेदारों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2011 के मध्य प्रेषित कॉपर तथा मैग्नीज की मात्रा पर देय राज्यांश ₹ 33.44 करोड़ के विरूद्ध ₹ 33.06 करोड़ का भुगतान किया था । पट्टेदारों द्वारा राज्यांश का कम भुगतान किये जाने के बावजूद, जिला खनिज अधिकारियों द्वारा राज्यांश की राशि ₹ 37.74 लाख का निर्धारण एवं वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.74 लाख के राज्यांश की कम प्राप्ति हुई।

हमने प्रकरण (मई एवं जून 2012 के मध्य) विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

8.16 अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने में अनियमिततायें

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 68(1) के अनुसार, कलेक्टर किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम के निर्माण कार्यों हेतु वांछित किसी गौण खनिज के उत्खनन, निष्कासन तथा परिवहन के लिए अनुमति प्रदान करेगा । उप नियम (3) में आगे प्रावधान है कि अनुसूची III में उल्लिखित दरों से गणना किए गए राज्यांश का अग्रिम भुगतान करने पर ही ऐसी अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।

हमने जिला खनिज कार्यालय, छिंदवाड़ा तथा सागर में प्रकरण नस्तियों तथा ठेकेदारों को जारी किए गए अस्थाई अनुज्ञापत्रों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (दिसम्बर 2010 तथा जून 2011 के मध्य) कि अप्रैल 2009 से सितम्बर 2010 के मध्य नौं ठेकेदारों को राज्य शासन के निर्माण कार्यों के लिए 12 अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किए गए । जिला खनिज अधिकारियों ने अग्रिम रूप से देय राज्यांश की संपूर्ण राशि की वसूली नहीं की तथा ठेकेदारों द्वारा किये गये आंशिक भुगतान पर ही अनुज्ञापत्र जारी कर दिये।

इसके परिणामस्वरूप विभाग ₹ 60.29 लाख के देय राज्यांश के विरूद्ध केवल ₹ 27.06 लाख वसूल कर सका जिसके कारण ₹ 33.23 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई। यदि जिला खनिज अधिकारियों ने उप नियम (3) की शर्त के अनुसार अग्रिम रूप से राज्यांश वसूल किया होता तो राजस्व की कम प्राप्ति से बचा जा सकता था।

हमने मार्च तथा जून 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

8.17 विवरणियां प्रस्तुत न किये जाने के कारण शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30 (20)(क)(ख)(ग) के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टाधारक निर्धारित प्रपत्रों में नियत तिथियों तक जिला खनिज अधिकारी को मासिक, छःमाही तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टा स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टाधारक पर शास्ति का आरोपण कर सकता है जो वार्षिक अनिवार्य किराया की राशि के दुगुने से अधिक नहीं होगी ।

हमने देखा कि विभाग द्वारा विवरणियों की सामयिक प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए नियंत्रण पंजियाँ निर्धारित नहीं की गई थीं तथा जिला खनिज अधिकारियों द्वारा उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुतीकरण हेतु ठेकेदारों से विवरणियों की प्राप्ति की स्थिति पर भी कोई प्रतिवेदन निर्धारित नहीं किया गया था। हमने जिला खनिज कार्यालयों सिवनी तथा शिवपुरी के पट्टेदारों की 60 व्यक्तिगत पट्टा नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (दिसम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 के मध्य) कि 10 पट्टाधारकों द्वारा अप्रैल 2008 से मार्च 2010 की अवधि से सम्बंधित 163 मासिक, 27 छःमाही तथा 15 वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई थीं । निर्धारित आवधिक विवरणियों के अभाव में, पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये गये राज्यांश/अनिवार्य किराया/शास्ति की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी । अतः आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने के लिए पट्टेदार शास्ति का भुगतान करने के दायी थे । तथापि, जिला खनिज अधिकारियों ने पट्टेदारों पर शास्ति आरोपित एवं उसको वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य किराये की राशि के दुगने की दर से गणना करने पर शास्ति के रूप में ₹ 12.75 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई । विवरणियों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए किसी प्रणाली के अभाव में, पट्टेदारों द्वारा विवरणियों को प्रस्तुत न किया जाना, विभाग की जानकारी में न आ सका।

हमने (मार्च तथा मई 2012 के मध्य) प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

(डी. के. शेखर)

भोपाल, **महालेखाकार**

दिनांक **(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)**

मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)

नई दिल्ली, **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

दिनांक

परिशिष्ट

कंडिका क्र. 2.10.11 का परिशिष्ट–I

2.10.11 अन्य राज्यों को भेजे गये राजस्व वसूली प्रकरणों का अनुशीलन न किया जाना

स. क्र.	व्यवसायी का विवरण	देय राशियों की अवधि	देय राशि (₹ लाख में)	वृत्त/संभाग	राज्य जहां आर. आर.सी. भेजी गई	आर.आर.सी. भेजने का दिनांक	विभाग की अभियुक्ति/की गई आगामी कार्रवाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मैसर्स वैरन इन्टरनेशनल	1998 से 2003	1521.11	वृत्त–X/ संभाग–II इन्दौर	नई दिल्ली, मुम्बई	03.03.2004 14.08.2008	हमने पाया कि इन कम्पनियों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का मुंबई में स्थित सम्पत्तियों पर कब्जा था, लेकिन इन प्रकरणों को नई दिल्ली के लिए संदर्भित किया गया था। यद्यपि आरआररी को मुंबई भी भेजा गया था (अगस्त 2008), कोई आगामी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी (अगस्त 2012)। प्रकरणों को वा.क.अ., वृत्त –II, ग्वालियरको संदर्भित किया गया था जो वा.क.अ., रोधवा के बजाय आगामी अनुशीलन के लिए नई दिल्ली से सम्बंधित आरआररी के लिए नोडल अधिकारी थे (नवम्बर 2011)। चूँकि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सम्पत्ति मुंबई में स्थित थी, अतः प्रकरण दिल्ली में संदर्भित किये जाने के कारण वसूली नहीं हुई जो अनुचित था।
2.	मेसर्स वैरन इलेक्ट्रानिक्स	1998 से 2001	507.90	वृत्त– X/ संभाग –II, इन्दौर	नई दिल्ली, मुम्बई	03.03.2004 14.08.2008	
3.	मैसर्स कृपा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	1993 से 1999	563.18	वृत्त –IX/ संभाग –III, इन्दौर	पुणे (महाराष्ट्र)	23.05.2009	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।
4.	मैसर्स पेट्रो गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	1997 से 2000	22.49	वृत्त–IX/ संभाग–III, इन्दौर	मुम्बई (महाराष्ट्र)	10.12.2003	
5.	मैसर्स ओम कोटारी सील एण्ड प्लाईसेल	1992 से 2003	30.90	वृत्त –IX/ संभाग–III, इन्दौर	कोटा (राजस्थान)	26.03.2009	
6.	मैसर्स वुडलेण्ड इन्टरप्राइजेज	1991–92 1997–2000	18.91	वृत्त –IX/ संभाग–III, इन्दौर	मुम्बई (महाराष्ट्र)	26.03.2009	
7.	मैसर्स कुंवर अजय फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	2002–03	7.83	वृत्त–IX/ संभाग –III, इन्दौर	सूरत (गुजरात)	22.12.2007	
8.	मैसर्स लक्ष्मी रोल्स कार्पोरेशन	1996–2002	5.30	वृत्त –IX/ संभाग–III, इन्दौर	कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	26.03.2009	
9.	मैसर्स फ्रेन्डली केमिकल्स	2002–03	6.57	वृत्त–IX/ संभाग –III, इन्दौर	सूरत (गुजरात)	27.12.2007	
10.	मैसर्स प्रहलाद राय फार्मा जाओरा	02.11.86 22.10.87	1.84	वृत्त–IX/ संभाग –III, इन्दौर	सिरवर (राजस्थान)	31.08.1996	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	मैसर्स लक्ष्मण कन्स्ट्रक्शन	1996–98	1.89	वृत्त–IX/ संभाग–III, इन्दौर	मुम्बई (महराष्ट्र)	08.06.2006	
12.	मैसर्स रूपहित इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	1998–2000	37.65	वृत्त–IX/ संभाग–III, इन्दौर	मुम्बई (महराष्ट्र)	10.12.2003	
13.	मैसर्स राजेन्द्र स्टील लिमिटेड	1995–96	0.74	वृत्त–IX/ संभाग–III, इन्दौर	कानपुर (उ0प्र0)	31.01.2006	
14.	मैसर्स बिलियर्ड इण्डिया	1993–94	2.30	वृत्त–II/ संभाग–I, भोपाल	नई दिल्ली	28.04.1999	
15.	मैसर्स क्विक कलर लैब	1988–93	17.27	वृत्त–II/ संभाग–I, भोपाल	नई दिल्ली	19.07.1996	
16.	मैसर्स बंसल टी सेन्टर	1979–83	1.59	वृत्त–II/ संभाग–I, भोपाल	कोलकाता	10.02.1998	
17.	मैसर्स विजय कुमार रूपचन्दानी	1993–96	1.56	वृत्त–II/ संभाग–I, भोपाल	नागपुर	25.09.2000	
18.	मैसर्स आर. एल. इण्डस्ट्री	1997–98	1.34	वृत्त–II/ संभाग–I, भोपाल	जयपुर	उपलब्ध नहीं	
19.	मैसर्स सरायकेला ग्लास वर्क	1990–94	2.14	वृत्त–II/ संभाग–I, भोपाल	सिंहभूमि (बिहार)	14.06.2000	
20.	मैसर्स गुरू सेल्स कार्पोरेशन	1978–83	3.79	वृत्त–II/ संभाग–I, भोपाल	अहमदाबाद	23.01.1998	
21.	मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज	1984–85	1.01	वृत्त–II/ संभाग–I, भोपाल	आगरा	21.11.1996	
22.	मैसर्स सेन्डरसन इण्डस्ट्रीज	16.03.95 से 31.03.95	15.06	वृत्त–V/ संभाग–I, भोपाल	कोलकाता	15.03.2001	उपायुक्त वा.क. से प्रकरणों के आगामी अनुसरण हेतु अनुरोध किया गया था (दिसम्बर 2006)। इसके बाद विभाग द्वारा कोई अनुसरण नहीं किया गया।
23.	मैसर्स ए.आर.पी. पी. भोपाल	1994–98	1.67	वृत्त–V/ संभाग–I, भोपाल	नई दिल्ली	13.07.2004	
24.	मैसर्स शालीमार तार प्रोडक्टस	1993–99	2.3	वृत्त–V/ संभाग–I, भोपाल	नई दिल्ली	15.09.2005	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	मैसर्स प्लाई साम्राट	1998–99	1.88	वृत्त–V/ संभाग–I, भोपाल	कोलकाता	03.03.2006	
26.	मैसर्स ए.आर.एम. भोपाल	2001–02	0.92	वृत्त–V/ संभाग–I, भोपाल	बंगलोर	15.01.2010	मार्च 2011 में स्मरण पत्र जारी किये गये थे तथा विभाग द्वारा कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई।
27.	मैसर्स डी.एल. पावर लाइन	2002 से 2009	1.0	वृत्त–V/ संभाग–I, भोपाल	बंगलोर	15.01.2010	
28.	मैसर्स अमित दहिया	2001–02	0.20	वृत्त–V/ संभाग–I, भोपाल	रायपुर	23.03.2007	
29.	मैसर्स होटल ग्रीन एण्ड रेस्टोरन्ट	1999–2000	0.25	वृत्त–V/ संभाग–I, भोपाल	रायपुर	03.03.2006	
30.	मैसर्स वेस्टाविजन इलेक्ट्रिकल्स	1994–1998	8.89	वृत्त–IX/ संभाग–III, इन्दौर	गाजियबाद	09.06.2006	व्यवसायी को जारी की गई आर.आर.सी. इंगित करती थी कि व्यवसायी की सम्पत्तियाँ नई दिल्ली में थीं जो कलेक्टर गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आती थीं। प्रकरण को नोयडा (गाजियाबाद) संदर्भित करना अनुचित था जिससे वसूली में विलंब हुआ।
31.	मैसर्स वेस्टाविजय इलेक्ट्रिकल्स	1998–99	55.64	वृत्त–IX/ संभाग–III, इन्दौर	नई दिल्ली	09.06.2006	आर.आर.सी. जारी होने के पश्चात विभाग द्वारा कोई आगामी अनुसरण नहीं किया गया था (अगस्त 2012)।
योग			**2,844.12**				

कंडिका क्र. 3.5.14.4 के संदर्भ में परिशिष्ट 'II'

स. क्र.	अवधि	प्रकरणों की संख्या	निर्यात मात्रा		परिवहन मात्रा		शुल्क (₹)	विलम्ब अवधि
			विदेशी मदिरा (ब.ली.)	बीयर (ब.ली.)	विदेशी मदिरा (ब.ली.)	बीयर (ब.ली.)		
1.	6, 7/2011	18	---	---	59,103	---	84,50,850	10 से 39 दिन
2.	7/2011	2	---	---	6,879.60	---	7,97,245	9 से 11 दिन
3.	6, 7/2011	2	---	---	1,964.25	---	4,28,306	3 से 122 दिन
4.	6, 7/2011	5	18,731.25	---	---	---	29,81,260	16 से 97 दिन
5.	3/10, 5 /11	5	---	14,445.72	---	---	2,97,922	2 से 15 माह
6.	3/10 से 10/10	15	---	---	---	14190	4,16,400	8 से 15 माह
7.	3/2011	1	2,025	---	---	---	4,72,500	2 माह
8.	8/11 से 1/12	3	11,826	---	---	---	12,22,425	13 से 204 दिन
9.	3/12	1	2,025	---	---	---		
10.	4/10 से 9/11	59	2,94,879.5	---	---	---	3,47,53,703	4 से 75 दिन
11.	7/11	2	9,958.95	---	---	---	8,29,879	42 से 43 दिन
12.	5/11 से 9/11	62	---	---	1,88,142.5	---	2,20,23,287	4 से 97 दिन
13.	8/2011	1	---	---	100.65	---	34,221	17 दिन
14.	9/11 से 3/12	41	1,72,732	---	---	---	4,18,66,708	5 से 210 दिन
15.	9/11 से 3/12	38	---	---	1,31,314.5	---		
16.	2/11 से 10/11	9	---	---	---	49,140	8,08,773	3 से 243 दिन
17.	9/10 से 11/11	56	33,075	3,48,504	---	---	91,17,150	1 से 446 दिन
18.	9/10 से 11/11	192	---	---	3,98,191.25	4,58,640	3,93,55,293	4 से 240 दिन
19.	9, 11/10	2	11,250 देशी मदिरा	---	---	---	18,00,000	369 से 457 दिन
20.	3/11 से 10/11	2	---	---	7,546.5	---	11,16,700	41 से 223 दिन
21.	2/11 से 3/12	6	---	---	8,472	---	11,82,161	2 से 4 दिन
	3/10 से 3/12	**520+2**	**5,45,252.7 11250**	**3,62,949.72**	**8,01,714.25**	**5,21,970**	**16,61,54,783 + 18,00,000**	**2 से 450 दिन**

विदेशी मदिरा निर्यात + परिवहन = **5,45,252.7 + 8,01,714.25 = 13,46,966.95** प्रू.ली.

बीयर निर्यात + परिवहन = **3,62,949.72 + 5,21,970 = 8,84,919.72** ब.ली.

कंडिका क्र. 3.5.17 के संदर्भ में परिशिष्ट 'III'

स.क्र	अवधि	प्रकरणों की संख्या	छीजन (प्रू.ली. में)	शास्ति की गणना	शास्ति की राशि (₹ में)
1.	04/2010 से 01/2011	19	31.3	31.3×681×3	63,946
2.	04/2011 से 09/2011	08	13.6	13.6×83.33	1,133
3.	04/2009 से 03/2010	250	1,567.1	1,567.1×150×3	7,05,195
4.	04/2010 से 03/2011	212	455.94	455.94×160×3	2,18,851
5.	04/2011 से 09/2011	29	308.5	308.5×80×3	74,040
योग		**518**	**2,376.44**		**10,63,165**

कंडिका क्र. 3.5.22 के संदर्भ में परिशिष्ट 'IV'

स.क्र.	लेबल का नाम	प्रदाय मात्रा 04/2010 से 11/2010 (बॉक्स में)	वसूल किया गया शुल्क (₹ में)	वसूली योग्य शुल्क (₹ में)	कम वसूल किया गया शुल्क (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	100 पाइपर्स	787	12,98,550	13,23,640	25,090
2.	समथिंग स्पेशल	158	2,60,700	3,63,400	1,02,700
3.	हैग गोल्ड लेबल ब्लेण्ड	130	1,75,500	2,01,032	25,532
4.	ब्लेक एण्ड व्हाइट चॉइस	144	2,37,600	2,45,160	7,560
5.	टीचर – 50	435	8,09,348	10,00,500	1,99,152
6.	ब्लेक डॉग 12 इयर्स ओल्ड	377	7,14,117	8,67,100	1,52,983
7.	व्हाइट एण्ड मैके ग्लेस्गो	20	33,000	46,000	13,000
जिन/व्हीस्की/ब्रान्डी					
8.	हनी बी	1,432	9,30,800	14,09,947	4,79,147
9.	ब्लू रिबन्ड	1,862	12,10,300	16,75,800	4,65,500
10.	वोद्का रेड रशियन	124	69,750	1,42,600	72,850
11.	वोदका ग्रीन एप्पल (एमएम)	172	1,76,300	1,97,800	21,500
12.	वोदका ओरेन्ज (एमएम)	243	2,49,075	4,49,550	2,00,475
13.	वोदका स्मिरनॉफ	757	8,70,550	10,21,950	1,51,400
14.	वोदका ओरेन्ज ट्विस्ट	337	3,87,550	4,54,950	67,400
15.	वोदका शार्क टूथ	45	46,125	51,750	5,625
16.	स्मिरनॉफ ग्रीन एप्पल ट्विस्ट	294	3,38,100	3,96,900	58,800
17.	वोदका प्रीमियम रोमनोव	540	4,86,000	5,31,684	45,684
18.	वोदका व्हाइट मिसवीफ	1397	9,28,837	14,31,925	5,03,088
19.	वोदका मेजिक मोमन्ट ग्रेन	854	8,75,350	9,82,100	1,06,750
20.	वोदका सीग्राम फ्यूल	92	94,300	1,05,800	11,500
21.	वोदका गोरवाचो	40	46,000	49,842	3,842
22.	बैगपाइपर	1,913	13,12,796	17,21,700	4,08,904
23.	पीटर स्कोट	556	6,39,400	7,50,600	1,11,200
24.	रेड नाइट	765	7,84,125	8,79,750	95,625
25.	एरिस्टोक्रेट ब्लैक	556	4,62,247	6,39,400	1,77,153
26.	डायरेक्टर्स स्पेशल	357	2,36,691	3,21,300	84,609
27.	डायरेक्टर्स स्पेशल ब्लैक डीएक्स	266	2,39,400	2,72,650	33,250
28.	रॉयल वैलेन्ज	3,546	40,77,900	41,87,100	7,09,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	मैक डॉवेल डिप्लोमेट	742	4,82,300	5,80,244	97,944
30.	मैक डॉवेल नं. 1 रिज़र्व	16,685	1,50,16,500	1,91,87,750	41,71,250
31.	सिग्नेचर रेयर	2,662	30,61,300	35,93,700	5,32,400
32.	एन्टीक्विटी ब्लू अल्ट्रा प्रीमियम	1,171	13,46,650	19,32,150	5,85,500
33.	मैक डॉवेल डाइट मेट रिज़र्व	2,235	19,93,397	25,70,250	5,76,853
34.	ग्रीन लेबल	1,442	10,22,349	13,18,565	2,96,216
35.	ब्लेण्डर्स प्राइड	4,427	50,91,050	59,76,450	8,85,400
36.	रॉयल स्टेग	6,646	63,44,471	76,42,900	12,98,429
37.	ऑफिसर्स च्वाइस प्रेस्टिज	1,801	11,82,645	16,20,900	4,38,255
38.	8 पीएम	1,941	15,10,855	17,46,900	2,36,045
39.	डाई रेयर क्राफ्टेड	89	98,733	1,02,350	3,617
40.	एन्टीक्विटी रेयर प्रीमियम	357	4,10,550	4,81,950	71,400
41.	रॉयल आर्म रियल	1,154	7,50,100	10,38,600	2,88,500
42.	सीनेट रॉयल	457	4,11,300	5,25,550	1,14,250
43.	मास्टर स्ट्रोक डीएक्स	216	2,21,400	2,48,400	27,000
रम					
44.	कन्टेसा 5 इयर्स ओल्ड	30,027	1,17,10,530	1,36,40,666	19,30,136
45.	8 पीएम बरमूडा एक्सएक्सएक्स ओरिजिनल कैरिबियन	3,782	14,74,980	20,42,280	5,67,300
46.	बकार्डी कार्टा ब्लेन्का	553	3,81,570	4,47,930	66,360
47.	प्रीमियम ओल्ड फॉक्स एक्सएक्सएक्स रम	23,189	90,43,710	99,55,038	9,11,328
48.	मदिरा रम	1,786	7,48,781	16,07,400	8,58,619
49.	एरिस्ट्रोक्रेट एक्सएक्सएक्स रम	5,450	19,47,285	29,43,000	9,95,715
50.	हरक्यूलस एक्साएक्साएक्स रम	936	4,65,828	5,75,640	1,09,812
51.	गोलकोन्डा ब्रान्डी	465	3,02,250	5,34,750	2,32,500
बीयर					
52.	सैण्डपाइपर प्रीमियम 650 एमएल	7,032	8,00,874	10,96,992	2,96,118
53.	किंगफिशर स्ट्रॉंग	2,096	2,58,920	3,26,976	68,056
54.	किंगफिशर 650 एमएल	18,872	21,47,256	29,44,032	7,96,776
योग		**1,54,412**	**8,62,07,995**	**10,70,03,293**	**2,07,95,298**